राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] दसवीं विधान सभा के दसवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

मंगलवार,

10 मार्च, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध

माननीय सदस्य श्री भरतसिंह पर हमला एवं गंगानगर के किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रश्न काल से पहले वक्तव्य दिलाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष : विराजिए, विराजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : विधायक को पीट रहे हैं, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं, भरतसिंह को पीट रहे हैं (व्यवधान)....

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : पीट दिया, इसलिए नहीं आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : इसका मतलब पीटें? जानलेवा हमला किया गया विधायक भरतसिंह पर।

श्री अध्यक्ष : विराजिए, विराजिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : और सत्र चल रहा है तब भी हमला हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान जी। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए।

श्रीमती बीना काक : एक एम.एल.ए. के बेटे ने उनके ऊपर हमला किया है, अध्यक्ष महोदय। ये विधान सभा में क्यों नहीं आ रहे हैं? विधान सभा में इसलिये नहीं आ रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ है। (व्यवधान) ...

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य पर कल रात को जानलेवा हमला हुआ है (व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : तब तक कोई क्वेश्चन आवर, कोई असेम्बली नहीं होगी। पहले स्टेटमेंट दें कि भरतसिंहजी के ऊपर कैसे हमला हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय जुबेर खानजी। अभी बाद में ले लेंगे।

श्रीमती बीना काक : बाद में क्या, अध्यक्ष महोदय....

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्रीजी से इस्तीफा दिला दीजिए। (व्यवधान) आप क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिए, विराजिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : भारतीय जनता पार्टी के लोग बदला लेने के लिये कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 10 दिसम्बर को गंगानगर के अन्दर जो लाठी-चार्ज हुआ....

(2)

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्य के साथ मार-पीट हो और सदन में इसकी कोई चर्चा नहीं... (व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : भारतीय जनता पार्टी के एम.एल.ए. के बेटे ने हमला किया....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : एम.एल.ए. पर हमला किया गया....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सीतारामजी पर हमला हुआ है, सीताराम जी पर। टोपी निकल रही है, टोपी। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें आप। (व्यवधान) अभी आपकी सब बातें लेंगे, आप विराजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, नहीं, मेरा इश्यू पहले का है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इश्यू पहले का है।

श्री अध्यक्ष : माननीय जुबेर खानजी।

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पर कातिलाना हमला किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी से कोई एश्योरेंस दिलाया जाए। एक माननीय सदस्य पर कातिलाना हमला किया गया है, माननीय गृह मंत्रीजी से वक्तव्य दिलाया जाए। (व्यवधान) एक विधायक पर कातिलाना हमला हुआ है।....

श्री राधेश्याम गंगानगर : 10 दिसम्बर को गंगानगर के अन्दर कपास और रूई को लेकर जो प्रदर्शन हुआ, इस तरह की घटना, जो अंग्रेजों के जमाने में कभी नहीं हुई वह 10 तारीख को, अगर आप उसको सुनेंगे नहीं तो आपको मालूम नहीं होगा। (व्यवधान) 10 तारीख को कपास और नरमे को लेकर किसान आन्दोलन कर रहे थे। किसानों के ऊपर गोले दागे गये, किसानों के ऊपर घोड़े चलाये गये, अश्रु गैस छोड़ी गयी, लाठीचार्ज हुआ। आपके विधायक पिटे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न यही है कि माननीय सदस्य को पीटा गया है.... (व्यवधान) पूरे सदन की पिटाई की गयी है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक विधायक की जान खतरे में है।

श्रीमती कमला (बैराठ) : गृह मंत्रीजी को चाहिए कि वे वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप हंस रहे हैं मंत्री महोदय, बैठे-बैठे। मंत्री महोदय हंस रहे हैं बैठकर, बड़ी खुशी हो रही है उनको कि विधायक पिट रहे हैं।.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक को पीटा गया है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : और विधायक के बेटे ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे ने पीटा है।

श्री अध्यक्ष : विराजिए, विराजिए ।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल पहले ले लिया जाए ।

श्री रामस्वरूप मीणा : +++ (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, +++ (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह मजाक में होने वाली बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : विराजिए, विराजिए, प्रश्नकाल तो होने दें आप ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप बैठे हंस रहे हैं । आपको खुशी हो रही है कि एम.एल.ए. पिट रहा है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राधेश्यामजी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया विराजिए । (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पहले स्टेटमैंट दें । भारतीय जनता पार्टी के एम. एल. ए. के बेटे ने एक विधायक को पीटा है ।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शरीर च्यवनप्राश का है, प्रदर्शन किया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, ये मल्ल-युद्ध करने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : विराजिए, विराजिए । रामस्वरूपजी, विराजिए ।

श्री रामस्वरूप मीणा : +++ (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : ये तीन दिन में खतम कर देंगे । (व्यवधान) वे तो बैठ जाएंगे ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस सदन को चलाने से कोई लाभ नहीं है, जब माननीय सदस्यों के साथ हमला हो ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जुडीशियल इंक्वायरी करवाइये, जुडीशियल इंक्वायरी । जुडीशियल इंक्वायरी ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंगानगर नगर परिषद् के लिए दो करोड़ रुपये की घोषणा इस हाउस के अन्दर की गयी, एक रुपया खर्च नहीं किया गया । (व्यवधान) सैकड़ों लोग पिटे, घायल हो गये, कोई देखने वाला नहीं है । सी. एम. अपने मुंह से यह बात कहें कि तीन दिन के अन्दर जुडीशियल इंक्वायरी होगी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं, विराजिए ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : और मेरे को तीन महीने से नींद नहीं आ रही है ।

श्री अध्यक्ष : विराजिए ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं बिलकुल नहीं बैठूंगा ।

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं करें, अंकित नहीं करें ।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(५)

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिए, अब अंकित नहीं हो रहा है ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिए, पहले प्रश्नकाल तो होने दीजिए ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री खेतसिंह राठौड़ : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री कालूलाल गूजर : × × ×

श्री अमराराम (धोद) : × × ×

श्री रामनारायण चौधरी : × × ×

श्री रामगोपाल बैरवा : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल होने दें, बाद में आपकी बात पूरी सुनेंगे । अब आप कृपया विराजिए । बहुत देर हो गयी है आपको, थक गये होंगे । अब प्रश्नकाल होने दें आप ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं कह रहा हूं । प्रश्नकाल में ऐसी बात नहीं हो रही है । आप तो इतने सीनियर हैं ।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़) : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री रामगोपाल बैरवा : × × ×

श्री अध्यक्ष : उसके लिये कोई मनाही नहीं है परन्तु प्रश्नकाल तो होने दें आप ।

श्री रामनारायण चौधरी : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : × ×

श्रीमती बीना काक : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : × × ×

श्री भीमराज भाटी : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। प्रश्न-काल होने दें, उसके बाद यह ले लेंगे। विराजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। कृपा करके विराजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : × × ×

श्री शिवनाथ सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये। नोट मत करना।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अब बैठो तो सही।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुख्य मंत्री जी जवाब दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वैसे प्रश्नकाल में उठाये हुए विषयों का उत्तर देना परम्परा के विरुद्ध होगा, लेकिन मुख्य सचेतक महोदय कह रहे हैं, मुझे उनका उत्तर देना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : परम्पराएं बनाते हैं और अच्छी बातों के लिये परम्पराएं टूटती भी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नई परम्पराएं डाल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, लेकिन आप अच्छी परम्पराएं तोड़कर नई परम्परा बना रहे हैं (व्यवधान) अब आप सुन लो।

अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न उठाये गये। एक तो भरतसिंह जी का मामला और

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दूसरा गंगानगर में किसान आन्दोलन का। जहां तक भरतसिंहजी वाला मामला है, मेरे पास जो टेलीफोन से जानकारी मैंने ली हैं, उसी जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं। मैंने कहा भी है कि लिखित में एफ.आई.आर. जितनी भी रजिस्टर हुई हैं, उसकी कापी भेज दें और भेजने के बाद में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है, उसकी भी जानकारी दे दें। इसलिए जो कुछ मालूम हुआ उसमें हो सकता है कि कहीं तथ्यों में थोड़ा हेरफेर हो लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है, कल शाम को मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि मनोहर थाना के एम. एल ए., श्री जगन्नाथजी वर्मा का लड़का एक मन्दिर में पूजा कर रहा था अकलेरा में। और उसी समय अकलेरा में भरतसिंह जी एक प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करते--करते उस मन्दिर के सामने पहुंचे तो जगन्नाथ जी को और बाकी सब लोगों को, वहां आलोचना तो होती है, वह आलोचना हो रही थी। उसने कहा कि मन्दिर में आप यह क्यों कर रहे हो ? उस बात पर उन लोगों का झगड़ा हुआ। झगड़ा हुआ तो उस गांव से मुझे जो टेलीफोन पर जानकारी मिली कि उस लड़के के चाकू लगा है। मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा कि चाकू लगा है, चाकू का निशान है या और कुछ है ? उन्होंने मुझे जवाब में यह बताया कि चाकू है या नहीं यह तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में हम जानकारी दे सकते है कि वास्तव में क्या है।

उसके बाद भरतसिंह जी शायद डी. आई. जी. और एस.पी. से मिले। एस.पी. वहां पहुंच गये थे, उन से मिले और उन्होंने कहा कि मेरे साथ इस प्रकार का मिसबिहेवियर किया गया है, लाठियां चलायी हैं। तो उनसे कहा कि आप भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दो। उन्होंने, घटना कल की है, आज रिपोर्ट दर्ज करायी। उसके बाद में मैंने डी.जी. को कहा है कि इस मामले को आप सी.आई.डी. को दे दीजिये, दो एम. एल. एज. का मामला है वो इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी से जल्दी बता दें। एक तो प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न... (व्यवधान) ... हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : मोहन लालजी मोदी के साथ भी इस तरह की वारदात हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठहरिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनके साथ भी नीमकाथाना में ऐसी ही वारदात हुई। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपको उपस्थित होकर इस बात की जानकारी दी गयी थी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक एम.एल.ए. का लड़का हो सकता है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले मेरी सुन लो आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : दूसरे एम.एल.ए. के साथ कोई वारदात हुई है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उससे पहले राजेन्द्रजी चौधरी के साथ इस तरह की वारदात हुई।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, यह तो स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनना चाहो तो मुझे सुन लो। मोहनलाल जी मोदी के मामले को तो .

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : आपने पूरी तरह से एक पक्षीय बात प्रस्तुत कर दी, मुख्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैं ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : एक पक्षीय बात प्रस्तुत कर दी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : बात तो पूरी हो जाने दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मुझे जानकारी इतनी ही है। जो जानकारी है वह मैंने आपके सामने रख दी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपके साथ सारे सोर्सेज हैं, आपने अधूरी जानकारी लेकर सदन के सामने प्रस्तुत की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सोर्सेज हैं इसीलिए तो मैंने....

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपको एक्सपैक्ट करना चाहिये था, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कि आज यह विषय यहां उठाया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुन लो। मैं स्वयं भरतसिंह जी से बात करना चाहता था। यहां साढ़े नौ बजे मैंने कहा कि कहीं तलाश कर के मेरी उनसे बात करवा देना। बात नहीं हो पायी। बात उनसे भी करूंगा, बात जगन्नाथजी से भी करूंगा.... (व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : पिता से बात हुई है, तो मैं एक मिनट आपके बाद कहना चाहूंगी। .. (व्यवधान)... जूझार सिंह जी से मेरी बात हुई है सुबह फोन पर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : Let him complete first.

श्रीमती बीना काक : That is what I siad. That is what I requested after he has spoken. उसके बाद यदि मैं बोलूं तो। I requested him. आप समझें तो, सुनें तो कि मैंने क्या कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कह रहा था कि इस मामले को सी.आई.डी. (क्राइम) को मैं दे रहा हूं। यहां का अफसर जाएगा, पूरी जांच करके जो भी फैक्ट्स आएंगे सदन के सामने रख दिये जाएंगे। उसके बाद में मैम्बर्स कोई क्वेश्चन करना चाहें, और कोई जानकारी देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। दोषी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा, चाहे इस पक्ष का एम.एल.ए. हो, चाहे उस पक्ष का एम.एल.ए. हो। नम्बर एक। दूसरा, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री रामनारायण चौधरी : राधेश्याम जी के चोट आयी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह बताया न। चोट आयी है या नहीं आयी लेकिन शारीरिक प्रदर्शन .. (व्यवधान)....

श्री राधेश्याम गंगानगर : चोट आयी है, आपको दिखाया है मैंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देख लिया मैंने। ...(व्यवधान)... बैठ जाइये आप।

श्री सोमराज भाटी : क्या बात कर रहे हैं, चोट आयी है या नहीं आयी है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देख ली, जाइये बैठ जाइये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि गंगानगर में, तारीख तो मुझे याद नहीं है लेकिन दिसम्बर के महीने में एक प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शन करते-करते कलेक्ट्री में घुस गये। कलेक्ट्री में घुसने के बाद, आखिर कलेक्ट्री में प्रदर्शनकारी घुस जाएं या विधान सभा में घुस जाएं तो जो भी उनको निकालने के लिए कार्यवाही होनी चाहिये थी वह कार्यवाही की।

वे लोग मेरे से मिले थे। राधेश्यामजी थे या नहीं, मुझे नहीं पता है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं आपसे आपके घर नहीं मिला ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात तो सुन लो पहले। मैं यही कह रहा हूं कि एक डेपुटेशन मुझे मिला था उसमें ..

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या आपकी स्मृति इतना जवाब दे गयी है कि आपको याद नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब दे रहा हूं न मैं। जवाब दे रहा हूं। राधेश्यामजी मिले या नहीं मिले मुझे पता नहीं लेकिन गंगानगर का एक डेपुटेशन आया था और उसमें गंगानगर शहर के और आसपास के लीडर्स थे। उन्होंने बताया कि हमने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन इस मामले में किया है....(व्यवधान) आप ठहर जाओ न, क्यों जबरदस्ती बात कर रही हो ? आप बैठ जाओ, मैं बोल रहा हूं। ऐसी क्या बात हुई ?

श्रीमती कमला : आपको सचमुच ध्यान नहीं है क्या कि राधेश्यामजी थे या नहीं थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने बताया, नहीं है .. (व्यवधान) ...

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरी अध्यक्षता में डेपुटेशन मिला, राधेश्यामजी की अध्यक्षता में आपको मैमोरेंडम दिया जिसमें दस्तखत हैं राधेश्याम के।

श्री अध्यक्ष : आप बात ही नहीं सुनना चाहते। बात भी उठा देते हो और बात भी नहीं सुनना चाहते किसी की, यह क्या कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी मान लेऊं, मिला या नहीं मिला लेकिन आपकी अध्यक्षता में मिला, इससे ही अगर आपको संतोष होता हो कि आपकी अध्यक्षता में मिला, तो मैं स्वीकार करता हूं लेकिन यह बात जरूर है कि आपने मुझे उस समय यह जो शरीर है वह नहीं बताया था।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, दिखाया था आपको। आप यहां कसम खा कर कहिये कि मैंने आपको नहीं दिखाया शरीर। मेरे शरीर पर जितने भी डंडे लगे थे सारे आपको दिखाये थे। आपने गिने, आपने अफसोस किया कि यह बात बहुत गलत हुई है और मैं इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी कराऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठ जाओ। शरीर नहीं बताया, आज जैसा ... (व्यवधान)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ताजा चोट तो दिखने में आती है। आप तीन महीने बाद यह चोट बताएं तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि तीन महीने पहले कोई लाठी की चोट लगी हुई, आज तक शरीर पर लाल की लाल गूमा बंधा हुआ हो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप असत्य न बोलिये आपने मेरे ऊपर उस दिन बड़ी कृपा की थी और यह कहा था कि तीन दिन में जुडीशियल इंक्वायरी कराऊंगा, मेरे एम. एल. ए. के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुनिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उस दिन तो यों लग रहा था कि जैसे आप मेरे बड़े हितैषी हैं।

श्री अध्यक्ष : राधेश्यामजी, विराजिये। पहले पूरी बात तो सुन लीजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनें तो सही, सब बता दूंगा।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री सदन में बिलकुल + + +बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री भीमराज भाटी : ये कह रहे हैं कि मैं उस दिन मिला था।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री भीमराज भाटी : ये कह रहे हैं कि उस दिन मैं मिला था, मेरी चोट बताई थी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : और इन्होंने सहानुभूति प्रकट की थी। ये राजस्थान के सर्वोच्च सदन में + + +बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : भाटी साहब, विराजिये आप। एक्सपंज करिये यह, इसको एक्सपंज करिये।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, कौन + + +बोल रहा है, इसका फैसला होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपको अनुमति नहीं है, आप बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी : ये कह रहे हैं मैंने बताया है। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : भाटी साहब, बिराजिये आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, ये चुनाव के समय रिक्शे से गिरे थे। मुझे पता है, चुनाव के समय रिक्शे के ऊपर से गिर गये थे ये। भाषण देते-देते चक्कर आ गया था, रिक्शे के ऊपर से गिरे थे चुनाव में ये। (व्यवधान)....

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का सर्वोच्च सदन है.... (व्यवधान)... कौन गलतबयानी कर रहा है, इस बात का फैसला होना चाहिये।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(10)

श्री अध्यक्ष : भाटीजी, विराजिये आप। ...(व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : या तो माननीय सदस्य राधेश्यामजी या माननीय मुख्य मंत्रीजी+++बोल रहे हैं....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : रिक्शे के ऊपर से गिरे थे, चुनाव के समय भाषण देते-देते, एकदम इनको दौरा आ गया या पता नहीं क्या हुआ। मुझे पता है अच्छी तरह, जानकारी है यह, सच्चाई है यह।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री भीमराज भाटी : यह राजस्थान का सर्वोच्च सदन है इसमें कौन गलतबयानी कर रहा है, इस बात का फैसला होना चाहिये। माननीय सदस्य कह रहे है....

श्री अध्यक्ष : पूरी बात तो सुनेंगे नहीं आप। बात भी नहीं सुनेंगे और फिर खड़े हो जाते हैं बार-बार, यह क्या हो गया आपको ?

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : माननीय सदस्य+++थोड़े हैं जो आप बीच में बोल रहे हों।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप गम्भीरता रखें। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था नरमा में, गंगानगर में.... (व्यवधान)....बैठिये आप।

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : अध्यक्ष महोदय, यह तो सर्वविदित है कि माननीय नेता महोदय से ज्यादा+++बोलना संसार में, सदन में कोई नहीं जानता.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। ... (व्यवधान) एक्सपंज करिये इसको।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को बैठा दिया। .. (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द गुर्जर : प्रजातंत्र में और इस हाउस में . (व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : विराजिये । (व्यवधान) गोपीचन्द जी।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : माननीय नेता महोदय से+++

श्री अध्यक्ष : गोपीचन्दजी, विराजिये।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : +++कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : गोपीचन्दजी, विराजिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, किस परमिशन से, किन नियमों से बोल रहे हैं ? (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : गोपीचन्दजी गुर्जर।.... (व्यवधान)....

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : असंसदीय शब्द हैं इन सबको कार्यवाही से निकालिये, माननीय अध्यक्ष महोदय।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गोपीचन्द गुर्जर। गोपीचन्दजी गुर्जर।... (व्यवधान) ...

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री किशन गोपाल कोगटा : बिना परमिशन के किसी विषय में....

एक माननीय सदस्य : असंसदीय शब्द हैं इनको कार्यवाही से निकालिये ।.... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : गोपीचन्दजी, यह आपको वार्न किया जाता है ।....(व्यवधान).... गोपीचन्दजी, गोपीचन्दजी, मैं आपका नाम पुकार रहा हूं ।... (व्यवधान)....

सदस्य का निलम्बन

श्री गोपीचन्द गुर्जर, सदस्य का एक दिवस के लिए सदन की बैठक से निलम्बन

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हू कि इनको आज के लिये सदन से बाहर निकाला जाए ।.. (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इन दोनों विषयों पर....

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं लिखेंगे । क्या कर रहे हो आप मना कर दिया उसके बाद ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : × × ×

श्री भीमराज भाटी : × × ×

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री अध्यक्ष : गोपीचन्दजी । मार्शल, बाहर निकालो इनको । बाहर करो इनको । चलिये बाहर, बाहर जाइये आप । एक व्यक्ति मर्जी आये जो बोलने लग जाए ? बाहर जाइये आप । (व्यवधान)....

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिना अनुमति के बोले जा रहे हैं । मर्जी आये जो बोले जा रहे हैं । मर्जी आये जो बोले जाएंगे, यह सदन है कि मजाक हैं ? (व्यवधान) बाहर निकालो गोपीचन्दजी को । (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री रतनलाल ताम्बी : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था मैंने बनायी है । इस तरीके का व्यवहार मैं पसन्द नहीं करता । यह व्यवहार पसन्द नहीं है । बाहर करिये गोपीचन्दजी को । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री भीमराज भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है, बाहर निकालो इनको ।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने स्वयं ने उनको टोका कि आप बाहर जाइए । (व्यवधान) मैं कह सकता हूं । I have an authority.

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने निकाला बाहर उनको ।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारे)

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 11.32 बजे एक घंटे के लिये स्थगित हुई)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(12)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

तहसील रामगढ़ (अलवर) में कंसखाल नहर का मरम्मत कार्य

1. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर की तहसील रामगढ़ में कंसखाल (नहर) की मरम्मत/निर्माण के लिए विभाग द्वारा कुछ राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब व कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कार्य के लिए सिंचाई विभाग, अलवर द्वारा टेण्डर भी आमन्त्रित कर लिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त टेण्डर पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कार्य के लिए स्वीकृति के बाद राशि सिंचाई विभाग, अलवर को नहीं भेजी गई है ? यदि भेजी गई है तो कब एवं कितनी ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त कार्य को आगामी वर्षा से पूर्व पूर्ण कराने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां । माह जनवरी, 1997 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से बांधों/नहरों के क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत के तहत प्राथमिक प्राकलन के आधार पर इस कार्य हेतु 20.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी ।

(2) जी, हां । परन्तु विस्तृत तकनीकी जांच करने पर यह आभास हुआ कि प्राथमिक प्राकलन में काफी खामियां थी तथा उसके अनुसार कार्य करवाने पर वांछित लाभ नहीं मिल पा रहे थे । अतः नये सिरे से सर्वेक्षण एवं तकनीकी प्राकलन बनाये गये एवं पूर्व की निविदा निरस्त हो गई ।

(3) जी, नहीं । बाढ़ राहत में कार्यवार राशि आवंटित नहीं होती । अलवर जिले के बाढ़ बचाव हेतु 843.25 लाख रुपये की आवश्यकता के विरुद्ध वर्ष 1996-97 में व 1997–98 के लिए क्रमशः 80 एवं 130 लाख रुपये स्वीकृत किये गये ।

(4) इस कार्य में पूर्ण तकनीकी विश्लेषण के बाद तखमीने नये सिरे से स्वीकृत करने होंगे । इसके पश्चात् पुनः निविदा आमन्त्रित करनी होगी । वर्षा से पूर्व यह कार्य निष्पादित करना सम्भव नहीं लगता ।

पंचायत समिति खण्डार में सम्पर्क सड़कों का निर्माण

2. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र खण्डार के ग्राम छाण में मिर्ची की मण्डी लगती है ? यदि हां, तो लाल व हरी मिर्ची से कृषि उपज मण्डी को प्रतिवर्ष कितनी आय होती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम छाण की मिर्ची मण्डी में मिर्ची व्यापारदा

(श्री हरिनारायण बैरवा)

खुर्द, झोपड़ी, हरीपुरा, बाढ़पुरा, वेरना, गण्डापता, फरिया, कटार, सोनकच्छ खेडी, नरोडा, बोहना, गोपालपुरा आदि गांवों से किसान बैलगाड़ियों में भरकर लाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि उपजमण्डी के माध्यम से इन गांवों में सड़कें बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम ईसरदा में खीरा ककड़ी, ककड़ी, खरबूजा व तरबूज की मण्डी लगती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ईसरदा रेल्वे स्टेशन से बनास नदी तक वाया सोलपुर किसानों का माल लाने के लिए सड़क निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। गत वर्षों में मिर्च से प्राप्त मण्डी शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	वर्ष	मण्डी शुल्क
1.	1994–95	निल
2.	1995–96	11557.00
3.	1996–97	42246.00
4.	1997–98 (फरवरी, 98 तक)	41988.00

(2) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 11-3-96 की सड़क नीति के अन्तर्गत आने तथा मण्डी समिति में उपलब्ध वित्तीय स्थिति के अनुरूप सड़कें बनवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 11-3-96 की सड़क नीति के अन्तर्गत आने तथा मण्डी समिति में उपलब्ध वित्तिय स्थिति के अनुरूप सड़कें बनवाया जाना प्रस्तावित है।

जिला बीकानेर की राजस्व तहसीलों में कृषि योग्य भूमि का आबंटन

3. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र की पूगल उपनिवेशन तहसील क्षेत्र के अलावा खाजूवाला पूगल, लूणकरणसर व बीकानेर राजस्व तहसीलों में कितनी-कितनी कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कृषि योग्य भूमि को भूमिहीनों में आबंटन हेतु पिछले तीन वर्षों से मामला सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त विचाराधीन मामले में सरकार कब तक निर्णय लेगी ?

उत्तर

(1) लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र की पूगल उपनिवेशन तहसील क्षेत्र के अलावा खाजूवाला, पूगल, लूणकरणसर और बीकानेर राजस्व तहसीलों में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित है।

(2) उक्त सिवायचक कृषि योग्य भूमि को भूमिहीनों को आबंटन हेतु राज्य सरकार के पास कोई मामला विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.

(राजस्व मंत्री)

6 (9) राज–4/76 दिनांक 21-4-76 के द्वारा बीकानेर जिला मरूस्थलीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाने के कारण आबंटन पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है जिसे हटाने बाबत प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

जनजाति समुदाय के विकास हेतु महाराष्ट्र पेटर्न

4. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जनजाति विकास आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त के पदों को अलग-अलग करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार वर्ष 1998–99 से राज्य में जनजाति समुदाय के विकास के लिए महाराष्ट्र पेटर्न लागू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनजाति विकास आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त उदयपुर के पदों को अलग-अलग करने का राज्य सरकार अभी तक विचार नहीं रखती है, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है।

(2) जी, हां। जनजाति समुदाय के विकास हेतु महाराष्ट्र पेटर्न लागू करने का प्रकरण विचाराधीन है।

बांसवाड़ा जिले के विद्यालयों में अध्यापकों व प्राध्यापकों के रिक्त पद

5. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बांसवाड़ा जिले में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने अध्यापकों व प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं ? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1 व 2) विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

बांसवाड़ा जिले में रिक्त पद

I	II	III
60	14	03

(अ) व्याख्याताओं के पद विभागीय पदोन्नति समिति/लोक सेवा आयोग द्वारा आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर शीघ्र भर दिये जायेंगे।

(ब) द्वितीय वेतन शृंखला नियुक्ति पर से प्रतिबन्ध राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 5 (15) शिक्षा–2/98 दिनांक 24-2-98 द्वारा हटा लिया गया है, अतः रिक्त पद शीघ्र भर दिये जायेंगे।

(स) माध्यमिक विद्यालय / सीनियर माध्यमिक विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद भरने पर राज्य सरकार

(शिक्षा मंत्री)

द्वारा प्रतिबन्ध लगा होने के कारण पद भरा जाना संभव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

राज्य की संरक्षित इमारतों के रख-रखाव पर व्यय

6. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 में अब तक संरक्षित इमारतों के रख-रखाव पर कितना व्यय किया गया है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कुल कितनी संरक्षित इमारतें है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त इमारतों की मरम्मत के तखमीना बनाये जाते हैं ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में उन तखमीनों के अनुसार कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों/स्मारकों के रख-रखाव पर वर्ष 1996-97 में 11.99 लाख एवं वर्ष 1997–98 में अब तक 98.28 लाख रुपये व्यय किये जा चुके है, जिलेवार तथा इमारतवार विवरण संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा 224 संरक्षित स्मारक घोषित है। सूची संलग्न हैं।

(3) जी, हां। गत दो वर्षों में तैयार किये गये तखमीनों के अनुसार 110.27 लाख राशि व्यय की गई।

(सूची व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

राजस्थान कोआॅपरेटिव डेयरी फैडरेशन के संचालक मण्डल का चुनाव प्रकरण

7. **श्री हरिसिंह** (महुआ) एवम् **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन के संचालक मंडल का चुनाव नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो अब कब तक करवा दिया जायेगा एवं नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपने के लिये जिला दुग्ध उत्पादन संघों के अध्यक्षों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या जिला दुग्ध उत्पादक संघों के अध्यक्षों की स्वीकृति ली जा चुकी है ? यदि नहीं, तो नियम विरुद्ध एन.डी.डी.बी. को संचालन का भार क्यों दिया गया ?

उत्तर

(1) जी, हां। याचिका संख्या–2730/97 द्वारा संचालक मण्डल के चुनाव का मामला माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है।

(2) जी, नहीं। राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपने के लिए जिला दुग्ध उत्पादक संघों के अध्यक्षों की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। अतः नियम विरुद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दौसा जिले में इन्दिरा ग्रावास योजनान्तर्गत निर्मित भवन

8. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा जिले में वर्ष 1997–98 में इन्दिरा ग्रावास योजना के ग्रन्तर्गत कितने मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) दौसा जिले की पंचायत समितियों द्वारा ग्रब तक कितनी-कितनी इन्दिरा ग्रावास योजना की स्वीकृति जारी की जा चुकी है ? पंचायत समितिवार सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) दौसा जिले में वर्ष 1997-98 में इन्दिरा ग्रावास योजनान्तर्गत 1142 इन्दिरा ग्रावास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । पंचायत समितिवार लक्ष्य निर्धारण निम्न प्रकार है :—

1– पंचायत समिति, दौसा	– 257
2– पंचायत समिति, लालसोट	– 232
3– पंचायत समिति, महुग्रा	– 198
4– पंचायत समिति, बांदीकुई	– 257
5– पंचायत समिति, सिकराय	– 198
योग	1142

(2) दौसा जिले की पंचायत समितियों द्वारा माह फरवरी, 98 तक जारी की गई स्वीकृतियों का विवरण निम्नानुसार है (सूची संलग्न)

1– पंचायत समिति, दौसा	– 219
2– पचायत समिति, लालसोट	– 155
3– पंचायत समिति, महुग्रा	– 203
4– पंचायत समिति, बांदीकुई	– 170
5– पंचायत समिति, सिकराय	– 132

प्रार्थियों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है ।

(सूची विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

लाडनूं उपखण्ड के ग्राम निम्बी जोधा में 33 के.वी.ए. का सब ग्रिड स्टेशन

9. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि खण्ड सुजानगढ़ उपखण्ड लाडनूं के ग्राम निम्बी जोधा में 33 के. वी. ए. का ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो कब तथा उसका कार्य कब प्रारम्भ हुग्रा ?

(2) क्या यह भी सही है कि सुजानगढ़ से लाडनूं 33 के.वी.ए. की एक सीधी लाइन स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो कब तथा उसका कार्य कब प्रारम्भ हुग्रा ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों कार्य ठेके पर दिये गये थे ? यदि हां, तो कब-कब तथा ठेके की शर्तों के ग्रनुसार उक्त कार्य कब पूरे होने चाहिए थे तथा कब पूरे हुये ? ठेकेदारों के साथ किये गये एग्रीमेंट्स की प्रति सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(4) क्या यह सही है कि ठेकेदारों ने एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं किया तथा कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हैं ? यदि हां, तो उक्त ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन थे और उन्होंने क्या-क्या कार्यवाही की ?

(5) अब तक उक्त दोनों कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के लिये कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(6) क्या यह भी सही है कि उपखण्ड लाडनूं में इसके बाद एक और ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत हुआ था और उसका कार्य सम्पूर्ण कर दिया गया ? यदि हां, तो कौनसा कब स्वीकृत हुआ, कब कार्य शुरू हुआ तथा कब पूरा हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। खण्ड सुजानगढ़ उपखण्ड लाडनूं में ग्राम निम्बी जोधा में 33 के.वी.ए. का जी.एस.एस. दिनांक 18.5.96 को स्वीकृत हुआ तथा इसका कार्य दिनांक 23.2.1998 से प्रारम्भ हुआ।

(2) जी, हां। इस लाइन की स्वीकृति 21.3.95 को जारी हुई थी और इसका कार्य माह मार्च, 1996 में प्रारम्भ हुआ था।

(3) जी, हां। उक्त दोनों कार्य ठेके पर दिये गये थे जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(1) सुजानगढ़ से लाडनूं लाइन का निर्माण कार्य-

इस लाइन का निर्माण कार्य फरवरी, 96 में ठेके पर दिया गया था, जो सामान उपलब्ध करा कर मार्च, 96 तक सम्पन्न करना था। ठेकेदार द्वारा 195 खम्बे खड़े किये गये तथा 68 खम्बों पर तार खेंचे गये। परन्तु जसवन्तगढ़ ग्राम के पास दरगाह प्रबन्धक समिति एवं आसोटपुरा के पास खेत मालिकों ने उक्त कार्य नहीं करने दिया। ठेकेदार ने इस पर कार्य रोक दिया, इसके पश्चात् ठेकेदार को माह नवम्बर, 1996 में पुनः कार्य शीघ्र शुरू करने के लिये लिखा गया था, लेकिन ठेकेदार ने कार्य शुरू नहीं किया। इसके बाद ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली गई। तत्पश्चात् कार्य मण्डल स्तर पर किया जाना था लेकिन खेतों में फसल खड़ी होने के कारण किसानों ने कार्य नहीं करने दिया। यह प्रयास किया जा रहा है कि फसल कटने पर कार्य शीघ्र पूर्ण करवाया जा सके। एग्रीमेंट की प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ग्राम निम्बी जोधा में 33/11 के.वी. सब स्टेशन का निर्माण कार्य :-

ग्राम निम्बी जोधा में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन निर्माण कार्य माह अक्टूबर, 1997 में ठेके पर दिया गया था जो सामान की उपलब्धि होने पर एक माह में पूरा करना था लेकिन अभी तक नहीं किया गया था। कार्य पूरा करने के लिये हिदायत दी जा चुकी है। एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) जी, हां। ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये अधीक्षण अभियन्ता, चूरू सक्षम अधिकारी हैं। सुजानगढ़ लाडनूं 33 के.वी. लाईन के लिये ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त करली गई है एवं निम्बी जोधा में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन निर्माण कार्य में देरी के लिये ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये प्रक्रिया जारी है।

(5) उक्त दोनों कार्यो में शेष कार्य शीघ्र सम्पन्न करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसमें किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है।

(6) जी, हां। उपखण्ड लाडनूं में ग्राम सुनारी में 33 के. वी. सब–स्टेशन निर्माण करना माह अक्टूबर, 1997 में स्वीकृत हुआ था। ग्राम सुनारी के वासियों ने इस कार्य में पूर्ण जन सहयोग किया जिससे यह कार्य माह फरवरी, 1998 के प्रथम सप्ताह में प्रारम्भ कर मार्च, 1998 के प्रथम सप्ताह में पूर्ण कर दिया गया।

(प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

हिण्डौन क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालय

10. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में गत चार वर्षों में औषधालय खोले गये हैं? यदि हां, तो कुल कितने एवं नहीं, तो क्षेत्र की उपेक्षा करने के क्या कारण रहे?

(2) क्या सरकार अगले वित्तीय वर्ष में हिण्डौन क्षेत्र में औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने एवं कहां-कहां?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वित्तीय संसाधनों की कमी होने के कारण गत 4 वर्षों में हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में कोई नवीन औषधालय स्वीकृत नहीं किया गया।

(2) जी, नहीं। फिलहाल विभाग को नवीन औषधालय खोलने हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित नहीं है।

फलासिया में नये पशु चिकित्सालय

11. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में वर्तमान में कहां–कहां पशु औषधालय हैं तथा प्रत्येक में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? क्या स्वीकृत पद अनुसार वहां अधिकारी/कर्मचारी पदस्थापित हैं? यदि नहीं, तो क्यों? औषधालयवार, रिक्त पद रहने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की आवश्यकता के हिसाब से वर्तमान स्थापित पशु औषधालयों को पर्याप्त मानती है? यदि हां, तो किस आधार पर और नहीं, तो क्यों?

(श्री कुबेरसिंह)

(3) सरकार उक्त क्षेत्र में और नये पशु औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासियां जिला उदयपुर में वर्तमान में 5 पशु चिकित्सालय क्रमशः झाड़ोल, फलासियां, बागपुरा, कोटडा, मामेर तथा 2 पशु औषधालय क्रमशः गोराना एवं जोगीवड कार्यरत हैं। स्वीकृत पदों के अनुसार मात्र 3 पद उक्त संस्थाओं में रिक्त हैं। पशु चिकित्सालय, मामेर में डॉक्टर एवं सईस का पद तथा पशु चिकित्सालय, कोटडा में एक वी. ए. का पद रिक्त हैं। शेष सभी पद भरे हुए हैं। स्वीकृत पदों की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी है। इन रिक्त पदों को भरने हेतु नई नियुक्तियां एवं पदोन्नति की प्रक्रिया जारी हैं, प्रक्रिया पूर्ण होते ही रिक्त पदों को भर दिया जावेगा।

(2) जी, नहीं। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसार 7500 पशु इकाई पर तथा 10 किमी. के दायरे में एक पशु चिकित्सालय खोला जाना चाहिए।

(3) वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण नया पशु औषधालय खोला जाना फिलहाल सम्भव नहीं है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रावधान होने पर इस पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

उदयपुर जिले की तहसीलों में सिंचाई क्षेत्रों में असमानताएं

12. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में सिंचाई क्षेत्रों में असमानताएं हैं ? यदि हां, तो इन असमानताओं को कम कर सभी तहसीलों में एकरूपता लाने हेतु राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपलब्ध जल के संग्रहण में भी काफी असमानताएं हैं ? यदि हां, तो जिन तहसीलों में निम्नतम संग्रहण की व्यवस्था है उसे अन्य तहसीलों के समकक्ष लाने के लिए क्या योजना है एवं उसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। किसी भी तहसील में सिंचाई क्षेत्र वर्षा की मात्रा, बांध निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल, जल संसाधन एवं बांध में संग्रहण जल के उपयोग हेतु उपयुक्त कमाण्ड क्षेत्र की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न तहसीलों में समान सिंचाई क्षेत्र उपलब्ध होना सम्भव नहीं है। ऐसी असमानताओं को कम कर एकरूपता लाने हेतु कोई योजना बनाई जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी, हां। उदयपुर जिले की गोगुन्दा, झाडोल एवं कोटडा तहसील क्षेत्रों में उपलब्ध जल की तुलना में संग्रहण क्षमता

(मुख्य (सिंचाई) मंत्री)

अन्य तहसीलों से कम है। यह असमानता प्राकृतिक देन है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, अतः अन्य तहसीलों के समकक्ष लाने हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है। केवल उपलब्ध जल संसाधनों को लाभ-लागत अनुपात के आधार पर ही विकसित किया जा सकता है।

कृषि उपज मण्डी समिति डीग द्वारा सड़क निर्माण के प्रस्ताव

13. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

कृषि उपज मंडी समिति, डीग द्वारा सड़कें बनानें के कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं एवं इन पर स्वीकृति नहीं होनें के क्या कारण हैं? विचाराधीन प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कृषि उपज मंडी समिति, डीग के निम्न सड़कों को बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं :-

क.सं.	नाम सम्पर्क सड़क	लम्बाई कि.मी.
1-	डीग कुम्हेर रोड से बदनगढ़ (शेष लम्बाई)	0.50 (मिसिंग)
2.	कोरेर से खेड़ा ब्राह्मण (शेष लम्बाई)	1.75 (लैन्थ)
3-	मौरोली से मवई (शेष लम्बाई)	0.30)

उक्त सड़कों के मिसिंग लैन्थ के प्रस्ताव मण्डी समिति के वित्तीय स्थिति ठीक नहो होने एवं परियोजना कार्य प्रगति में होने के कारण स्वीकृति पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

टोडाभीम (करौली) में नई तहसील

14. श्री रामस्वरूप मीणा (टोड़ाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नई तहसील घोषित करनें के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या सरकार वर्ष 1997-98 में नई तहसील खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां?

(3) क्या सरकार का जिला करौली की तहसील टोडाभीम के अन्तर्गत भी कोई और तहसील खोलने का विचार है? यदि हां, तो कहां?

उत्तर

(1) मजिठिया समिति की सिफारिशों के अनुसार कई तहसील स्थापित करनें हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित हैं :-

सामान्य तहसील क्षेत्र में तहसील स्थापित करने हेतु 40 पटवार मण्डल, रेगिस्तानी क्षेत्र में 30 पटवार मण्डल व आदिवासी क्षेत्र हेतु 20 पटवार मण्डल का मापदण्ड निर्धारित किया हुआ है।

(2) जी, हां। वर्ष 1997-98 में नई तहसील खोलने के प्रस्ताव राज्य सर-

(राजस्व मंत्री)

कार के विचाराधीन हैं। यह तहसीलें कहां-कहां स्थापित होंगी, यह अभी बताना संभव नहीं है।

(3) जी, नहीं। जिला करौली की तहसील टोड़ाभीम में नई तहसील स्थापित करने का कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पाली जिले के सोमनाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार

15. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पाली जिले के सोमनाथ मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिए कुछ राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कितनी? स्वीकृति संबंधी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सोमनाथ मन्दिर के जीर्णोद्धार का कार्य राज्य सरकार द्वारा अभी तक चालू नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो अब तक, कितने मजदूरों द्वारा कितने दिनों तक क्या-क्या कार्य किया गया है एवं इस कार्य के लिए कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च कर दी गई है?

(3) राज्य सरकार इस कार्य को कब से प्रारम्भ कर कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है? अब तक हुई देरी के लिए राज्य सरकार किन-किन अधिकारियों को दोषी मानती है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। सोमनाथ मन्दिर पाली के जीर्णोद्धार पर दो चरणों में 29 लाख रुपये व्यय करना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में व्यय हेतु अन्य 5 मन्दिरों के साथ 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृति परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) जी, नहीं। मन्दिर श्री सोमनाथ पाली के जीर्णोद्धार का कार्य आवास विकास संस्थान, जयपुर के माध्यम से प्रारम्भ किया जा चुका है और इसमें लगे मानव श्रम दिवसों, कार्य दिवसों का विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है। आवास विकास संस्थान के द्वारा अब तक जीर्णोद्धार कार्य पर 80 हजार रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(3) मन्दिर श्री सोमनाथ महादेव पाली के जीर्णोद्धार का कार्य दिनांक 8–11–97 से प्रारम्भ किया जा चुका है। जीर्णोद्धार का कार्य आवास विकास संस्थान के माध्यम से कराया जा रहा है। चूंकि मन्दिर अति प्राचीन एवं कलात्मक महत्व का है। अतः जीर्णोद्धार कार्य में सावधानी रखनी आवश्यक है। इस कार्य हेतु कुशल कारीगरों का होना भी आवश्यक है। कार्य की विशेष प्रकृति को देखते हुए कोई अधिकारी दोषी प्रतीत नहीं होता है।

(स्वीकृति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

प्रश्न संख्या 16

(स्थगित)

राज्य की सहकारी संस्थाओं के चुनाव

17. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में ग्राम सेवा समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों व जिला सहकारी बैंकों के चुनाव इतने लम्बे समय बाद भी नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं।

(2) क्या सरकार उक्त चुनाव अब शीघ्र कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पैक्स/लैम्पस के निर्वाजन की प्रक्रिया में परिवर्तन का प्रस्ताव विचाराधीन था। महाराष्ट्र राज्य में पैक्स के चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन कराने के लिए अध्ययन दल का गठन कर वहां प्रचलित निर्वाचन प्रावधानों एवं प्रक्रिया का अध्ययन कराया गया। निर्वाचन प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन कर पैक्स/लैम्पस के निर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर माह जनवरी, फरवरी, 98 में निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित था। इसी बीच बारहवीं लोकसभा का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के कारण इन्हें स्थगित करना पड़ा। क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निर्वाचन पैक्स/लैम्पस के निर्वाचन के पश्चात् कराए जाने संभव हो सकेंगे क्योंकि पैक्स/लैम्पस के निर्वाचित प्रतिनिधि इन चुनाव में भाग लेते हैं।

(2) हां। माह जून, 98 तक सहकारी संस्थाओं में सघन वसूली कार्यक्रम होने एवं इसके पश्चात् माह जुलाई, अगस्त में निर्वाचन कराए जाने का प्रस्ताव है।

प्रश्न संख्या 18

(स्थगित)

कृषि कनेक्शनों में किसानों को रियायतें

19. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत चार वर्षों में कृषि कनेक्शन से सम्बन्धित ट्रान्सफार्मर कम जले हैं ?

(2) राज्य में कुल कितने ट्रान्सफार्मर जले ? उनमें से कितने कृषि से सम्बद्ध और कितने जलदाय विभाग व अन्य उद्योगों/घरेलू विद्युत वाले थे ?

(3) क्या सरकार कृषि कनेक्शनों में किसानों को और रियायतें देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

उत्तर

(1) यह बताना संभव नहीं है कि गत 4 वर्षों में कृषि कनेक्शनों से सम्बन्धित ट्रान्सफार्मर कम जले हैं क्योंकि एक ही ट्रान्सफार्मर से कृषि के अलावा अन्य श्रेणी के कनेक्शन भी दिए जाते हैं।

(2) राज्य में वर्ष 1996–97 में लगभग 18819 ट्रान्सफार्मर जले हैं तथा

(ऊर्जा मंत्री)

ट्रान्सफार्मरों पर कृषि के अलावा अन्य श्रेणी के भी कनेक्शन होने की वजह से यह बताना संभव नहीं है कि जले हुये ट्रान्सफार्मरों में से कितने कृषि से संबद्ध थे व कितने जलदाय विभाग व अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं से ।

(3) समय-समय पर कृषि उपभोक्ताओं की समस्याओं का परीक्षण का समग्र परिपेक्ष्य में निर्णय किये जाते हैं ।

आयुर्वेद चिकित्सक के पदों पर भर्ती

20. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार ने गत तीन वर्षों में कितने नये औषधालय किन-किन जिलों में खोले हैं ?

(2) इस अवधि में वर्षवार कितने चिकित्सकों की भर्ती विभाग ने की ?

(3) विभिन्न जिलों में इस अवधि में वर्षवार आयुर्वेदिक चिकित्सकों के कितने कितने पद रिक्त हैं और इन्हें अब तक क्यों नहीं भरा गया ?

(4) राज्य में वर्तमान में कितने आयुर्वेदिक स्नातक बेरोजगार हैं और उनके रोजगार हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों 1994–95 से 1996–97 में राज्य में 25 नवीन औषधालय आयुर्वेद विभागान्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) उक्त अवधि में नवीन नियुक्त किये गये चिकित्सकों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार हैं––

वर्ष	नियुक्त चिकित्सकों की संख्या
1994–95	6
1995–96	276
1996–97	18
योग–	300

(3) आयुर्वेद विभागान्तर्गत वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सकों के 156 पद रिक्त हैं जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रख दिया गया है । तदर्थ रूप से नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सकों एवं आयोग द्वारा तैयार की गई आरक्षित सूची में चयनित अभ्यर्थियों के मध्य मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

(4) समुचित जानकारी प्राप्त की जा रही है इसमें समय लगने की संभावना है । आयुर्वेद स्नातक बेरोजगारों की रिक्तियों के अनुसार भर्ती की जाती है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन का समापन

21. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन, जयपुर को बन्द करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कब व क्यों ? उक्त फैडरेशन के पास दिनांक 24-2-98 को उपलब्ध विभिन्न प्रकार की ऊन व कारपेट यार्न के बेलेन्स की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त फैडरेशन द्वारा वर्ष 1990-91 से वर्ष 1997-98 के दौरान कब–कब कितनी–कितनी ऊन व कारपेट यार्न किस–किस दर से बेची गई ? बेची गई ऊन व कारपेट यार्न की प्राप्ति/खरीद की तिथि क्रय दर व लाभ–हानि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि ऊन व कारपेट यार्न की बिक्री करने तथा उस पर लाभ–हानि की गणना करने के लिये सिद्धान्त व मार्गदर्शक बिन्दु निश्चित किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) फैडरेशन को अभी बन्द नहीं किया गया है । उसे बन्द करने का प्रकरण राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं। दिनांक 23-2-98 को फैडरेशन के पास उपलब्ध ऊन व कारपेट यार्न की बेलेन्स की सूची संलग्न है ।

(2) फैडरेशन द्वारा वर्ष 1990-91 से 1997-98 के दौरान ऊन व कारपेट यार्न का क्रय विक्रय तथा लाभ हानि के ब्यौरे की सूची संलग्न है ।

(3) ऊन व कारपेट यार्न की बिक्री करने तथा उस पर लाभ हानि की गणना के लिए निर्धारित मापदण्डों के विषय में जारी आदेशों की प्रति संलग्न है ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

पंचायत समिति सरदार शहर में वर्ष 1997 के भ्रष्टाचार प्रकरण

22. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदार शहर) : क्या मुख्य (राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति सरदार शहर में वर्ष 1996 एवं 1997 में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कितने मुकदमें दर्ज हुवे, उनमें क्या क्या कार्यवाही की गई एवं इन मुकदमों में कितने अधिकारी/कर्मचारी तथा सरपंच/पूर्व सरपंच दोषी पाये गये, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम करणसर के पूर्व सरपंच द्वारा अपने पुत्र के नाम से फर्जी भुगतान उठा लिया गया जब कि उसका पुत्र विदेश गया हुआ था और यह रिकार्ड पासपोर्ट विभाग में मौजूद है ? यदि हां, तो इस प्रकरण का निस्तारण करके मुलजिमों की गिरफ्तारी कब तक कर ली जायेगी ? तहसीलदार, जिला ग्रामीण

(श्री भंवरलाल शर्मा)

विकास प्राधिकरण तथा पुलिस विभाग द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति सरदारशहर में वर्ष 1997 में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कोई मुकदमा राज्य अन्वेषण ब्यूरो (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग) में दर्ज नहीं हुआ।

(2) दिनांक 2-11-96 को राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो में मुकदमा संख्या 230/96 इस विषय बाबत दर्ज किया गया। प्रकरण अनुसंधानाधीन है। पूर्व सरपंच द्वारा अपने पुत्र के नाम फर्जी भुगतान उठाने के सम्बन्ध में सत्यापन हेतु दस्तावेज पुलिस विधि विज्ञान प्रयोग शाला को भेजे गये हैं एवं उनका प्रतिवेदन आने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। तहसीलदार द्वारा कोई जांच नहीं की गई। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की जांच रिपोर्ट परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र में विद्यालयों के क्रमोन्नति के प्रस्ताव

23. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993-94 से 1997–98 तक निर्वाचन क्षेत्र जहाजपुर में एक भी माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त अवधि में भीलवाड़ा जिले में माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो कहां-कहां, किन-किन शर्तों पर ? स्थान का नाम पात्रता एवं खोलने के कारण सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्ष 1993–94 से 1997–98 की अवधि में प्रत्येक विधायक से विद्यालय क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव मांगें गये थे एवं विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर विधायक द्वारा भी प्रस्ताव दिये गये थे? यदि हां, तो कहां-कहां के प्रस्ताव कब-कब किस वर्ष में दिये गये और उन पर किन-किन कारणों/आधारों/मानदण्डों से विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किये गये ?

(4) क्या विभागीय नीति एवं वित्तीय स्थिति जहाजपुर क्षेत्र के अलावा अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में बाधक नहीं थी ? यदि हां, तो जहां विद्यालय खोले गये उनके तथा जहाजपुर क्षेत्र में प्रस्तावों के अनुसार विद्यालय नहीं खोले गये, उनके कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि गत 4 वर्षों में जिन क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है उन क्षेत्रों को अब वर्ष 1998–99 में प्राथमिकता दी जायेगी ? यदि हां, तो जहाजपुर क्षेत्र में कौन-कौन से विद्यालय माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति की पात्रता रखते हैं ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 1993–94 में

(शिक्षा मंत्री)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामलदार को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है।

(2) जी, हां। उक्त अवधि में 12 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर, 15 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित निर्धारित शर्तों पर क्रमोन्नत किये गये हैं :-

1. ग्राम की जनसंख्या
2. न्यूनतम छात्र संख्या
3. फीडर विद्यालयों की उपलब्धता
4. निकटतम शिक्षा सुविधा
5. उपलब्ध भवन व्यवस्था
6. जनप्रतिनिधियों की मांग
7. वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता
8. गुणावगुण के आधार पर

(3) विभागीय प्रस्तावों के अतिरिक्त माननीय विधायकों से भी विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये थे। विद्यालय क्रमोन्नति के समय विभागीय प्रस्तावों के साथ माननीय विधायक जहाजपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर भी विचार किया जाकर निर्णय लिया गया था।

(4) जी, नहीं।

(5) वर्ष 1998-99 में बजट उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य प्रस्तावों के साथ विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के प्रस्तावों पर भी निर्धारित मानदण्डों के परिपेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न के भाग 2 व 4 की सूची (विद्यालय क्रमोन्नति)

वर्ष 1	उ. प्रा. वि. से मा. वि. 2	मा. वि. से सी. मा. वि 3
1993-94	1. ग्रामलदार (जहाजपुर)	1. बालिका-जहाजपुर (जहाजपुर)
1994-95	2. सुपास (माण्डल)	2. ब्राह्मणों की सरेरी सुवाणा
	3. सुरास (माण्डल)	3. पुर, भीलवाड़ा शहर (भीलवाड़ा)
	4. संग्रामगढ (आसिन्द)	4. कारोई (सुवाणा)
	5. तसवारियावासा (शाहपुरा)	5. बालिका बनेड़ा (बनेड़ा)
	6. बालिका-बीगोद (माण्डलगढ़)	6. बालिका-बिजोलिया (भीलवाड़ा)
	7. बालिका-सांगानेर, भीलवाड़ा	7. बालिका-कोटड़ी (कोटड़ी)
1995-96	8. बरड़ोद (सुवाणा)	8. बरसनी (आसीन्द)
		9. शम्भूगढ़ (आसीन्द)
		10. बालिका-आसीन्द (आसीन्द)

1	2	3
1996-97	9. बालिका पोटला (सहाड़ा)	11. बालिका-गुलाबपुरा (हुरड़ा)
1997-98	10. तितोली (आसीन्द)	12. कनेछन कलां (शाहपुरा)
	11. खटवाड़ा (माण्डलगढ़)	13. आगुंचा (हुरड़ा)
	12. बालिका गांधीनगर, भीलवाड़ा शहर	14. भगवानपुरा (माण्डल)
		15. मांगरोप (सुवाणा)

राज्य तिलम संघ की अलाभकारी इकाइयों के बेचान प्रस्ताव

24. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में राज्य सहकारी तिलम संघ को कितना-कितना लाभ व हानि रही और वर्तमान में संघ को कुल कितना घाटा हुआ है तथा घाटे के मुख्य कारण क्या रहे ?

(2) क्या यह सही है कि संघ ने अलाभकारी इकाइयों के बेचान करने का प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो किन किन इकाइयों के सम्बन्ध में प्रस्ताव किये गये हैं और क्यों ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों की लाभ/हानि की स्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	वर्ष	संचालन लाभ/ हानि (लाखों में)	शुद्ध हानि (रुपये लाखों में)
1.	1994-95	- 195.40	1956.06
2.	1995-96	+ 81.48	- 1760.29
3.	1996-97	+181.77	- 1718.46

वर्ष 1997-98 में (1-4-97 से 31-12-97) तक लगभग रु. 1346.08 लाख की शुद्ध हानि की संभावना है। इस घाटे के मुख्य कारण निम्न है :-

(अ) इस शुद्ध हानि रुपये 1346.08 लाख में रुपये 877.55 लाख दीर्घावधि ऋण पर ब्याज के एवं रुपये 418.53 लाख ह्रास के शामिल हैं। वर्ष भर से अनुमानतः 10 लाख रुपये परिचालन लाभ प्राप्त होने की आशा है।

(ब) इस वर्ष भारत सरकार द्वारा अकस्मात आयात शुल्क में कमी करने से आशा से परे खाद्य तेल का आयात हो गया एवं भाव काफी गिरने से विपरीत बाजार रुख दिसम्बर, 1997 तक रहा।

(स) इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 7 मार्च, 1994 को पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निम्न कारण बताये गये थे :-

1. सावधि ऋण पर अत्यधिक ब्याज एवं अत्यधिक ह्रास का अपलेखन होना।

2. कार्यशील पूंजी पर अत्यधिक ब्याज एवं कार्यशील पूंजी में कमी आना।

(सहकारिता मंत्री)

3. किसानों के हित में बनाई गई उपार्जन नीति ।
4. प्रक्रियण हानि का होना ।
5. बिक्री कर से विमुक्ति का न होना ।
6. विपरीत बाजार रुख का होना ।
7. सामाजिक हितों को मध्यनजर रखना ।
8. निजी क्षेत्र की भांति कर चोरी का न होना ।
9. समुचित विपणन आधारभूत संरचना का न होना ।
10. संचयी हानियां ।
11. पर्याप्त कार्यशील पूंजी का न होना ।

(2) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 7 मार्च, 1994 को पंजीयक महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने हानि के कारणों का विश्लेषण कर लाभ में लाने हेतु एक पुनर्वास योजना बनाई थी। इस पुनर्वास योजना पर दिनांक 25-1-95 को मुख्य सचिव महोदय के कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें वित्त सचिव, सहकारिता सचिव एवं प्रबन्ध संचालक, राष्ट्रीय विकास निगम, नई दिल्ली भी उपस्थित थे। इस बैठक में अन्य निर्णयों के साथ एक निर्णय यह भी था कि अलाभकारी इकाईयां यथा झुन्झुनूं, मेड़ता सिटी एवं जालौर निजी क्षेत्र को लीज/कस्टम बेसिस पर दे दिया जावे। यदि ऐसा सम्भव नहीं हो तो ये इकाईयां बन्द कर दी जाये। उक्त निर्णयानुसार दो बार समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये गये तथा किसी भी पार्टी ने निविदा प्रपत्र नहीं खरीदा। तिलम संघ द्वारा अपेक्स बैंक को ऋण किस्त एवं ब्याज का भुगतान नहीं कर पाने के कारण बैंक को कृषि ऋण प्रदान करने में असमर्थ होने की संभावना थी, जिसने राजस्थान की कृषि पर विपरीत असर पड़ सकता था। इस विषम स्थिति से बचने के लिए संघ की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि संघ की चार अलाभकारी इकाईयां यथा जालौर, झुन्झुनूं, मेड़तासिटी एवं गंगापुर सिटी को बन्द किया जाकर इनका निस्तारण कर दिया जाये, ताकि संघ के परिचालन लाभ में वृद्धि हो सके एवं अनावश्यक हानि से बचा जा सके। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव मंत्री मण्डल विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है।

कोटा जिले के ढीपरी चम्बल में अपूर्ण 33 के. वी. ए. ग्रिड सब-स्टेशन

25. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के ढीपरी चम्बल में 33 के. वी. ए. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो कब और कितनी राशि व इसका निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में उक्त ग्रिड सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कितना कार्य शेष है व विभिन्न मदों से कितनी-कितनी राशि का अब तक भुगतान किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रिड सब-स्टेशन पर जो कार्य किया गया उससे अधिक राशि का भुगतान ठेकेदार

(श्री रामगोपाल बैरवा)

को कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या सरकार उक्त ग्रिड सब-स्टेशन के खर्चे की जांच करवाने का विचार रखती है ?

(4) उक्त ग्रिड सब-स्टेशन का कार्य निश्चित अवधि में पूर्ण नहीं करने के लिये कौन दोषी है व विभाग द्वारा इसके लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी । विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । कोटा जिले में ढीपरी चम्बल में 33 के. वी. सब-स्टेशन वर्ष 1991-92 में स्वीकृत किया गया था । उस समय उसकी अनुमानित लागत 19 लाख रुपये थी । यह कार्य मार्च, 1992 में पूर्ण किया जाना था ।

(2) वर्तमान में सब-स्टेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है । केवल पावर ट्रांसफार्मर व 11 के. वी. ब्रेकर स्थापित करने का कार्य शेष है । इस कार्य के लिए सामान की व्यवस्था मण्डल स्तर पर की गई है । निर्माण कार्य का ठेका 26884/- रुपये का था, जिसमें से अब तक 17784/- रुपये रनिंग बिलों के रूप में भुगतान किया गया है ।

(3) ठेकेदार द्वारा जितना कार्य किया गया, उसी का भुगतान किया गया है । अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है । अतः जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है ।

(4) क्षेत्र में लोड ग्रोथ नगण्य होने से सब-स्टेशन का कार्य पहले पूर्ण नहीं किया गया था । इसके लिये कोई दोषी नहीं है । अब इस कार्य को लगभग पूर्ण किया जा चुका है । ढीपरी चम्बल सब-स्टेशन कमाण्ड क्षेत्र में होने से अभी मार्ग अवरुद्ध होने से ट्रान्सफार्मर भारी वाहन से ले जाने में कठिनाई है । रास्ता ठीक होने पर ट्रान्सफार्मर पहुंचाकर स्थापित कर दिया जावेगा ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों को राजकीय सेवा में लेने के नियम

1. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सेवा में किसी राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में से किसी को राजकीय सेवा में लेने सम्बन्धी कोई नियम/प्रक्रिया निर्धारित है ? यदि हां, तो उक्त नियम/प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को कितने दिन में राजकीय सेवा में लिया जाता है तथा उस विभाग में पद उपलब्ध नहीं होने पर क्या अन्य राजकीय विभागों में सेवा का अवसर दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार ने वित्तीय वर्ष 1997-98 में अब तक कितने मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दी है ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को सम्बन्धित विभाग में रिक्त पद उपलब्ध होने पर तुरन्त नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है। यदि तुरन्त ही पद रिक्त न हो तो आवेदन को लम्बित रखा जाता है अथवा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने अधीन के अन्य विभाग में नियुक्ति दी जाती है। उक्त प्रशासनिक विभाग के अधीन अगले दो वर्षों तक भी रिक्ति उपलब्ध नहीं होने पर कार्मिक विभाग द्वारा अन्यत्र नियुक्ति दिलवाई जाती है।

(3) मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्तियां जिला स्तर तक के नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं। जिनकी सूचना किसी एक ही स्थान पर संकलित नहीं की जाती हैं। इस प्रश्न के सन्दर्भ में सूचनाएं सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से अब प्राप्त की जा रही है। प्राप्त होते ही सदन को उपलब्ध करवा दी जायेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

डीडवाना (नागौर) के अतिक्रमणों का नियमन

2. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसे आदेश जारी कर रखे है कि अमुक समय तक सरकारी भूमियों पर अनुसूचित जाति, कारीगर, काश्तकार व कमजोर वर्ग द्वारा किये गये नाजायज कब्जों को नियमित किये जायें? यदि हां, तो कब तक? इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आदेशों की पालना में स्थानीय राजस्व अधिकारी कोई कार्यवाही कर रहे हैं? यदि हां, तो नागौर जिले के डीडवाना सब–डिवीजन में गत पांच वर्षों में इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और कितने ऐसे मामलों में नियमित करने की कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि उप खण्ड स्तर पर ऐसे मामलों को नियमित करने व आवंटन के लिये समिति बनी हुई है? यदि हां, तो उप खण्ड डीडवाना की इस समिति की बैठक कब-कब हुई और उसमें क्या-क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्यादेश क्रमांक प. 6 (7)राज/4/77/6 दिनांक 1-4-91 के द्वारा राजकीय कृषि भूमि एवम् अधिसूचना क्रमांक प. 6 (7)राज/4/77/राज-6/12 दिनांक 1-4-91 के द्वारा गैर मुमकिन भूमि पर दि. 15-7-84 या उससे पूर्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमिहीन व्यक्तियों/कृषकों द्वारा किये गये अतिक्रमणों को नियमित करने के आदेश दिये गये थे। प्रति संलग्न है। राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 6(9)राज/4/76 दिनांक 21-4-76 के द्वारा मरुस्थलीय जिलों में एक हैक्टेयर तक सिवायचक भूमियों पर किये गये अतिक्रमण को ही नियमन

(राजस्व मंत्री)

किये जाने का प्रावधान है। यदि अतिक्रमित रकबा एक हैक्टेयर से अधिक हो तो नियमन पर प्रतिबन्ध हैं।

(2) राज्य सरकार के आदेशानुसार स्थानीय राजस्व अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं। नागौर जिले के डीडवाना सब डिवीजन में गत पांच वर्षों में नियमन सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन नहीं होने से कार्यवाही नहीं की गई। चूंकि मामले ही विचाराधीन नहीं थे, इसलिये कोई भी मामला नियमित नहीं किया गया।

(3) जी, हां। यह सही है कि उपखण्ड स्तर पर ऐसे मामलों को नियमित करने व एलोटमेंट के लिए कमेटी बनी हुई है। उपखण्ड डीडवाना में ऐसे प्रकरण विचाराधीन नहीं होने से बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं हुई।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र दूदू में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

3. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र दूदू में आम रास्तों/चरागाह/गैर मुमकीन/पेटा काश्त की भूमि पर अतिक्रमण सम्बन्धी शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राप्त शिकायतों पर तहसीलदार, दूदू एवं फुलेरा द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या ऐसे भी प्रकरण हैं कि जहां पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है। यदि हां, तो कहां-कहां एवं अब तक कार्यवाही नहीं करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र दूदू में आम रास्तों/चरागाह/गैर मुमकिन व पेटा काश्त की भूमि पर अतिक्रमण करने सम्बन्धी तहसील दूदू में 71 व तहसील फुलेरा में 13 कुल 84 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

(2) तहसीलदार दूदू द्वारा प्राप्त शिकायतों में से 56 प्रकरणों में व तहसीलदार फुलेरा द्वारा 12 प्रकरणों में अतिक्रमण हटा दिया गया है। शेष 16 प्रकरणों में से 2 प्रकरणों में सिविल न्यायालय का स्थगन तथा 14 प्रकरणों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जैरकार है। विवरण परिशिष्ट "एक" में दिया गया है। सभी प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

इन्द्रगढ़ (बूंदी) का असिंचित कमाण्ड एरिया

4. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(1) क्या यह सही है कि विगत वर्षों में बूंदी जिले की तहसील इन्द्रगढ़ के बाबई क्षेत्र को कमाण्ड एरिया घोषित किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि कमाण्ड एरिया घोषित करने के बाद से लेकर आज तक उन किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाया है ?

(3) क्या उक्त एरिया में सिंचाई नहीं होने से किसानों व जनप्रतिनिधियों द्वारा कई तरह के अतिरिक्त भार से बचने के लिए उक्त एरिया को कमाण्ड से डी-कमाण्ड करने की शिकायतें/प्रार्थना पत्र प्रशासन व सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या एरिया को कमाण्ड से डी–कमाण्ड करके किसानों को राहत पहुंचाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या सरकार उक्त एरिया को कमाण्ड से डी-कमाण्ड करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) बाबई क्षेत्र में बांध परियोजनाओं से आंशिक रूप से सिंचाई होती है सिंचित क्षेत्र की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) बूंदी जिले में इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें/प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(4) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार में विचाराधीन नहीं है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

आमेर की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

5. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्याम बाबा मन्दिर, श्याम डूंगरी, नांगलरोड़, आमेर के खसरा नं. 734 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 633 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एवं आसपास की अन्य श्याम बाबा मन्दिर की/सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमणों की नागरिकों व मन्दिर संचालक मण्डल द्वारा लिखित शिकायतें स्थानीय प्रशासन को की गई ? यदि हां, तो उक्त सरकारी भूमि की सुरक्षा एवं अतिक्रमण रोकने/हटाने हेतु राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो क्यों ? श्याम डूंगरी व आस-पास की उक्त सरकारी भूमि के नक्शे, खसरा गिरदावरी तथा जमाबंदी की नकलों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्व विभाग के स्थानीय कर्मचारियों की मिली भगत से श्याम बाबा मन्दिर के आम रास्ते परिक्रमास्थल, सीढ़ियों के सामने एवं आस-पास की सरकारी भूमि के ज्यादातर अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक उक्त अतिक्रमण हटवा दिये जाएंगे ?

(3) उक्त भूमि पर अतिक्रमण रोकने बाबत गत एक वर्ष में स्थानीय प्रशासन द्वारा किन–किन के खिलाफ कब–कब

(श्री कुबेरसिंह)

सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा कब–कब नगर निगम जयपुर को लिखा गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं, व दोषियों के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त मन्दिर जहां हर वर्ष निरन्तर लाखों यात्री/श्रृद्धालुगण आते हैं, की सुविधा हेतु उक्त सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये ऐसे पेशेवर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में मुकदमे दर्ज करने/अतिक्रमणकारियों के सहयोगी स्थानीय कर्मचारियों को दण्डित करने एवं मन्दिर की सरकारी भूमि की पत्थरगढ़ी/तारबन्दी कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्याम बाबा मन्दिर, नांगल रोड आमेर के ख. नं. 734 में नहीं होकर ख. नं. 634 में स्थित है जिसका रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा गै. मु. पहाड़ है। मन्दिर के नाम पर भूमि अंकित नहीं हैं। उक्त ख. नं. पर 6 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत न्यायालय तहसीलदार, आमेर के कार्यालय में कार्यवाही जैरकार है। इस सम्बन्ध में मन्दिर संचालक व नागरिकों द्वारा शिकायत पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त शिकायत पत्रों पर तहसीलदार, आमेर द्वारा गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का आमेर को जांच करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। आमेर की जमाबन्दी, नकल नक्शा एवं खसरा गिरदावरी की छाया प्रति संलग्न है।

(2) ख.नं. 633 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा गै.मु. रास्ता रिकार्ड में दर्ज है जिस पर कोई अतिक्रमण नहीं है राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं कराये गये हैं। जिन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किये गये हैं उनको हटाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) उक्त भूमि पर अतिक्रमण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा नियमानुसार धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है उक्त भूमि राजस्व भूमि होने से अतिक्रमण हटाने के लिये तहसीलदार, आमेर एल.आर. एक्ट की धारा 91 के तहत सक्षम है। नगर निगम को नहीं लिखा गया है एवं अभी तक पुलिस में एफ. आई. आर. भी दर्ज नहीं कराई गई है।

(4) उक्त भूमि सिवाय चक सरकारी भूमि है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर अतिक्रमण से बेदखल किया जाता है। पेशेवर अतिक्रमी होने की सूचना प्राप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने की कोशिश करता हैं तो उक्त नियम की धारा 91 (6) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(छाया प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील टोडाभीम एवं नादोती की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

6. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला करौली की तहसील टोडाभीम एवं नादोती में कितनी चरागाह भूमि है ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसीलों की चरागाह सिवाय चक भूमि पर किन किन व्यक्तियों ने किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है ? ग्रामवार अतिक्रमणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) तहसील टोडाभीम में मेंहदीपुर बालाजी की चरागाह भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अब उक्त भूमि से अवैध कब्जा कब तक हटा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जिला करौली की तहसील टोडाभीम में 2996 हैक्टेयर एवं तहसील नादोती में 1694 हैक्टेयर चरागाह भूमि है। ग्रामवार सूची संलग्न है।

(2) उक्त तहसील टोडाभीम एवं नादोती की चरागाह एवं सिवाय चक भूमि पर जिन जिन व्यक्तियों ने जिस-जिस ग्राम में जितनी-जितनी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है उनकी ग्रामवार सूची संलग्न है।

(3) उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) तहसील टोडाभीम में मेंहदीपुर बालाजी की चरागाह भूमि पर जिन अतिक्रमियों ने कब्जा कर रखा है उनकी सूची संलग्न है।

(5) तहसील टोडाभीम के मेंहदीपुर बालाजी चरागाह-भूमि पर अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली के आदेश पारित किए जा चुके हैं। अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91(6) के अन्तर्गत थाना टोडाभीम में प्रकरण जेर तफतीश है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कूकस बांध के तटबंधों पर बने मकानों का नियमन

7. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुलिस चैक पोस्ट कुण्डा (आमेर) से मथुरा पोल तक की कूकस बांध की पक्की नहर के दोनों तरफ के (एक्यूमेन्ट एरिया) तटबंधों की सरकारी भूमि पर ग्राम नागरिकों के पक्के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मकान/निर्माण कार्य काफी अवधि से किये हुए हैं ? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा कितनी-कितनी भूमि पर ? नहर की चौड़ाई व क्षेत्र सहित नक्शे की प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त अनुपयोगी तटबंध की भूमि पर बने पक्के मकानों/निर्माण को देखते हुए नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस दर पर व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि पुलिस चैक पोस्ट कुण्डा (आमेर) से मथुरा पोल तक की कूकस बांध की पक्की नहर के दोनों तरफ (एक्यूमेन्ट एरिया) तटबन्धों की सरकारी भूमि पर आम नागरिकों के मकान/निर्माण करीब 20–25 वर्ष से किये हुए हैं। जिनकी संख्या लगभग 100 है। नहर के रकबे का क्षेत्रफल 2 बीघा 8 बिस्वा है एवं नहर की चौड़ाई लगभग 8 1/4 फीट है। जिन व्यक्तियों द्वारा मकान/निर्माण कर रखे हैं। उनका सर्वे कार्य तहसीलदार, आमेर द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है। जिसमें समय लगने की संभावना है। जिसका विवरण पृथक से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) तहसीलदार, आमेर से सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वस्तुस्थिति की जानकारी होगी। तदनुसार अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार संभव है।

वन भूमि पर वर्ष 1980 के पूर्व के कब्जों के नियमितिकरण का सर्वे

8. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने वन भूमि पर वर्ष 1980 के पूर्व के कब्जों की जांच व सर्वे का कार्य कराया है ? यदि हां, तो अब तक कितने मामले सरकार को प्राप्त हुए ? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्राप्त मामले केन्द्र सरकार को नियमन हेतु भिजवा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब व कितने ? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार से उक्त मामलों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में कोई स्वीकृति प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो इस संबंध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार को 3323 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। नियमन हेतु 3323 प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं। जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(वन मंत्री)

(3) जी नहीं। उक्त प्रकरणों के नियमितिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रस्ताव किया जा रहा है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट–12 देखें)

जिला नागौर के दैनिक वेतन भोगी कर्मी

9. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को निर्धारित सीमा तक राजकीय सेवा में रहने पर नियमित किया जा चुका है? यदि हां, तो नागौर जिले में इस वर्ष किस–किस श्रमिक को नियमित किया गया एवं नहीं, तो क्यों?

(2) क्या जिला नागौर में अभी भी ऐसे श्रमिक कार्यरत हैं जो दैनिक वेतन भोगी है और उनको नियमित नहीं किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन और कब-कब से तथा इनको नियमित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(3) जिनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है उनको अब कब तक नियमित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विभागीय स्थायी आदेश, 1973 के अन्तर्गत दो वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को अर्द्धस्थायी किया गया है। इस वर्ष नागौर जिले में दो वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने वाले दो दैनिक वेतन भोगी श्रमिक श्री राधेश्याम पुत्र श्री गोविन्दराम एवं श्री रामकरण पुत्र स्व. श्री निम्बाराम को अर्द्धस्थायी किया गया है।

(2) जी, हां। नागौर जिले में 5 ऐसे दैनिक वेतन भोगी श्रमिक हैं जिनको अभी तक अर्द्धस्थायी नहीं किया गया है। इन श्रमिकों के नाम तथा अर्द्धस्थायीकरण न किये जाने का कारण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(3) जिन 5 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को अभी स्थायी नहीं किया गया है उनको नियमानुसार दो वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर अर्द्धस्थायी किया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

श्रम न्यायालय भरतपुर के आदेश की पालना

10. श्री हरिसिंह (कुम्हेर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्रम न्यायालय, भरतपुर ने प्रकरण संख्या एल. सी. आर, 42/89 श्री बलदेव पुत्र श्री कोकी व अन्य ग्यारह श्रमिकगण बनाम मण्डल वन अधिकारी भरतपुर में यह आदेश दिया है कि उक्त श्रमिकगण पुनः सेवा प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा उनकी सेवा निरन्तर मानी जावेगी, साथ ही वे सभी देय लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे?

(2) क्या सरकार ने न्यायालय आदेश की पालना की है? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार अब कब तक उक्त आदेश की पालना करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) अवार्ड की पालना में श्रमिकों को पुनः सेवा में लिया जाकर प्रत्येक श्रमिक को 5,000 रुपये के हिसाब से 12 श्रमिकों को 60,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में स्वीकृत निर्माण कार्य

11. **श्री कमल** (हिण्डौन) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में वर्ष 1994 से अब तक कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि के दौरान कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये हैं तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं और उनके पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के अपूर्ण कार्यों को वर्ष 1998-99 में पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में वर्ष 1994 से अब तक स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में कराये गये निर्माण एवं अपूर्ण रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट "क" के कालम "3" तथा परिशिष्ट "ख" के कालम संख्या 7 एवं 8 में अंकित है।

(3) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं सामान्य परिस्थितियां रहने पर निर्धारित अवधि में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराया जाना सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

जिला सवाईमाधोपुर के कृषि उपज मण्डी भवन

12. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाईमाधोपुर में कुल कितनी कृषि उपज मण्डियां हैं ?

(2) कृषि उपज मण्डी, टोडाभीम को भवन निर्माण हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? उक्त भवन का कितना कार्य करवा दिया गया और शेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

(3) सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी हिण्डौन के नये मण्डी यार्ड का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा।

(4) कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर एवं हिण्डौन द्वारा विगत तीन वर्षों में कितनी सड़कें, कहां-कहां स्वीकृति की गई हैं एवम् उन पर कितना-कितना व्यय किया गया है ?

(5) उक्त स्वीकृत सड़कों में से कितनी अधूरी रही व कितनी पूर्ण हो चुकी है ? क्या सरकार अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई माधोपुर एवं गंगापुरसिटी है ।

(2) कृषि उपज मण्डी हिण्डौन के गौण मण्डी यार्ड टोडाभीम के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कुल 86.93 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई । भवनों के कार्य लगभग पूर्ण हैं केवल आन्तरिक सड़क का डामरीकरण का कार्य शेष है । जिस पर डामर इश्यू की जा चुकी है । ये समस्त कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना सम्भावित है ।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन के नवीन मण्डी प्रांगण हेतु प्राप्त भूमि पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम रोक लगाये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराये जा सके हैं । माननीय न्यायालय से जारी रोक हटने के पश्चात् ही मण्डी के निर्माण कार्य नियमानुसार कराये जाने सम्भव होंगे ।

(4) कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुर एवं हिण्डौन द्वारा विगत तीन वर्षों में स्वीकृत सड़कों एवं उन पर हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(5) उक्त स्वीकृत सड़कों में से पूर्ण एवं अधूरी सड़कों एवं उन्हें पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 4 एवं 5 में अंकित है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

अध्यापकों के चयन के मानदण्ड

13. **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में अध्यापक चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई मानदंड/प्रक्रिया निर्धारित है ? यदि हां, तो चयन प्रक्रिया में 10वीं एवं बी. एड. वालों का प्रतिशत निर्धारण किस प्रकार किया जाता है तथा खेल एवं ग्रामीण के कितने अंक जोड़े जाते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी, हां । शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत एवं प्रशैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत आधार अंक वरीयता में जोड़ने का प्रावधान है । जिले के स्थानीय शहरी निवासी को 10 अंक तथा उसी जिले के ग्रामीण निवासी को 15 अंक दिये जाते हैं । खेलकूद में जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता के प्रमाण पत्र धारिक को क्रमशः एक, तीन एवं पांच अंक दिये जाते हैं ।

निर्वाचन क्षेत्र थानागाजी के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

14. **श्री रमाकान्त** (थानागाजी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि थानागाजी निर्वाचन क्षेत्र के कई उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक लम्बे अर्से से अध्यापकों के पद रिक्त हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जहां एक ओर शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त व्यक्ति रोजगार के लिये दर–दर

(श्री रमाकान्त)

भटक रहे हैं वहीं दूसरी ओर छात्र-छात्राओं की शिक्षा पर अध्यापकों के अभाव में भारी प्रतिकूल असर पड़ रहा है ? ऐसी स्थिति में क्या सरकार अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। थानागाजी निर्वाचन क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 5 पद तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 7 पद रिक्त हैं। उक्त 12 पदों में से 10 पद शैक्षणिक सत्र के मध्य रिक्त हुए हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि अध्यापकों के पद लम्बे अर्से से रिक्त है।

(2) अध्यापक पदों की ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति पर प्रतिबन्ध राज्य सरकार द्वारा हटा लिया गया है तथा नियुक्ति प्रक्रियाधीन हैं। अतः रिक्त पद शीघ्र ही भरे जा रहे हैं।

ग्राम हिम्मतपुरा (कुशलगढ़) के संस्कृत विद्यालय का प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तन

15. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम हिम्मतपुरा पंचायत डुगरीपाडा में प्राथमिक संस्कृत) शाला कार्यरत है ? यदि हां, तो उसमें कितने अध्यापक कार्यरत हैं एवं नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त प्राथमिक (संस्कृत) शाला को प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। विद्यालय में दो पद स्वीकृत हैं जिनमें से एक पद दिनांक 9.4.97 से तथा दूसरा 1.6.97 से अध्यापकों द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के फलस्वरूप रिक्त हुआ है। नवीन नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के कारण इन्हें नहीं भरा जा सका हैं।

(2) जी, हां। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

वर्ष 1997–98 में क्रमोन्नत विद्यालय

16. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में दिनांक 1–4–97 के पश्चात् प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर के और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है ? यदि हां तो क्रमोन्नत विद्यालयों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में से कौन-कौन से विद्यालय स्थानीय लोगों के द्वारा धनराशि जमा कराने पर क्रमोन्नत किये गये हैं तथा कौन-कौन से विद्यालय बिना धनराशि जमा किये क्रमोन्नत किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। वित्तीय वर्ष 1997-98 में निम्नानुसार विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं :—

उच्च प्राथमिक स्तर	659
माध्यमिक स्तर	238
उच्च माध्यमिक स्तर	137

प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर के क्रमोन्नत विद्यालयों की जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के क्रमोन्नत विद्यालयों की जिलेवार सूची परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण निम्नानुसार है :—

	मावि	उमावि
जनसहयोग से धनराशि जमा कराने पर	90	54
बिना धनराशि जमा कराने पर	148	83
योग	238	137

माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर जिन विद्यालयों को जनसहभागिता के आधार पर क्रमोन्नत किया गया है परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध सूची में विद्यालयों के आगे जनसहयोग अंकित किया हुआ है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

भीम व देवगढ़ (राजसमन्द) के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

17. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ पंचायत समिति के किस-किस उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में किस-किस विषय के अध्यापकों के पद कब-कब से रिक्त हैं ?

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भीम व देवगढ़ पंचायत समिति के उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित आशार्थियों के उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। द्वितीय वेतन श्रृंखला के पदों की नियुक्ति पर लगी रोक राज्य सरकार द्वारा हटा लिये जाने के परिणामस्वरूप नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र ही प्रारम्भ कर दी जायेगी। माध्यमिक शिक्षा के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद भरने हेतु राज्य सरकार द्वारा अभी भी प्रतिबन्ध लागू है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

जिला चित्तौड़गढ़ के विद्यालयविहीन ग्राम

18. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

(1) क्या यह सही है कि बेगूं पंचायत समिति की ग्राम पंचायतें-सुवानिया, खेरपुरा दोनों ही पंचायत मुख्यालय क्षेत्रों में कहीं भी उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) चित्तौड़गढ़ जिले की किस-किस पंचायत समिति में शिक्षा कर्मी योजना चालू है? क्या सरकार जिन-जिन पंचायत समितियों में शिक्षाकर्मी योजना चालू नहीं की गई है वहां उक्त योजना चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) जिन गांवों की सन् 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 200 तक है, क्या सरकार वहां नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। बेगूं पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सुवानिया तथा खेरपुरा के प्राथमिक विद्यालय को दिनांक 29-12-97 द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत किया किया गया है।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति अरनोद, बड़ी सादड़ी, राशमी भेसरोडगढ़, डूगला, मदेसर, प्रतापगढ़ में शिक्षाकर्मी परियोजना चल रही है। छोटी सादड़ी में इस वर्ष परियोजना में लेकर चयन कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। शेष पंचायत समितियों में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने की स्थिति में मांग आने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावेगा।

(3) जी, नहीं। वर्तमान में जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में 150 या इससे अधिक जनसंख्या वाले राजस्व ग्रामों में एवं सामान्य क्षेत्र में 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले राजस्व ग्रामों में कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की ही नीति है।

पंचायत समिति सरदारशहर की शिक्षाकर्मी योजना के तहत पंचायतों की शिकायतें

19. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ग्राम सिगडी, पंचायत समिति सरदार शहर, जिला चूरू में शिक्षाकर्मी योजना के तहत कार्यरत पंचायतों के खिलाफ गांव वालों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई तथा दोषियों को अब तक क्यों नहीं हटाया गया? इस प्रकरण में सरकार आगे क्या कार्यवाही करने का विचार रखती हैं एवं कब तक?

उत्तर

जी, हां। शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच की गई। जांच नियमों के आधार पर सम्बन्धित शिक्षाकर्मी को नोटिस जारी किया जा रहा है। प्रत्युत्तर शिक्षाकर्मी से प्राप्त होने पर नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

उपाचार्य के रिक्त पदों पर पदोन्नति

20. श्री मोतीलाल (रूपवास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/संस्था/बी-2/45004/97-98 दिनांक 28-10-97 द्वारा वर्ष 1997–98 की रिक्तियों के विरुद्ध उपाचार्य के पदों पर पदोन्नतियां दी गई ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त पदोन्नतियां वर्ष 1997–98 की रिक्तियों पर की गई हैं ? यदि हां, तो पदोन्नत अधिकारी किस-किस माह की रिक्ति से सम्बन्धित थे और उनको किस-किस माह की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) उप प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों की वर्ष सम्भावित रिक्तियों 529 के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा 529 अधिकारियों का चयन किया गया। 302 आशार्थियों की पृथक सूची (आरक्षित) में रखा गया। प्रश्न के भाग–1 में उल्लेखित आदेश के द्वारा माह नवम्बर, 1997 में होने वाली वास्तविक रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ अस्थायी पदोन्नति समिति के द्वारा आरक्षित सूची से चयनित अधिकारियों में से पदोन्नति की गई।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल सूची में चयनित 529 अधिकारियों को माह अगस्त, 1997 के अन्त तक रिक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नति दी जाकर पदस्थापित किया गया। आरक्षित सूची का निर्माण उस सत्र की वास्तविक रिक्तियों की पूर्ति हेतु अस्थायी (तदर्थ) पदोन्नति दिये जाने हेतु किया जाता है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में बांधों का निर्माण

21. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं के अन्तर्गत आने वाले कितने और कौन-कौन से बांध/तालाब/एनीकट के निर्माण की परियोजनाएं सरकार के पास विचाराधीन हैं ? पंचायत समितिवार अनुमानित लागत व लाभ के ब्यौरों सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ के फलकू व खोकी नदी एनीकट, शम्भूनाथजी का खेडा व सुखपुरा तालाब और बेगूं पंचायत समिति के मेनाली बांध, धामण्चा तालाब, बूसड़ा शिवपुरा (ग्राम पंचायत माधोपुर) तालाब अमरपुरा (ग्राम पंचायत रामपुरिया) एनीकट महेसरा (ग्राम पंचायत राजगढ़) एनीकट जलसागर तालाब, कदमाली तालाब निर्माण को महत्व देती है ? यदि हां, तो इसके निर्माण के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं के अन्तर्गत आने वाले बांध/तालाब/एनीकट जो निर्माणाधीन/विचाराधीन हैं, की सूचना प्रपत्र "अ" में दर्शायी गई है।

(2) फलकू नदी पर एनीकट, सुखपुरा तालाब, मेनाली बांध, धामण्चा तालाब; कूशड़ा व मेनाली बांध की स्थिति संलग्न प्रपत्र में स्पष्ट की गई है। खोकी नदी एनीकट, शम्भूनाथजी का खेड़ा, शिवपुरा ग्राम माधोपुर, तालाब अमरपुरा गांव राजपुरिया, एनीकट महेशरा ग्राम पंचायत राजगढ़, एनीकट जलसागर तालाब, कदमाली तालाब, 50 एकड़ से कम होने के कारण विभागीय परियोजना के अन्तर्गत नहीं है। क्योंकि विभागीय मद से 50 एकड़ से कम क्षमता के तालाब व एनीकटों का निर्माण नहीं किया जाता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति बेगूं से जानकारी लेने पर बताया गया कि उक्त कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रस्तावित भी नहीं है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–17 देखें)

33 के. वी. ग्रिड सब–स्टेशन सूरौठ से विद्युत आपूर्ति

22. **श्री कमल** (हिण्डौन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के सूरौठ में 33 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन को पूर्ण करके जनता को उससे विद्युत उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के सूरौठ में 33 के. वा. सब-स्टेशन का निर्माण कार्य वर्ष 1997–98 के फेज प्रोग्राम में प्रस्तावित है। 33 के. वी. लाइन व सब-स्टेशन का कार्य प्रगति पर है तथा सब-स्टेशन का निर्माण कार्य माह जून, 1998 में पूर्ण होने की संभावना है।

विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्रामों का विद्युतीकरण

23. **श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार):** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खण्डार के कई गांवों में घरेलू विद्युत कनेक्शनों के प्रार्थना पत्रों की डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा कराये जाने के बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं? यदि हां, तो कुल कितने गांवों के कितने-कितने आवेदन कब से विचाराधीन हैं तथा कितने गांवों के कितने लोगों के डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा हो गई है? अब तक कनेक्शन नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम भूरी पहाड़ी, डूंगरी, तालड़ा, बसोंकलां, बसोंखुर्द, मुद्राहेड़ी, सिगोर कलां एवं खुर्द बड़ौद, पंचायत समिति खण्डार व ग्राम डेहकवा, बिलोपा, इटावा, आदलवाड़ाखुर्द झरकुण्ड, देवली, ऐंचेर, झोपड़ा, टापुर, पंचायत समिति सवाईमाधोपुर में विद्युत लाइनें खींची हुई हैं, किन्तु विद्युत तार नहीं लगे हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त गांवों में विद्युत के तार कब तक लगाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिनारायण बैरवा)

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति, सवाईमाधोपुर के सोलपुर, रायपुरा, चौकड़ी, माधोराजपुरा, मुरलीमनोहरपुरा, कंवरपुरा आदि गांवों में विद्युत लाइनें नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि जिन गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है उन गांवों की ढाणियों में विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन ढाणियों में विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । विधान सभा क्षेत्र खण्डार के 23 गांवों में 378 आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा है जिनका ग्रामवार, तिथिवार, कारणों सहित विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है ।

(2) प्रश्न में पूछे गये ग्रामों की वस्तुस्थिति इस प्रकार से हैं :–

ग्राम भूरीपहाड़ी एवं देवली की 11 के.वी. लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी । उन लाइनों को पुनः खींचने का कार्य प्रगति पर है । ग्राम डूंगरी, तालेड़ा, मून्दरहेड़ी, सिगोरकलां, बड़ोद, झरकुण्ड (नाहरी खुर्द) में विद्युत लाइन खींची हुई है । ग्राम बसोकलां, बसोखुर्द, डेहकलां, विलोपा, ईटावा, आदलवाड़ा खुर्द, ऐचेर, झोपड़ा तथा टापुर की 11 के.वी. लाइन क्षतिग्रस्त/लाइन का सामान चोरी हो गया है । अतिरिक्त बजट आवंटित कर संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार इन गांवों की लाइनें खड़ी करने की कार्यवाही की जा रही है । ग्राम सिगोर कलां अविद्युतीकृत है ।

(3) ग्राम इशरदा पंचायत समिति, सवाईमाधोपुर जो कि दिनांक 29-12-71 से विद्युतीकृत घोषित है, से अलग होकर बने नये राजस्व ग्राम सोलपुर, रायपुरा तथा चौकड़ी माधोराजपुरा भी दिनांक 29-12-71 से विद्युतीकृत घोषित माने गये हैं । इसी प्रकार ग्राम सिवार पंचायत समिति, सवाईमाधोपुर जो कि दिनांक 5-2-73 से विद्युतीकृत घोषित है, से अलग होकर बने नये राजस्व ग्राम मुरलीमनोहरपुरा एवं कंवरपुरा भी दिनांक 5-2-73 से विद्युतीकृत घोषित माने गये हैं । चूंकि प्रश्न में इंगित पांचों गांव पूर्व में विद्युतीकृत ग्राम से अलग होकर नये राजस्व ग्राम बनने के कारण विद्युतीकृत घोषित माने गये हैं, अतः मांग आने पर इनमें नियमानुसार विद्युत लाइन डालकर कनेक्शन देने का पूर्व से ही प्रावधान है ।

(4) विद्युतीकृत गांव की ढाणियों में बिजली की मांग होने पर नियमों के अनुसार लाइन खींचकर कनेक्शन देने का प्रावधान है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

ग्राम इन्टाखोई व नगरी (दूदू) का विद्युतीकरण प्रकरण

24. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री बाबूलाल)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम इन्टाखोई व नगरी पंचायत समिति दूदू को विद्युतीकृत किया जाकर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई थी ? यदि हां, तो कब तथा उक्त ग्रामों को विद्युतीकृत करने में कितने पोल एवं तार लगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि वर्तमान में उक्त ग्रामों में मौके पर तार एवं पोल (लाईन) ही नहीं है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है एवं उक्त स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

(3) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारी/कर्मचारी उक्त जगह से तार एवं पोल दूसरी जगह ले जाकर विभाग के चूना लगा रहे हैं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई एवं नहीं, तो क्यों ?

(4) सरकार द्वारा उक्त ग्रामों में अब कब तक विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति दूदू के ग्राम इन्टाखोई व नगरी को मार्च, 1991 में लाइन खींचकर विद्युतीकृत घोषित किया गया था । उक्त ग्रामों को विद्युतीकृत करने के लिए 3.5 कि. मी. के पोल व तार लगे थे ।

(2) जून, 1991 में उक्त ग्रामों की लाइनों के तार चोरी हो गये थे जिसकी एफ. आई. आर. थाना, दूदू में दिनांक 6-6-91 को करवा दी गई थी । अतः इसमें किसी विभागीय अधिकारी व कर्मचारी की प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी नहीं है ।

(3) जी, नहीं । इस लाइन का सामान दूसरी जगह ले जाकर नहीं लगाया गया है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं है ।

(4) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप लाइन पुनः खींचकर चालू की जा सकेगी ।

पंचायत समिति इटावा (कोटा) के ग्रामों का विद्युतीकरण

25. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा जिला कोटा में ग्राम करजौदा, खेडली, पीपल्दा, शेरपुर, शेरगंज मैरूपुरा, चाणदा, बिरोदा छापोल को विद्युतीकृत घोषित किया गया है ? यदि हां, तो इन कार्यों के पूर्ण होने की अवधि क्या थी ?

(2) क्या सरकार उक्त सभी गांवों को निश्चित समय में विद्युतीकृत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, इटावा जिला कोटा के ग्राम करजौदा, खेडली, पीपल्दा, शेरपुर, शेरगंज, मैरूपुरा, बावदा, बिरोदा एवं छापोल वर्ष 1997–98 में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं तथा इनका विद्युतीकरण 31-3-98 तक किया जाना है ।

(ऊर्जा मंत्री)

उक्त सभी ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

(2) जी, हां। उक्त सभी ग्रामों का विद्युतीकरण 31-3-98 तक कर दिया जाना प्रस्तावित है।

भीम व देवगढ़ (राजसमन्द) के अविद्युतीकृत राजस्व ग्राम

26. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ के राजस्व ग्रामों में से कौन-कौन से ग्रामों को विद्युतीकृत नहीं किया गया है ?

(2) क्या सरकार बारला चौड़ा, आठोलिया, बिछुवड़ा आदि ग्रामों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजसमन्द जिले की पंचायत समिति, भीम के (जनगणना 1991 के अनुसार) सभी 110 ग्राम विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं। इसी जिले की पंचायत समिति, देवगढ़ के 134 ग्रामों में से 133 ग्राम फरवरी, 1998 तक विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं। मात्र शेष रहे एक ग्राम चक काला गून को भी वर्ष 1997-98 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किया हुआ है।

(2) ग्राम कूकड़ा (पंचायत समिति, भीम) जो कि मार्च, 1985 में विद्युतीकृत घोषित है, से अलग होकर बना राजस्व ग्राम बारलाचौड़ा भी मार्च, 1985 में विद्युतीकृत घोषित माना गया है।

इसी प्रकार ग्राम बराक जो कि मार्च, 1966 को विद्युतीकृत है, से अलग होकर बने नये राजस्व ग्राम आठोलिया व बिछुदड़ा भी मार्च, 1966 से विद्युतीकृत घोषित माने गये हैं। चूंकि प्रश्न में इंगित तीनों राजस्व ग्राम पूर्व में विद्युतीकृत ग्राम से अलग होकर नये राजस्व ग्राम बनने के कारण विद्युतीकृत घोषित माने गये हैं अतः मांग आने पर इनमें नियमानुसार विद्युत लाइन डालकर कनेक्शन देने का पूर्व में ही प्रावधान हैं।

पंचायत समिति सरदारशहर के कृषकों को विद्युत कनेक्शन

27. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति, सरदार शहर में कृषकों के किस-किस योजना में, कितने-कितने आवेदन पत्र (विद्युत कनेक्शन हेतु) वर्ष 1997 से लम्बित हैं ?

(2) नर्सरी योजना के तहत अगस्त, 1997 से जनवरी, 1998 तक किन-किन काश्तकारों ने कितना कितना पैसा जमा करा दिया और कितने कनेक्शन कब-कब विभाग द्वारा जारी किये गये और कितने कनेक्शन विचाराधीन है ? ग्रामवार, नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सरदारशहर में माह दिसम्बर, 1997 तक कृषकों के विद्युत कनेक्शन हेतु योजनावार पैंडिंग आवेदन–पत्रों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	योजना का नाम	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या
1.	सामान्य श्रेणी	267
2.	नर्सरी श्रेणी	99
3.	विशेष सामान्य श्रेणी	8
4.	अनु. जाति सामान्य श्रेणी	36

(2) नर्सरी योजना के तहत अगस्त, 1997 से जनवरी, 1998 तक काश्तकारों द्वारा जमा कराया गया पैसा व विभाग द्वारा जारी किये गये कनेक्शन के विवरण तथा बकाया कनेक्शन की ग्रामवार, नामवार सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें)

जिला सीकर में मछलियों की नीलामी

28. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के रेवासा स्थान पर मछलियों की नीलामी की कार्यवाही तहसीलदार, दातारामगढ़ द्वारा वर्ष 1997–98 के लिये की गई है ? यदि हां, तो विभागीय अधिकारियों की इस मामले में क्या भूमिका थी तथा इसमें क्या-क्या अनियमितताएं हुई ?

(2) क्या इस मामले की जांच की गई ? यदि हां, तो कब व किस के विरुद्ध तथा किस के द्वारा ? इसमें कौन दोषी पाये गये ? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस मामले में कोई जांच विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कौन सी जांच किस के द्वारा की जा रही है और वह कब तक पूर्ण होगी ?

(4) इस मामले में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। विभागीय अधिकारियों की इस मामले में भूमिका के बारे में उल्लेख संलग्न प्राथमिक जांच रिपोर्ट (परिशिष्ट "क") में विस्तृत रूप से किया गया है, इस प्रकरण में विभिन्न स्तर पर जो अनियमितताएं हुई है, उसका विवरण संलग्न प्राथमिक जांच रिपोर्ट (परिशिष्ट "क" व "ख") में विस्तृत रूप से अंकित है।

(2) जी, हां। इस मामले में निदेशक, मत्स्य द्वारा प्राथमिक जांच की गई है। उक्त जांच रिपोर्ट में विभाग के निम्न लिखित अधिकारी/कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है :–

1. श्री एन. पी. एस. राठी, संयुक्त निदेशक, मत्स्य, तत्कालीन कार्यवाहक निदेशक, मत्स्य।

2. श्री एन. एल. विजय, उप निदेशक, मत्स्य, जयपुर क्षेत्र, जयपुर।

48

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

3. श्री अमरचन्द गुप्ता, मत्स्य विकास अधिकारी, जयपुर ।
4. श्री डा. जयसिंह यादव, मत्स्य विकास अधिकारी, जयपुर ।
5. श्री सन्तोष कुमार सक्सैना, सहायक मत्स्य विकास अधिकारी, सीकर ।
6. श्री रामनिवास लापरोड, सहायक मत्स्य विकास अधिकारी, सीकर ।
7. श्री पी. के. ओझा, सहायक निदेशक, मत्स्य पदेन मुख्य अधिशासी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, जयपुर ।
8. श्री एम. के. सक्सेना, सहायक निदेशक, मत्स्य पदेन मुख्य अधिशासी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, जयपुर ।
9. श्री इन्द्रसिंह, सहायक मत्स्य विकास अधिकारी, जयपुर ।
10. श्री दौलत सिंह, वरिष्ठ लिपिक
11. श्री बाबूलाल फुलवारिया, कनिष्ठ लिपिक

इसके अतिरिक्त तहसीलदार, दातारामगढ़ को भी प्रथम दृष्टि में दोषी पाया गया है ।

जांच-रिपोर्ट सदन की पटल पर रख दी गई है ।

(3) प्राथमिक जांच के आधार पर इस मामले में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो के स्तर पर जांच कराने हेतु दिनांक 18-11-97 को लिखा गया है । जांच शीघ्र पूरा करने हेतु लिखा जा रहा है ।

(4) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार नियमानुसार शीघ्र उचित कार्यवाही की जावेगी ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी योजना

29. **श्री लक्ष्मणसिंह रावत** (भीम) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रदेश की कौन-कौन सी पंचायत समितियों में आंगनबाड़ी योजना संचालित हैं ?

(2) क्या सरकार राजसमन्द जिले की पंचायत समिति भीम जहां की 80 प्रतिशत आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है, में यह योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य के 32 जिलों की 177 पंचायत समितियों में बाल विकास परियोजना (आंगनबाड़ी योजना) कार्यरत है । सूची संलग्न है (परिशिष्ट "अ") ।

(2) जी, हां । समेकित बाल विकास सेवाओं के सार्वभौमिकरण के अन्तर्गत नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजसमन्द जिले की भीम पंचायत समिति में भारत सरकार की सहमति पश्चात् बाल विकास परियोजना खोला जाना प्रस्तावित है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देखें)

पंचायत समिति दूदू के विकास कार्य

30. श्री बाबूलाल (दूदू): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत तीन वर्षों में पंचायत समिति दूदू द्वारा किन-किन योजनाओं के माध्यम से कौन-कौन से विकास कार्य करवाये गये हैं ? विकास कार्यों का स्थान, ग्राम पंचायत राशि, मद एवं कार्य की वर्तमान स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य समान रूप से करवाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विकास कार्यों के आबंटन में भेदभाव करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि अपूर्ण कार्य अधिकारियों की लापरवाही एवं अदूरदर्शिता के कारण पूर्ण नहीं हो सके है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995–96 से 1997–98 (फरवरी, 1998 तक) की अवधि में पंचायत समिति, दूदू द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित किये गये विकास कार्यों की सूची मय विवरण संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) पंचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में स्थानीय मांग एवं प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न योजनाओं की मार्गदर्शिका के अनुसार विकास कार्य करवाये गये। किसी अधिकारी द्वारा भेदभाव बरतने के दृष्टान्त सामने नहीं आये हैं, अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है।

(3) जी, नहीं। आगे प्रश्न लागू नहीं होता।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जवाहर रोजगार योजना की त्रैमासिक रिपोर्ट

31. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जवाहर रोजगार योजना के सम्बन्ध में विभाग द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजनी चाहिये ? यदि हां, तो गत वर्ष व इस वर्ष कौन-कौन सी त्रैमासिक रिपोर्ट कब-कब भेजनी थी और कब-कब भेजी गई ?

(2) क्या भारत सरकार ने ऐसे आदेश जारी कर रखें है कि त्रैमासिक रिपोर्ट कब और किस प्रकार से भेजनी है ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त समय में त्रैमासिक रिपोर्ट समय पर नहीं भेजने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो किस समय का और क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

(2) प्रश्न लागू नहीं होता।

(3) प्रश्न लागू नहीं होता।

प्रश्न संख्या 32

(स्थगित)

पंचायत समिति सरदारशहर में भूतल जलाशयों की स्वीकृति

33. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण चूरू द्वारा पंचायत समिति सरदारशहर में कितने भूतल जलाशयों के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1997-98 में जारी की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि बिना सांसद एवं विधायक कोटे के तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की बिना अनुशंषा एवं मांग के कुछ भूतल जलाशयों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(3) इस प्रकार बिना आवश्यकता एवं मांग के भूतल जलाशयों के निर्माण की जो स्वीकृतियां जारी की गई हैं, क्या वह सरकारी धन का अपव्यय एवं दुरुपयोग नहीं है ? यदि हां, तो इन स्वीकृतियों के बारे में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू के द्वारा पंचायत समिति सरदारशहर क्षेत्र में 27 भूतल जलाशयों के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1997-98 में जारी की गई है।

(2) नहीं। अभिकरण द्वारा विधायक कोटे एवं विधायक कोटे के अतिरिक्त सामान्य कोटे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की मांग एवं अनुशंषा पर ही भूतल जलाशयों की स्वीकृतियां जारी की गई है।

(3) बिना आवश्यकता एवं मांग के भूतल जलाशयों के निर्माण की स्वीकृतियां अभिकरण द्वारा जारी नहीं की गई है।

(12.33 बजे)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सदन में सुरक्षा प्रहरियों की उपस्थिति पर आपत्ति

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ? यहां आपने पुलिस लाइन बना दी है।.... (व्यवधान) यहां छावनी बना दी है। पुलिस लाइन बना दी है और आप कह रहे हैं विधान सभा चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : विधान सभा पुलिस लाइन के घेरे में चलेगी ? विधान सभा की मर्यादा तो रखो। आपाधापी से भारतीय जनता पार्टी जैसा चलाना चाहती है वैसे विधान सभा नहीं चलेगी। नियम, उपनियमों से विधान सभा चलेगी। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : यह अत्यन्त गम्भीर मुद्दे की ओर संकेत है.... (व्यवधान) ...

श्री चन्दनमल बैद : आप आओ मेरे साथ। यहां देखो आप। यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सीट से तो बोलो।

श्रीमती कमला (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें वहां क्या हो रहा है। आप जन-भावनाओं की कद्र करना सीखिए। आपने चौकस खड़े कर रखे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : यहां आपने पुलिस लाइन बना रखी है।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको यहां से हटाइए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : यह पुलिस लाइन है या विधान सभा है ? ऐसा लग रहा है जैसे दबाव डाल रहे हों। इनकी क्या जान खतरे में है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने ऐसा वातावरण बना रखा है, तनावपूर्ण वातावरण बना रखा है। (व्यवधान) अगर उनको कोई बात ठीक नहीं लगे....

श्री चन्दनमल बैद : आपने पुलिस को क्यों बुलाया है ?....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सदस्यों को बाहर फैंका जा रहा है राजस्थान विधान सभा के अन्दर इस तरह की तैयारी हो रही है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : विचारों की स्वतंत्रता तो रहे।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अगर हमको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है तो फिर हम किसलिए आते हैं ? विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है हमको।

श्री परसादीलाल मीणा : आपको यहां बैठने का एक मिनट का अधिकार नहीं रहा है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : देखिए आप उठिए, क्या हालत बना रखी है।.... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी जिम्मेदारी है कि इनको यहां से हटाइए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अगर इस तरह से विधान सभा चलायी जाती है.... (व्यवधान) ऐसा क्या कहा था गोपीचन्दजी गुर्जर ने ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह गरिमा का उल्लंघन है। यह विधान सभा की गरिमा में है क्या ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : लाठी-गोली की सरकार को हटाओ और प्रजातंत्र को बचाओ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह जन-भावनाओं के खिलाफ है। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय विधायक को बाहर करने की कार्यवाही पूर्णतया असंसदीय है, गैर कानूनी है, गलत है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह शर्म आने की बात है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पुलिस वालों को इकट्ठा करके विधान सभा में क्या सिखाया जाता है ? (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी का शासन, जिस तरह का जनादेश है उसको देखते हुए आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है ।.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह सरकार पुलिस राज के बूते से चल रही है । यह सरकार+++है, यह सरकार+++ है, यह+++सरकार है ।....(व्यवधान) हम+++का घोर विरोध करते हैं । (व्यवधान) हम अपनी बात कहने के लिए यहां आते हैं, अपनी बात कहते हैं । यदि कोई अनपार्लियामेंटरी है तो उसको एक्सपंज कर सकते हैं । लेकिन छोटी-सी बात के लिए मुख्य सचेतक महोदय प्रस्ताव लाते हैं कि यहां सदन से निष्कासित किया जाए और अध्यक्ष महोदय उस प्रस्ताव को पारित कर दें, इससे बढ़कर+++की बात कोई हो नहीं सकती, इससे बढ़कर +++की बात कोई हो नहीं सकती, इससे बढ़कर लज्जा की बात कोई हो नहीं सकती । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले पुलिस को बाहर कीजिएगा । सुरक्षा प्रहरियों के नाम पर पुलिस चौकी कायम कर दी गई है, इसको हटाइए । यह बड़ा निन्दनीय है । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन ने हमको यह राइट दिया है । फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट हमको कांस्टीट्यूशन ने दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हम जनता की आवाज कहने के लिए यहां पर आते हैं । इस प्रस्ताव को वापस लीजिए ।.... (व्यवधान) गोपीचन्द जी के उस प्रस्ताव को वापस लीजिए । (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज असत्य पर चर्चा हो जानी चाहिए । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य ।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो अपना दायित्व निभाइए । .. (व्यवधान)....

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने गोपीचन्द जी को निकालने का जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव को वापस लिया जाए । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप अपना दायित्व निभाइए । यहां से पुलिस को हटाइए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य (व्यवधान) माननीय नेता महोदय, आसन पैरों पर है ।

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रेस को यह कहूंगा कि वह नीचे आकर देखें कि विधान सभा को किस तरह से पुलिस की छावनी बना रखा है। (व्यवधान) आप नीचे आकर देखें कि विधान सभा को किस तरीके से पुलिस की छावनी बना रखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। (व्यवधान)...

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह+++ है, यह+++है, यह+++प्रवृत्ति है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपका मुख क्यों बंद है ? आप बोलते क्यों नहीं ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह प्रजातंत्र है, किसी का खुद का राज नहीं है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह न्याय की कुर्सी है (व्यवधान)...

श्री चन्दनमल बैद : क्या कहना चाहते हैं आप ? क्या हमको दबाना चाहते आप? हैं हम सबको निकलवाइए आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप सबको निकालो। अगर कार्यवाही चलानी है तो आप सबको निकालो। (व्यवधान) यह पुलिस छावनी नहीं है, यह विधान सभा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पहले आप आदेश फरमाइए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप न्याय करो। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, विधायकों के अधिकार का हनन हो रहा है। हम यह हनन नहीं होने देंगे। मर जाएंगे, हनन नहीं होने देंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहले आप इस पर अपनी व्यवस्था दीजिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह अन्याय नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पुलिस बुलायी... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह लाठी-गोली की सरकार नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और विधान सभा को (व्यवधान) बना कर रख दिया। कारण बताइये। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : किस तरह से सदन को चलाना चाहते हैं आप ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप आवाज बन्द करना चाहते हैं ? (व्यवधान)

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रतनलाल ताम्बी : लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है आपका। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप उनको हटाइये। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस राजस्थान के इस पवित्र सदन में (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप लोग सदन की परिभाषा को समझो। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : (व्यवधान) सदन को पुलिस के बल पर चलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप जनता का गुस्सा हम पर मत निकालो।

श्री चन्दनमल बैद : . (व्यवधान) ... विधान सभा है यह ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, आदेश दीजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ... हमें प्रोवोक करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : विधान सभा के लिए निर्धारित संख्या में जो भी आपको अधिकारी चाहिए उनके अलावा सारे पुलिस बल को यहां से हटाये जाने के आप निर्देश दीजिये। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप सदन के रक्षक हैं, आप तुरन्त आदेश जारी कीजिये कि यह पुलिस छावनी यहां से तुरन्त खतम हो। (व्यवधान) यह पुलिस छावनी नहीं है, यह पवित्र सदन है। यह सदन का अपमान है और आप किस तरह से इसको बरदाश्त करोगे ? (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : ऐसा सदन नहीं चलेगा लोकतन्त्र में। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ आप तो रखो। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप लोकप्रिय आदमी हैं। यह प्रजातन्त्र है। डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाने वाले कभी जिन्दा नहीं रहते।

एक माननीय सदस्य : आप सुधारिये गलती को। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ... (व्यवधान) मुख्य सचेतक महोदय के कहने से। मुख्य सचेतक महोदय तो एकपक्षीय बोलते हैं। (व्यवधान)

सूचना प्राप्ति प्रश्न

श्री गोपीचन्द गुर्जर सदस्य का निलम्बन

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय श्री गोपीचन्द गुर्जर के विरुद्ध आसन ने क्या कार्यवाही की है, उस समय बहुत अव्यवस्था चल रही थी इसलिए हमारी समझ में नहीं आया,

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कृपया उस सम्बन्ध में हमें जानकारी फरमाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीचन्द गुर्जर को आज की कार्यवाही से निकाल दिया गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कैसे निकाल दिया ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : क्यों निकाला गया है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई प्रस्ताव पास किया है क्या ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ऐसा क्या कर दिया उन्होंने ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज यह जो विधान सभा को पुलिस छावनी बना दिया गया है ....(व्यवधान).... भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनादेश खो चुकी है (व्यवधान).... संसदीय परम्पराओं को ..

श्री राधेश्याम गंगानगर : (व्यवधान) शब्द बोले हैं, आप उनको सुधारिये। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारण बताइये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : सारी प्रक्रिया पूरी की है ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारण बताइये।

श्रीमती कमला : जब सदस्य को निकाला जाता है वह प्रक्रिया पूरी की है आपने ? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : इनका अपराध क्या था ? क्यों निकाला गया उन्हें ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : विधान सभा की प्रक्रिया पूरी किये बिना आपने कैसे निकाल दिया ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारण बताइये। किन दोषों के कारण निकाला गया है ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : जिस प्रकार से कार्यवाही की है। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : गोपीचन्द गुर्जर ने कोई गुनाह नहीं किया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पूनमचन्द जी बोल रहे हैं, कृपया सुनें।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की कार्यवाही हुई है और माननीय गोपीचन्द जी गुर्जर ने जो कुछ कहा, उनसे पहले अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, तो आप इसी सदन में दो तरह की कार्यवाही क्यों करने जा रहे हैं ? आप कम से कम दो तरह की कार्यवाही तो नहीं करें। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप उपाध्यक्ष महोदय से प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री मदन मोहन : नहीं मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

(८६)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सही बात कहता है उसकी आवाज दबाई जाती है। सही बोलने वाले की मंत्रियों के द्वारा आवाज दबायी जाती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : आवाज को दबाया जा रहा है। कोई माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहता है उसको दबाया जाता है, दबाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सब एक साथ नहीं बोलें, माननीय सदस्य, किसी की सुनने दें। श्री पूनमचन्द जी कुछ कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, अंकुश लगाइये। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं आपका ध्यान नियम 292 की ओर आकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.45 बजे, 14.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(14.30 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरसों की फसल पूर्ण नष्ट हो चुकी है। किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा आज तक इस सरकार ने नहीं की है।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अध्यादेश

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, उच्च शिक्षा मंत्री एक अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन (संशोधन) अध्यादेश, 1997(1997 का अध्यादेश संख्या-1) सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री वित्त एवं उद्योग विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त एवं कर अनुभाग की निम्नांकित अधिसूचाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

वित्त विभाग

(1) अधिसूचना संख्या प. 20 (1) एफ.डी/टैक्स-डिवी/90 दिनांक 18-10-97 जिसके द्वारा होटलों और वासों पर राजस्थान (होटलों और वासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा 4 एवं 7 द्वारा वसूलने वाले कर की छूट जो 21-3-97

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

से प्रभावी थी, को अब 12-3-97 से छूट प्रदान की गयी है ।

(2) अधिसूचना संख्या प. 4 (90) एफ. डी/टैक्स–डिवी / 82–पार्ट–II–153 एवं 154 दिनांक 18-10-97 जिसके द्वारा तिलम संघ को विक्रय कर रियायत देने के उद्देश्य से उक्त संघ को राजस्थान विक्रय कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर में 75 प्रतिशत कर मुक्ति दिनांक 31-3-97 तक उपलब्ध थी, की अवधि 31-3-98 तक बढ़ा दी गयी है ।

(3) अधिसूचना संख्या प. 4 (42) वित्त/कर–अनु/94–155 दिनांक 5-11-97 जिसके द्वारा साप्ताहिक लाटरियों के प्रशमित उद्ग्रहण स्कीम दिनांक 5-11-97 से दिनांक 31-3-98 तक प्रवृत्त किया गया है । इसके अनुसार प्रति ड्रा के लिए 70,000/– रुपये की प्रशमन रकम का संदाय करना होगा ।

(4) अधिसूचना संख्या प. 4 (42) वित्त/कर-अनु/94–156 दिनांक 5-11-97 जिसके द्वारा बम्पर ड्रा लाटरियों के लिए प्रशमित उद्ग्रहण स्कीम दिनांक 5-11-97 से दिनांक 31-3-98 तक प्रवृत्त किया गया है । इसके अनुसार प्रति ड्रा के लिए 5,00,000/– रुपये की प्रशमन रकम का संदाय करना होगा ।

(5) अधिसूचना संख्या प. 4(8) वित्त/कर–अनु/97 पार्ट–157 दिनांक 9-12-97 जिसके द्वारा थैलेसिमिया के उपचार हेतु आवश्यक दो औषधियों के क्रय या विक्रय को तुरन्त प्रभाव से कर मुक्त किया गया है ।

(6) अधिसूचना संख्या प. 4 (31) एफ.डी/टैक्स–डिवी/90–158 एवं 159 दिनांक 12-12-97 जिसके द्वारा औद्योगिक इकाइयों को जो ब्याज मुक्त बिक्री कर ऋण योजना में सरकार से ऋण प्राप्त करने में सक्षम हैं और अभी तक ऋण प्राप्त नहीं किया है तथा दिनांक 31-12-97 तक विकल्प देते हैं, तो उप इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण योजना, 1990 के अन्तर्गत प्राप्त ऋण के बराबर आस्थगन की सुविधा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है ।

(7) अधिसूचना संख्या प.2(20)वित्त/कर–अनु/97 दिनांक 16-12-97 जिसके द्वारा कार्यालयों को राजस्थान स्टाम्प विधि अनुकूलन अधिनियम के अन्तर्गत "पब्लिक ऑफिस" घोषित किया गया है तथा उक्त पब्लिक ऑफिस के कार्यालय अध्यक्ष को ही उनके कार्यालयों के प्रभारी नियत किया गया है ।

(8) अधिसूचना संख्या प. 2(24)वित्त/कर–अनु/97 दिनांक 8-1-98 जिसके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त 73.16 करोड़ रुपये के उधार का प्रति संदाय प्रति मुक्त करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा निष्पादित बंधक विलेख पर उद्ग्रहणीय रजिस्ट्रीकरण फीस 1 प्रतिशत से घटाकर 0.20 प्रतिशत की गयी है ।

(9) अधिसूचना संख्या प. 2 (24) वित्त/कर–अनु/97 दिनांक 8-1-98 जिसके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त 73.16 करोड़ रुपये के उधार का प्रति

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

संदाय प्रति मुक्त करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा निष्पादित बन्धक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 0.80 प्रतिशत किया गया है।

(10) अधिसूचना संख्या प. 2 (18) वित्त/कर–अनु/98 दिनांक 15-1-98 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क खातेदारों/मालिकों द्वारा उनकी भूमि पर खनन सक्रियाएं करने के लिए अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित सहमति विलेख/अना-पत्ति प्रमाण-पत्र पर भूमि के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर दिया है।

(11) अधिसूचना संख्या प. 4 (68) वित्त/टैक्स डिवी/95–160 दि. 16-1-98 जिसके द्वारा निर्धारण वर्ष 1995–96 व 1996–97 के लिए प्रारूप वि. क. 5–क में विवरणी क्रमशः 13-12-96 और 31-12-97 तक फाइल की जा सकेगी। अतः इस प्रकार विक्रय कर विवरणी फाइल करने की अवधि में बढ़ोतरी कर व्यापारियों को सुविधा प्रदान की गयी है।

(12) अधिसूचना संख्या प. 4 (31) एफ.डी/टैक्स डिवी/90/161–162 दिनांक 16-1-98 जिसके द्वारा पूर्व जारी अधि–सूचना संख्या 4 (31) एफ.डी/टैक्स डिवी/90-158 एवं 159 से संशोधन किया गया है।

(13) अधिसूचना संख्या प. 4 (39) वित्त/कर–अनु/94–163 से 170 दिनांक 21-2-98 जिसके द्वारा आठ अलग-अलग अधिसूचाएं जारी कर सभी लघु सीमेंट संयन्त्र को जिनके विनिधान लघु इकाइयों के विहित सीमा से अधिक नहीं हैं, को राजस्थान विक्रय कर प्रोत्साहन/आस्थगन स्कीम 1987 एवं 1989 के अन्तर्गत लघु इकाई माने जाने हेतु स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

(14) अधिसूचना संख्या प. 1 (12) वित्त/कर–अनु/97 दिनांक 23-2-98 जिसके द्वारा जिले एवं उप जिले स्थापित किये जा रहे थे। समय-समय पर अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी करने से इन पर कई असंगतियां होने के कारण विद्यमान पंजीयन जिलों एवं उप जिलों के अनुसार नयी अधिसूचना जारी करना था। तत्प-श्चात् राज्य सरकार द्वारा दि. 23-2-98 को एक अधिसूचना जारी कर पंजीयन जिले एवं उप जिले की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित की गयी है।

वित्त (कर अनुभाग) विभाग

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 2 (2) एफ.डी/टैक्स डिवी/98 दिनांक 7-3-98 जिसके द्वारा पैतृक सम्पत्ति की निर्मुक्ति विलेख पर रजिस्ट्रीकरण फीस बाजार मूल्य के एक प्रतिशत निदेशित किया गया है जिसका अधिकतम पांच हजार रुपये निर्धा-रित किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (24) वित्त / कर–अनुभाग / 90–171 दिनांक 7-3-96 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को संयंत्र और मशीनरी का उपयोग, उसके विद्युत शक्ति के उत्पादन, पारेषण या वितरण में अनन्य रूप से काम

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

में लेने हेतु करने के अधिकार के अंतरण में किये जाने वाले विक्रयों के पण्यावर्त पर उद्ग्रहणीय कर से कतिपय शर्त द्वारा दिनांक 1.4.96 से 31.3.98 तक छूट प्रदान की जाती है।

(3) अधिसूचना सं. एफ. 4 (68) एफ डी/टैक्स डिवी/95-172, दिनांक 7.3.98 जिसके द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1992-93 1993-94 व 1994-95 के लिये घोषणा प्रारूप को प्रस्तुत करने की सीमा दिनांक 31.3.98 तक बढ़ा दी गयी है।

(4) अधिसूचना सं. एफ. 4 (24)एफ. डी/टैक्स डिवी/90 पीटी-173, दिनांक 7.3.98 जिसके द्वारा टेन्ट व्यवहारी को उनके प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के सम्पूरित सकल पण्यावर्त पर 900 रुपये छूट फीस जमा कराने का विकल्प दिया गया है।

(5) अधिसूचना सं. एफ. 4 (78) एफ. डी./टैक्स--डिवी/96-174, दिनांक 7.3.98 एवं अधिसूचना सं. एफ. 4 (78) एफ.डी/टैक्स·डिवी/96-176 जिसके द्वारा माइको कम्पनी को उनके द्वारा विनिर्मित मोटर सहायक उपकरणों और संघटकों के राज्य के भीतर या अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किये गये विक्रय को 12 वर्ष की कालावधि के लिये और उनके द्वारा क्रय किये गये कच्चे माल को उनके प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के सम्पूरित सकल पण्यावर्त पर सात साल तक के लिये सशर्त कर से छूट प्रदान की गयी है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेखानुसार राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:–

राजस्व विभाग

(1) अधिसूचना संख्या प. 6 (31) राज–6/92/25, दिनांक 22.11.97 जिसके द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं एवं सेवा शर्तें) नियम, 1971 में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना सं. प. 10 (1) राज-6/94 पार्ट/1, 18.2.98 जिसके द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 301 में संशोधन किये गये हैं।

(3) अधिसूचना सं. प. 10 (1) राज-6/94/3, दिनांक 18.2.98 जिसके द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957, के नियम 28 में संशोधन किये गये हैं।

उपनिवेशन विभाग

(1) अधिसूचना संख्या प. 4 (2)कोल/94 दिनांक 22.10.97 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) कोल/87 दिनांक 28.2.98 जिसके द्वारा

(श्री गंगाराम चौधरी)

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की चक आबादी में आवास के लिए भूमि का अनुदान) नियम, 1971 में संशोधन किया गया है ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर । उपाध्यक्ष महोदय पाइंट आफ आर्डर को सुना जाए । नोटिफिकेशन के सम्बन्ध में पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस की यह परम्परा रही है, पहले अतीत में भी इस तरह की बात हमेशा हाउस के नोटिस में लायी है । सैशन निकल गया और इस वक्त नोटिफिकेशन को नहीं रखा है या दूसरी कोई इस तरह की बात है तो इसके लिए आपको माननीय सदस्य को अवसर तो देना चाहिए कि उनका पाइंट आफ आर्डर क्या है ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो अभी अधिसूचना दिनांक 18.10.97 को होटलों पर राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम 1990 की धारा 4 एवं 7 द्वारा वसूलने वाले कर की जो छूट प्रदान की है इसके बारे में मुझे आब्जेक्शन है ।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी छूट या कोई भी अधिसूचना प्रोस्पेक्टिव होती है, वह भविष्य के लिए होती है लेकिन इसमें इन्होंने जो पहले वह 21.3.97 से प्रभावी थी उस छूट को 9 दिन पहले 12.3.97 से इस अधिसूचना के माध्यम से यहां पर बताया है । मैं वित्त मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या कारण थे, क्या वे विशेष परिस्थितियां थीं ? इन होटल वालों को लाभ पहुंचाने के लिए 9दिन की छूट के क्या विशेष प्रयोजन थे, वित्त मंत्रीजी सदन को अवगत कराएं इसमें कहीं कुछ शंका की बू आती है इसलिए स्पष्टीकरण दीजिए ।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग को करों में छूट देने का अधिकार है इसलिए इस वक्त उस पर कोई बहस हो नहीं सकती । वित्त विभाग ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके छूट दी है । वित्त विभाग को अपने करों में छूट देने का अधिकार कभी भी है, चाहे असेम्बली चले या न चले । इसलिए आॅफ सैशन में जो छूट दी गयी है वह अधिकृत रूप से दी गयी है, उस पर बहस करने का अभी समय नहीं है और न ही उपयुक्त अवसर है ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : प्रोस्पैक्टिव होना चाहिए । रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से क्यों लाये हैं आप ? भविष्य के लिए देना चाहें वह ठीक है, पिछले प्रभाव से क्यों कर रहे हैं आप ? रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट, यह बताइये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप यह बताइये कि फायदा क्यों पहुंचा रहे हो आप ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में लिखकर देना पड़ेगा इस सदन में । लेकिन, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, किसी भी नोटिफिकेशन के

(श्री परसराम मदेरणा)

जरिए आप एग्जम्प्ट कर रहे हैं तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव देने का अधिकार. रूल्स में इस प्रकार की रूल मेकिंग प्रेस्क्राइब्ड पावर्स होती हैं गवर्नमेंट को, मैं समझता हूं, लेकिन इस प्रकार का प्रावधान शायद नहीं होगा। या तो कोई गलती रही होगी या आपके एक्ट में रूल्स बनाते वक्त आपको सबोर्डिनेट लैजिस्लेचर में अधिकार दिया था कि आप इसमें रिट्रोस्पेक्टिवली इफैक्ट देने का भी रूल बना सकते हो। स्पेसिफिक प्रोवीजन अगर प्रिंसिपल एक्ट में है तो वह बात अलग है लेकिन स्पेशल प्रोवीजन अगर प्रिंसिपल एक्ट में नहीं है तो फिर किसी भी नोटिफिकेशन के जरिए रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से देना मैं समझता हूं, मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स एक्ट में जो अधिकार दिये गये हैं उन्हीं का प्रयोग किया गया है और उसमें टाइम एक्सटेंशन किया गया है। लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव भी अधिकार है, यदि प्रतिपक्ष के माननीय नेता चाहें तो मोशन मूव करके इस पर डिबेट करवा लें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अधिकार तो आपको है लेकिन कारण तो बताइये।

श्री हरिशंकर भामड़ा : इस सम्बन्ध में प्रक्रिया यह है आप मोशन मूव करके चाहें तो एट लैंथ डिबेट करवा लें। मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री जुबेर खान : जरूरत क्या पड़ रही है, यह बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल खनिज मंत्री खनिज विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

खनिज विभाग

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खनिज विभाग की अधिसूचना संख्या प. 15 (15) खान/ग्रुप–2/96, दिनांक 2.8.97 जिसके द्वारा गौण खनिज रियायत नियमावली, 1986 की अनुसूची-II व I में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा परिवहन राज्य मंत्री परिवहन विभाग की चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

परिवहन विभाग

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित अधिसूचनाएं जिनके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत कर में छूट दी गयी है, सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) अधिसूचना संख्या प. 6 (96)परि/कर/मुक्त/मु./97/पार्ट-II दि. 20.10.97.

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 6 (125) परि/कर/मुक्त/मु–197/पार्ट–I दिनांक 5.11.97

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 6 (125) परि/कर/मुक्त / मु–197 / पार्ट–I दिनांक 27.12.97, एवं

62

(श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा)

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 6(125) परि/कर/मुक्त/मु–197 दिनांक 29.1.98

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा, श्रम राज्य मंत्री श्रम विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्रम विभाग

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 4 (6) श्रम/97, दिनांक 21.11.97 जिसके द्वारा राजस्थान इकोनोमाइजर रूल्स, 1959 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप, राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग की 9 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

डॉ. रामप्रताप (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक रसद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (45) खा. वि/विधि/76–III दिनांक 30.8.1997 जिसके द्वारा राज्य के प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदारों तथा नियन्त्रित केरोसीन के खुदरा विक्रेताओं हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (11) खा. वि/विधि/80–V, दिनांक 30.8.1997 जिसके द्वारा राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 में संशोधन किये गये हैं।

(3) अधिसूचना क्रमांक एफ 17 (16) खा. वि./विधि/94–II दिनांक 22.9.97 जिसके द्वारा अनुज्ञापित नवीनीकरण में छूट प्रदान की गयी है।

(4) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (7) खावि/विधि/97 दिनांक 23.10.97 जिसके द्वारा राइस प्रोक्योरमेंट (लेवी) आदेश, 1985 में संशोधन किया गया है।

(5) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (65) खावि/विधि/74, दिनांक 12.11.97 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

(6) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (16) रा. स. वि/विधि/94–II, दिनांक 19.11.97 जिसके द्वारा राजस्थान ट्रेड आर्टिकल (लाइसेन्सिग एण्ड कन्ट्रोल) आदेश, 1980 में संशोधन किये गये हैं।

(7) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (16) खा. वि. विधि/94–II, दिनांक 19.11.97 जिसके द्वारा थोक व खुदरा हेतु अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है।

(8) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (7) खा.वि/विधि/97 दिनांक 24.11.97 जिसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा चालू खरीफ मौसम (1997–98) में चावल लेवी पचास प्रतिशत से 25 प्रतिशत की गयी है, एवं

(डा. रामप्रताप)

(9) अधिसूचना क्रमांक एफ. 17(45) खा. वि/विधि/76–III दिनांक 21-2-98 जिसके द्वारा राजस्थान फूडग्रेन एण्ड अदर एसेंशियल आर्टिकल (रेग्यूलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 1976 में संशोधन किये गये हैं।

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री, भारतीय संविधान की धारा 323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय संविधान की धारा 323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री दो वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम की धारा 619–ए के अन्तर्गत निम्नांकित निगमों के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवपलमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि., जयपुर का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1996–97, एवं

(2) राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1996–97.

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल, ऊर्जा मंत्री, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (उर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधि–नियम, 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995–96 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा, परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

अधिसूचना

उद्योग विभाग

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बीच में, उद्योग विभाग की तीन अधिसूचनाएं रखनी थीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उद्योग विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) अधिसूचना संख्या प. 5 (49)उ/1/93, दिनांक 28-2-97 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधि–करण अधिनियम, 1995 लागू किया गया है।

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

(2) अधिसूचना संख्या प. 5 (49) उद्योग/1/93, दिनांक 11-3-97 जिसके द्वारा भिवाड़ी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या प. 5 (49) उद्योग/1/93, दिनांक 11-3-97 जिसके द्वारा भिवाड़ी क्षेत्र के कतिपय चरणों हेतु औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित किया गया है।

प्रतिवेदन

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, गृह मंत्री, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अनुच्छेद-12 के अन्तर्गत लोकायुक्त के प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत लोकायुक्त का प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति, 1997–98 का 91वां, 92वां एवं 93वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, जन लेखा समिति, 1997–98 समिति के तीन प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सभापति, जन लेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित तीन प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :–

(1) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट पशुपालन विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1986–87 का अनुच्छेद संख्या 5.3, 6.8 वर्ष 1987–88 का अनुच्छेद संख्या 3.2 वर्ष 1991–92 का अनुच्छेद संख्या 3.1 व भेड़ व ऊन विभाग से सम्बन्धित वर्ष 1990–91 का अनुच्छेद संख्या 3.4 वर्ष 1993 का अनुच्छेद संख्या 3.7 से सम्बन्धित मामलों पर 91वां प्रतिवेदन,

(2) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट गृह विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992–93 का पैरा संख्या 3.7 वर्ष 1994–95 का पैरा संख्या 3.5 एवं पैरा संख्या 5.1 से सम्बन्धित मामलों पर 92वां प्रतिवेदन, एवं.

(3) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट वर्ष 1985–86, अंकेक्षण अनुच्छेद संख्या 3.7 तथा वर्ष 1994–95 का अनुच्छेद सं. 3.3 से सम्बन्धित 93वां प्रतिवेदन।

समिति का प्रतिवेदन
कार्य सलाहकार समिति का 26वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन का ...

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): जो प्रतिवेदन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने एप्रूव किया था वह सदन की एप्रूवल के लिये आप अभी लाये हैं। उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में आज चर्चा होनी थी और उसको प्रस्तुत किया जाना था। लेकिन तीन बजे क्योंकि आप वोट ऑन अकाउण्ट प्रस्तुत करेंगे तो आप इस प्रस्ताव को संशोधित रूप में रखेंगे। यह आप मुख्य मंत्रीजी से पूछ लीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : संशोधन तो कभी भी हो सकता है। अभी तो समय है तीन बजने में और राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस प्रारम्भ हो जाएगी, संशोधन की आवश्यकता होगी तो कर लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आवश्यकता तो नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी तो समय है।

श्री परसराम मदेरणा : छब्बीसवें प्रतिवेदन, जैसा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सदन में प्रस्तुत किया है उसको उसी तरह से आप यहां पर सदन में रख रहे हैं। You are putting it to vote. मैं यह कह रहा था कि जो इसमें समय दिया हुआ है वह समय तो निकल चुका है, तो इसे संशोधित रूप में रखा जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी उसका समय नहीं निकला, अभी 15 मिनट बाकी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : 15 मिनट में ? राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उन्होंने जो कृपा की वे धन्यवाद के पात्र हैं, इसके प्रस्तावक अभी 10–15 मिनट में अपना भाषण रख देंगे ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : शुरू हो जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं, वह फार्मल्टी अगर होती है तो इसका मतलब वोट ऑन अकाउण्ट को रैफर कर रहे हैं आज आप। वोट ऑन अकाउण्ट रहेगा तो फिर उस सम्बन्ध में, मुख्य मंत्रीजी, 15 मिनट का कहकर इश्यू कम एक्रोस तो नहीं होगा इस तरह से ? क्योंकि रियल्टी यह है, वास्तविकता यह है कि सदन में अभी तक धन्यवाद का प्रस्ताव आया नहीं है। वह फिर आगे रखा जाएगा क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : एक मिनट, यहीं भाषण भी देंगे और इस बीच में तीन बज गये तो उस भाषण की कार्यवाही नैक्स्ट डे की जाएगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य–सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के वेश्म में दिनांक 9 मार्च, 1998 को मध्यान्ह पश्चात् 2.00 बजे हुई। समिति ने दिनांक 10 मार्च से 18 मार्च, 1998 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार कर निर्णय लिया कि कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :—

मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 1998	1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1997–98 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन 2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद।
समय : म. प. 3.00 बजे	3. आय–व्ययक अनुमान वर्ष 1998–99 एवं लेखानुदान सम्बन्धी विवरण का उपस्थापन 4. वर्ष 1998–99 के लिये लेखानुदान सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 1998	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद–विवाद।
गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 1998 शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 1998 शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 1998 रविवार, दिनांक 15 मार्च, 1998	बैठक नहीं होगी
सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 1998 मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 1998 बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 1998	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री रघुवीरसिंह कौशल, प्रभारी मंत्री राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): जैसा मुख्य मंत्रीजी ने वहां पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को सूचित किया था, जो आर्डिनेंस हैं उनको रिप्लेस करने के बिल जाए जाएंगे इस सैशन के अन्दर। अब जो दो दूसरा बिल इण्ट्रोड्यूस करने की बात थी, कल यह तय नहीं हुआ था कि इस बिल को इण्ट्रोड्यूस किया जाए। इण्ट्रोडक्शन के बारे में मुझे एतराज नहीं है लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तो ऐसा निर्णय नहीं हुआ था। कई बिल्स हैं, आगे, इण्ट्रोड्यूस हुए भी हैं, नये कई इण्ट्रोड्यूस करने हैं उस सम्बन्ध में कोई निर्णय वहां पर नहीं हुआ था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इण्ट्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। बिल को इण्ट्रोड्यूस किया जा जा सकता है, उसमें विचार होगा कि नहीं होगा, पारित होगा कि नहीं होगा यह दूसरा प्रश्न है। लेकिन उस वक्त बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। सचिव महोदय मेरी तरफ देख रहे हैं ये भी वहां बैठे हुए थे। उस सम्बन्ध में चर्चा तो नहीं हुई थी कि इनको इण्ट्रोड्यूस करवाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ये बिल कौन-कौन से इण्ट्रोड्यूस किए जाएंगे, एक ही लाइन में मैंने कहा था कि जो बिल इण्ट्रोड्यूस किये जाने हैं वे भी कर दिए जाएं। अब आप यह सही कह सकते हैं कि एक-एक बिल के बारे में कोई चर्चा हुई हो, नहीं हुई हो, जो इण्ट्रोड्यूस करने वाले बिल हैं, उनका उल्लेख किया था और उल्लेख करने के बाद इण्ट्रोडक्शन की स्टेज पर तो कोई बात ही नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए इण्ट्रोडक्शन के लिये मैंने बात कही थी और वही बिल इण्ट्रोड्यूस किये जा रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अधूरा बिल है। मेरे ख्याल से इसमें सदन की भावना सम्मिलित करते हुए इसको पूरा करना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां मौजूद हैं और सदन की जैसी भावनाएं हैं उसके अनुरूप ही इस बिल को किया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या भावनाएं हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : सदन के सदस्य हमेशा कहते आये हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ...नहीं, भावनाएं क्या हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : आज इस महंगाई में...

श्री रतनलाल ताम्बी : सदन के नेता महोदय जानते हैं भावनाओं को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बताओ आप।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जाते-जाते से क्या +++मांग रहे हो, अब तो आने वाले हैं उनसे बात करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आने के तो सपने ही लेओ। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद :... आप कहां बैठेंगे और हम कहां बैठेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना क्यों इतराते हो। जो कांग्रेस की हालत हो रही है, यह सारी इस बारे में कोई कल्पना करे कि हम उधर बैठेंगे और आप इधर बैठेंगे, इसकी कल्पना नहीं है। राजस्थान का इतिहास बता रहा है कि जो पार्टी कहीं जीती है और आगे जाकर के क्या परिणाम निकले हैं। इसका इतना अभिमान मत करो....यह जनता के ...

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप यह भ्रम पाल रहे हो प्रतिपक्ष में बैठने का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भ्रम नहीं है। भ्रम निकाल देऊंगा, आप चिंता ही मत करो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपका मन बन गया है। प्रतिपक्ष में बैठने को।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप इधर ही बिराजे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप थोड़ी-सी देर उधर बैठे हैं तो कई वर्षों से तिलमिला रहे हो। अब मैं ..

श्री चन्दनमल बैद : बड़े जोर से घोषणा कर रहे थे कि 20 सीट लेंगे, तो 20 गंवा चुके। यह जो भ्रम आप पाल रहे हो कि आप उधर बैठेंगे तो यह भ्रम भी आप छोड़ देंगे।

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता दूं ...

श्री चन्दनमल बैद : आप इस जगह बैठेंगे, परसराम जी वाली जगह।

श्री देवीसिंह भाटी : चन्दनमल जी, आपकी तो हार निश्चित है। आपकी तो बारी बन्धी हुई है कि एक बार हारना और एक बार जीतना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य। प्रभारी मंत्री विधेयक का पुर: स्थापन भी करेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुर: स्थापित करता हूं।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुर:-स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुर:-स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुर:स्थापित करता हूं।

अनुपूरक अनुदान की मांगों (द्वितीय संकलन) वर्ष, 1997-98 का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांगों पर उपस्थापन। श्री हरिशंकर भामड़ा, उप मुख्य मंत्री वर्ष 1997-98 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करेंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1997-98 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री अर्जुनदास मदान (विभाजन संख्या 8) सदस्य, विधान सभा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह वाद-विवाद प्रारम्भ हो उससे पहले मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि इस सदन के माननीय सदस्य और मंत्री मंडल के सदस्य माननीय श्री देवीसिंह जी भाटी को किस परिस्थितियों में कैसे मंत्री

(श्री हरिसिंह)

मंडल से हटाया गया, कम से कम इस सदन को इस बात की पूरी जानकारी मंत्री महोदय के माध्यम से मिलनी चाहिये। सदन को अंधेरे में नहीं रखा जाए।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं खुद स्पष्ट कर दूं। मैंने स्वयं ने इस्तीफा दिया है। कोई न किसी का दबाव है, न किसी दबाव में आऊंगा। इस प्रकार के चुंगल में आप अगर लेना चाहें तो मैं आने वाला नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री महोदय, आपने जो 15 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी की और राजस्थान सरकार को चुनौती दी कि किसी में दम हो तो आपको आकर अरेस्ट करे, हम तो तब पूछ रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : इतना ज्यादा देखिये... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान। माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस्तीफा क्यों दे दिया यह तो बता दें सदन को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन की अनुमति के बिना बातचीत न करें। सीधा वार्तालाप नहीं करना चाहिये आप स्वयं जानते हैं। श्री अर्जुनदास मदान।

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन में एकत्रित हम राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

महोदय, कल जब सदन में राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण दे रहे थे तो मेरी दृष्टि मेरे दायीं ओर बैठे हुए सदस्यों की ओर भी गयी। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने इश्तिहार लगा रखे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस्तीफा दे। कुछ लोगों ने तख्तियों पर 5/25 लिखकर कुछ इस प्रकार से अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रखा था...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : जनता ने जो रिजल्ट दिया था वह हमने लिखा था तख्तियों पर। कुछ गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर रखा था।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं निवेदन कर रहा था कि आप सदन में इस्तीफे की मांग करें यह विपक्ष का अधिकार है लेकिन बहुत अच्छा होता कि यदि थोड़ा बहुत हमसे इस्तीफे की मांग करने वाले लोग अपने उन मठाधीशों की सरकारों की ओर भी देख लेते। वे उड़ीसा की ओर देख लेते, वे मध्य प्रदेश की ओर देख लेते, हिमाचल में अपनी बुरी स्थिति की ओर देख लेते, फिर हमसे इस्तीफे की मांग करते.... (व्यवधान) मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा....

श्री रामस्वरूप मीणा : आप राजस्थान की बात करो। आप कहां की बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : हमारी शालीनता की दाद दो....

श्री अर्जुनदास मदान : हरिसिंह जी साहब, जब आपका नम्बर आएं आप बोल लें। मैं तो कभी आपके बीच में व्यवधान पैदा नहीं करता। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपको कोई चीज हो सकता है नहीं भाए। यह तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको सुहाती हुई भाषा ही बोलूं। आपको अगर मेरी बात अच्छी न लगे तो उसकी कटाक्ष करें, लेकिन थोड़ी कृपया करके सुन लें। मैं जो कुछ आपसे निवेदन कर रहा हूं अगर उसमें कुछ....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैदान तो उप मुख्य मंत्री जी....(व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैंने यह गलत कहा कि उड़ीसा में ये बहुमत में नहीं रहे ? क्या मैंने यह गलत कहा कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार अब अल्पमत में आ गयी। अगर इसी पर आप देखना चाहते हो तो अब इसके ऊपर भी मैं निवेदन करता हूं कि आप मांगें इस्तीफा। कल तो मैंने मजाक में कहा भी था हमारे माननीय सदस्य रामस्वरूप जी से बहुत विनम्रता से। हम मैस में मिल गये थे और मैंने उनसे एक ही बात कही कि मुझे ध्यान आता है कि मेरे गांव में 6 जुलाहे थे, 10 साल बाद बड़ी मुश्किल से उनके यहां एक सन्तान पैदा हो गयी थी और भाइयों ने और भाइयों की बहनों ने चूम चूमकर लड़के को मार दिया। भाई, ठीक है प्रसन्नता होती है।

एक माननीय सदस्य : 40 साल सरकार चली है मुश्किल से बच्चा नहीं हुआ है....(व्यवधान) बच्चा तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मदान साहब ने .. (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : मैंने जो बात कही। मेरे मित्र हैं, मैं उनका आदर करता हूं। मेरे लिये आदरणीय हैं और मेरे नजदीक के ही हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस पर ये कहते है कि राजस्थान की जनता ने इनको ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको जब अवसर दिया जाए तब आप जवाब दें। कृपया बोलने दें। कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुनदास मदान : यह मजाक मैंने उनसे भी किया था। महोदय, मैं आपके माध्यम से....

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मदान साहब आपने धन्यवाद प्रस्ताव तो दिया। मगर हम जानना चाहते हैं आपने त्याग पत्र क्यों दिया था। आपका क्या मामला था उसका खुलासा कर लें।

श्री अर्जुनदास मदान : मान्यवर, वह मैं आपको बाद में बता दूंगा। मैंने न तो दिया और जो कुछ वह था वह परिस्थितियां अगर थीं तो ठीक है। मैं तो इस वक्त जो बोल रहा हूं, आप और हम तो मिलते रहते हैं आप पूछ लेना मुझसे बाहर।

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महानुभावों से निवेदन करूंगा कि आपने जीवन में नदी को भी देखा होगा। और समुद्र को भी देखा होगा। नदी के

(श्री अर्जुनदास मदान)

व्यवहार को भी देखा होगा और समुद्र के व्यवहार को भी देखा होगा। नदी की क्या स्थिति होती है कि बरसात के दिनों में थोड़ा बहुत पानी उसको मिल जाता है कहीं से तो अपनी सीमाओं को, मर्यादाओं को लांघकर वह इधर-उधर बहना प्रारम्भ कर देती हैं। लेकिन समुद्र को यदि आप देखें तो उसमें न जाने कितनी नदियां समाहित होती हैं जाकर, लेकिन वह अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ता। उसमें पूर्णता आती है। यदि वह प्रसन्न होता है तो बाहर के पानी को लेकर प्रसन्न नहीं होता है। जब वह पूर्णिमा के चन्द्रमा को देखता है, तब कहीं जाकर उसमें ज्वार आता है। यही समुद्र का चरित्र है।

(15.00)

मान्यवर, उपयुक्त होता कि ये यहां की बात करने के पहले दिल्ली की तरफ थोड़ा निहार लेते, थोड़ा देख लेते, थोड़ा झांक लेते तो मेरा यह विश्वास था कि मैं यह नहीं देखता। मैं आपके माध्यम से केवल मात्र इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 1977 के दिन भी थे जब 25 लोक सभा सीटों में से 24 जनता पार्टी की झोली में आई थीं। तब भी हमने इतना अभिमान नहीं किया था। मैं यह निवेदन करूं कि यह चुनाव है, हार होती है, जीत होती है, चुनावों को चुनावों की दृष्टि से लेना चाहिए। इसमें क्या ऐसी बात हो गई कि थोड़ा अगर अल्पमत आ भी गया किसी का, तो साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो? चुनाव आ रहे हैं, अखाड़े के दंगल में आप भी अपना लंगोट घुमाना, हम भी अपना लंगोट घुमाएंगे, उस वक्त देखेंगे। जिसमें ज्यादा बल होगा वह पहलवान जीत जाएगा कुश्ती में। अब मैं एक निवेदन करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं फिर कल निवेदन करूंगा, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कन्टीन्यू रखेंगे, आपका भाषण जारी रहेगा, आप विराजें।

श्री अर्जुनदास मदान : मान्यवर, आज का सैम्पल इतना ही बहुत है, फिर कल देऊंगा।

वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1998-99 का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री, राजस्थान राज्य के विस्तृत वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1998-99 का उपस्थापन करेंगे। वे वर्ष 1998-99 के लिए लेखानुदान (वोट ग्रान अकाउण्ट) का विवरण भी प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1998-99 के लिए राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं।

वर्ष 1997-98 के बजट अनुमानों में 157 करोड़ 52 लाख रुपये का राजस्व घाटा और पूंजी खाते तथा लोक खाते की लेन-देनों सहित कुल मिलाकर 350 करोड़ 42 लाख रुपये का अधिशेष अनुमानित था। संशोधित अनुमानों के अनुसार अब 495 करोड़ 93 लाख रुपये का घाटा

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

राजस्व खाते में रहने की सम्भावना है। यद्यपि चालू वर्ष के बजट में तो 480 करोड़ 41 लाख रुपये का अधिशेष रहने का अनुमान है लेकिन वर्ष के अन्त में, प्रारम्भिक घाटे के समायोजन के पश्चात् 85 करोड़ 58 लाख रुपये का समग्र घाटा रहना अनुमानित है।

वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में 15,503 करोड़ 11 लाख रुपए का कुल व्यय आकलित है। इन बजट अनुमानों में राजस्व व्यय 11,687 करोड़ 24 लाख रुपए का एवं राजस्व प्राप्तियां 9,700 करोड़ 29 लाख रुपए अनुमानित की गई हैं, जिसके कारण राजस्व खाते में 1,986 करोड़ 95 लाख रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है। राजस्व खाते में घाटे का मुख्य कारण राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों, वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों एवं अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत संशोधित वेतनमान, भत्ते एवं पेंशन लाभ देने के कारण होने वाला अतिरिक्त व्यय है। फिलहाल के अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1998-99 के अन्त में समग्र घाटा 498 करोड़ 71 लाख रुपए होना अनुमानित है।

अभी केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1998-99 हेतु बजट पेश नहीं हुआ है जिसके कारण केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को कर राजस्व के अन्तर्गत मिलने वाले हिस्से तथा अन्य अनुदानों की राशियों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न ही केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत राजस्व राज्य सरकार को अगले वर्ष मिलने वाली राशियों के बारे में सूचना मिली है।

दसवें वित्त आयोग ने केन्द्र के कर राजस्व में से 29 प्रतिशत हिस्सा राशि राज्यों को वितरित करने की सिफारिश की थी जिसे सिद्धांततः केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया लेकिन इस विषयक आवश्यक संवैधानिक संशोधन न होने से यह राशि मिलना प्रारम्भ नहीं हुई है तथा कितनी राशि कब मिलेगी इसका आकलन भी अभी केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नहीं हो पाया है।

केन्द्र सरकार से स्वैच्छिक आय घोषणा योजना-1997 के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व में से राज्य सरकार को मिलने वाली राशि का आकलन तथा उसके अन्तरण विषयक सूचना भी अभी प्राप्त नहीं हुई है।

योजना आयोग ने राज्य की वार्षिक योजना 1998-99 के सम्बन्ध में यह सूचित किया है कि केन्द्र में लोक सभा चुनाव के पश्चात् बनने वाली नई सरकार के गठन के बाद ही योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय सहायता, बाजार ऋण आदि राशियों की जानकारी दी जा सकेगी। अतः फिलहाल हमने अगले वर्ष की आयोजना व्यय को चालू वर्ष के लिए प्रारम्भ में स्वीकृत राशि 3500 करोड़ रुपए की सीमा के अन्दर तक ही निर्धारित किया है। वार्षिक योजना 1998-99 पर अन्तिम विचार हो जाने पर उपलब्ध साधनों को दृष्टिगत रखते हुए, हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप एवं जन आकांक्षाओं के अनुकूल परिवर्तित बजट अनुमानों

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

को प्रस्तुत करते समय योजना व्यय को अन्तिम रूप दिया जाना प्रस्तावित है।

करारोपण सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव हम परिवर्तित बजट प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत करेंगे। गत बजट सत्र व उसके पश्चात् बिक्रीकर सम्बन्धी कुछ सशर्त रियायतें दी गई थीं जिनकी अवधि दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त हो रही है। अतः मैं इस वक्तव्य के साथ संलग्न सूची में वर्णित करारोपण सम्बन्धी अधिसूचनाओं जिनकी अवधि 31 मार्च, 1998 को समाप्त हो रही है, की प्रभावी अवधि को 31 जुलाई, 1998 तक बढ़ाना प्रस्तावित करता हूं। संशोधित अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रख दी जाएंगी।

जैसा कि अपेक्षित है, वर्ष 1998–99 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है और अन्य बजट पत्रों के साथ-साथ अनुदान की मांगें भी माननीय सदस्यों को दी जा रही हैं। साथ ही हम वित्तीय वर्ष 1998–99 के पहले चार महीनों के लिए, यथा 31 जुलाई, 1998 तक, व्यय हेतु "लेखानुदान" की मांग कर रहे हैं। इस अवधि की समाप्ति के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान व प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

(संलग्न सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–21 देखें)

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): एनुअल फाइनेंशल स्टेटमेंट के फिगर्स आपने सदन की मेज पर रखे.... (व्यवधान)....

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव 1998–99

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 1998–99 के विवरणों में मांग संख्या एक से पचास के सम्मुख अंकित लेखानुदानों की राशियों के अनधिक, जिनका योग 64 अरब, 46 करोड़, 37 लाख, 1 हजार रुपए मात्र है, व्यय के लिए अनुदत्त कर दिया जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : 64 लाख है कि 64 करोड़ है, कितना है?.... (व्यवधान) ... ।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : जो लिखा है, वह है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : यह आपका विषय नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, काइण्डली फोर इन्फोर्मेशन, जब आप यह कह रहे हैं कि टेंथ फाइनेंस कमीशन की जो अल्टरनेटिव स्कीम है, उसमें करों का हिस्सा आपको क्या मिलेगा, अभी तक इंडीकेशन आपको आया नहीं है और न कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। आप यह भी कह रहे हैं कि हमको अनुपात की कितनी राशि भारत सरकार से

(श्री परसराम मदेरणा)

मिलेगी, यह अभी तक भारत सरकार ने आपको इंडीकेट नहीं की है। और आप यह भी कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन, हमें कुछ योजनाएं जो बताईं, इन योजनाओं में कितनी राशि हमको देगा यह भी इंडीकेट नहीं किया है। फिर आप 1998-99 का एनुअल फाइनेंशल स्टेटमैट रख रहे हैं, उसमें अगर यह राशि नहीं आप शुमार कर रहे हैं तो फिर यह तो अधूरा रह गया मामला।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, लेखानुदान इन्हीं परिस्थितियों में....

श्री परसराम मदेरणा : किसका वोट ऑन अकाउण्ट ले रहे हैं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बता रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : इन्होंने वोट ऑन अकाउण्ट लिया है जो आपने आंकड़े अन्दर रखे हैं वे काल्पनिक हैं क्या ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वही बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि जो अभी हम लेखानुदान ले रहे हैं, वह हमारे पिछले बजट और पिछली योजनाओं, उसी को आधार मानकर आपसे लेखानुदान ले रहे हैं। इसमें अन्य करारोपण या केन्द्र सरकार की ओर से जो हमको मदद मिलने वाली है, यह अभी शामिल नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : करारोपण तो वोट ऑन अकाउण्ट में होता नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा । होता नहीं है न इसलिए...

श्री परसराम मदेरणा : उसके लिए होता तो आप फाइनेंस बिल लाते।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसलिए अभी जो पिछला बजट है....

श्री परसराम मदेरणा : आप फाइनेंस बिल नहीं ला रहे हो इसका मतलब आप करारोपण नहीं कर रहे हो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उसी बजट पर हमारे व्यय में पांच से लेकर दस प्रतिशत तक बढ़ाकर पूरे साल भर का बजट रखा है। उसके अनुपात में चार महीने का लेखानुदान हम आपसे ले रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बात कही है इसका मतलब मैं क्या यह निकालू कि चालू वर्ष बजट को दस परसेंट बढ़ाकर चार महीने का लेखानुदान आपने लिया है ? यही बात है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अलग-अलग मदों में 5 से 10 परसेंट तक व्यय में बढ़ोतरी करके पूरे 98–99 का बजट, उसको आधार बनाकर, आकलन के आधार पर हम चार महीने का लेखानुदान ले रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अभी तो आप

(76)

(श्री चन्दनमल बैद)

यह कह रहे थे कि चालू वर्ष का जो बजट है 97–98 का, उस बजट को 10 परसेंट बढ़ाकर आप चार महीने का लेखानुदान ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, यह तो बता दीजिए।

श्री हरिशंकर भामड़ा : यदि समझ में नहीं आया तो मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं।

श्री चन्दनमल बैद : हां, नहीं समझ में आया।

श्री हरिशंकर भामड़ा : हमारे वर्तमान बजट में, जो चालू वर्ष का बजट है, इसमें जो व्यय के हमारे आंकड़े हैं उनमें अनुमानित 5 से लेकर 10 परसेंट तक की बढ़ोतरी का आकलन कर पूरे वर्ष 98–99 का बजट हमने प्रस्तुत किया है उसमें से चार महीने का लेखानुदान प्रपोर्शनेटली हम ले रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : यही बात तो मैं कह रहा था, फिर आपने समझाया क्या मुझे ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय, को 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 1998–99 के विवरण में मांग संख्या 1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग 64.46,37,01,000/– रुपये (छह हजार चार सौ छियालीस करोड़ सैंतीस लाख एक हजार रुपये) मात्र है, व्यय के लिए अनुदत्त कर दी जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–2) विधेयक, 1998

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भामड़ा, उप मुख्य मंत्री राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–2) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–2) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–2) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–2) विधेयक 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भामड़ा प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान

(श्री उपाध्यक्ष)

विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–2) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। मैं यह निवेदन कर रहा था कि उप मुख्य मंत्री जी ने इस विनियोग विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव रखा है, इसका वोट ऑन अकाउण्ट, जो चार महीने का है इसकी जो ग्रान्ट है वह ग्रान्ट Will they not be put to the vote ? मैं यह समझता हूं कि वोट लेकर उसके बाद में इस विधेयक को लाना चाहिए। वह ग्रान्ट कहां है जिसके ऊपर अमाउन्ट ले रहे हैं? 50 आपकी डिमाण्ड्स हैं। 50 डिमाण्ड्स आप हाउस से ग्रान्ट क्यों नहीं करा रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : 1 से 50 अभी-अभी मंजूर हुई हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, कहां मंजूर हुई हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी-अभी हुई हैं।

श्री परसराम मदेरणा : वोट ऑन अकाउण्ट की जो बात की है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह अभी-अभी मंजूर हो गई। आपने नो भी नहीं कहा।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसी लिए कहा था किसी की समझ में नहीं आया।

श्री परसराम मदेरणा : Every demand should be put to vote. आपने सबको एक से पचास कहा, एक से पचास क्या?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–2) विधेयक, 1998 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री हरिशंकर भामड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–2) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–2) विधेयक, 1998 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–2) विधेयक, 1998 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 11 मार्च, 1998 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 15.16 बजे बुधवार, 11 मार्च, 1998 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(78)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 3 का विवरण)

लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र की उपनिवेशन तहसील पूगल क्षेत्र को छोड़कर राजस्व तहसीलों में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का विवरण

जिला–बीकानेर

क्रम संख्या	नाम तहसील	उपनिवेशन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तान्तरित क्षेत्र में उपलब्ध भूमि रकबा बीघों में				राजस्व क्षेत्र में उपलब्ध बारानी भूमि (बीघों में)	कुल उपलब्ध भूमि (बीघा में)	विशेष विवरण
		कमाण्ड	अनकमाण्ड	बारानी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बीकानेर	3608	2638	—	6246	24534	30780	
2.	लूणकरणसर	3965	8595	—	12560	76571	89131	
3.	पूगल	6160	19880	—	26040	207852	233892	
4.	खाजूवाला	9935	112197	—	122132	58276	180408	
	योग	23668	143310	—	166978	367233	534211	

79

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची)

(बांसवाड़ा जिले के माध्यमिक विद्यालय/सी. माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पद)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम		I ग्रेड	II ग्रेड	III ग्रेड
1	2		3	4	5
1.	रा. बा. सी. मा. वि.	कुशलगढ़	2	–	–
2.	,,	बागीडोरा	1	1	–
3.	,,	घाटोल	1	–	–
4.	,,	बांसवाड़ा	5	1	–
5.	,,	आनन्दपुरी	–	2	–
6.	,,	सरेड़ी बड़ी	–	1	–
7.	,,	जोलाना	–	1	–
8.	,,	सज्जनगढ़	–	1	–
9.	,,	नई आबादी (बांसवाड़ा)	–	–	1
10.	सी. माध्यमिक वि.	गागड़तलाई	4	2	–
11.	,,	बड़ोदिया	6	–	–
12.	,,	कुशलगढ़	5	–	–
13.	,,	जोलाना	7	–	–
14.	,,	बागीदोरा	2	–	–
15.	,,	नगर, बांसवाड़ा	2	–	–
16.	,,	आनन्दपुरी	3	–	–
17.	,,	चन्द्रवाड़ा	1	–	–
18.	,,	नरवाली	2	–	–
19.	,,	घाटोल	2	–	–
20.	,,	पीपलखूंट	1	–	–
21.	,,	दानपुर	1	–	–
22.	,,	सेरडी बड़ी	2	–	–
23.	,,	अरथुना	3	–	–
24.	,,	गढ़ी	2	–	–

(80)

1	2	3	4	5
25.	सी. माध्यमिक वि. परतापुर	1	–	–
26.	,, पालोदा	1	–	–
27.	,, चिड़ियावासा	1	–	–
28.	,, खोड़न	1	–	–
29.	,, खांदू कालोनी	1	–	–
30.	,, नूतन बांसवाड़ा	3	–	–
31.	माध्यमिक विद्यालय घटोली	–	2	–
32.	,, बड़ी सरवा	–	1	–
33.	,, मुड़ासेल	–	1	–
34.	,, चौंखला	–	1	1
35.	,, बड़ी पड़ाल	–	–	1
		60	14	03

(81)

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या 6 की सूची)

राज्य में वर्ष 1996–97 में जिन संरक्षित इमारतों (स्मारकों) के रख-रखाव (मरम्मत) पर व्यय किया गया है, उनकी जिलेवार सूची व विवरण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष 1996–97

जयपुर जिला

1.	प्राचीन बावड़ी, मावपुरा (जिला–जयपुर)	1.00 लाख
2.	आमेर महल, आमेर	0.93 ,,
3.	दलाराम बाग, आमेर	0.20 ,,
4.	नाहरगढ़ किला, जयपुर	0.50 ,,
5.	अलबर्टहाल (राजकीय केन्द्रीय संग्रहालय भवन) जयपुर	3.10 ,,

उदयपुर जिला

1.	सूर्य मन्दिर, मंदेसर	0.57 ,,

भरतपुर जिला

1.	कमरा खास, भरतपुर किला, भरतपुर	0.47 ,,

जालौर जिला

1.	तोपखाना, जालौर	0.34 ,,

नागौर जिला

1.	अमरसिंह राठौड़ की छतरी, नागौर	0.50 ,,
2.	मालकोट, मेड़ता सिटी	1.00 ,,

अलवर जिला

1.	भर्तृहरि गुम्बज, तिजारा	1.69 ,,

जैसलमेर जिला

1.	पटवा हवेली, जैसलमेर	1.42 ,,

(82)

बाड़मेर जिला

1.	सूर्य मन्दिर, देवका	0.27 ,,
	योग	11.99 लाख

राज्य में वर्ष 1997–98 में अब तक जिन संरक्षित इमारतों (स्मारकों) के रख-रखाव (मरम्मत) पर व्यय किया गया है, उनकी जिलेवार सूची व विवरण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष 1997–98

जयपुर जिला

1.	जयपुर नगर परकोटा, जयपुर	28,56,029/–
2.	ज्योतिष यन्त्रालय, जयपुर	7,36,749/–
3.	अल्बर्टहाल, जयपुर	3,89,212/–
4.	आमेर महल, आमेर	8,55,942/–
5.	नकटी माता मन्दिर, जयभवानीपुरा	3,36,788/–
6.	नाहरगढ़ किला, जयपुर	12,57,216/–

टोंक जिला

1.	सुनहरी कोठी, टोंक	54,000/–

भरतपुर जिला

1.	कमराखास, भरतपुर किला, भरतपुर	18,68,751/–

अलवर जिला

1.	भतृहरि गुम्बद, तिजारा	9,48,112/–

जोधपुर जिला

1	हरिहर मन्दिर, ओसियां	5,25,303/–
	योग	98,28,102/–

राजस्थान सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक

क्रमांक	स्मारक/स्थान/वस्तु का नाम	स्थान
1	2	3
	जिला–अजमेर	
(ए)		
1.	अकबर का किला या मैगजीन या दौलत खाना	अजमेर
2.	अकबर के किले का मुख्य द्वार	अजमेर
(बी)		
3.	सन्तोष बावला जी की छतरी	पुष्कर
(सी)		
4.	टोड़ा तथा दिगम्बरों की जैन छतरियां	अजमेर
5.	गोपीनाथ जी का मन्दिर	सरवाड़
6.	चामुण्डा देवी का मन्दिर	अजमेर
	जिला–अलवर	
(बी)		
7.	राजगढ़ का किला	राजगढ़
8.	भर्तृहरि का गुम्बद	तिजारा
9.	गुम्बद फतेहजंग	अलवर
10.	नीलकंठ महादेव का स्थान	नीलकंठ
11.	नोगजा	नीलकंठ
12.	अलवर के राजप्रसाद, जिनमें सरकारी दफ्तर व राजकीय संग्रहालय, महाराजा के निजी भाग व जनानी ड्योढी शामिल हैं।	अलवर
(सी)		
13.	त्रिपोलिया	अलवर
(डी)		
14.	किला	इन्दौर
15.	खानजादा की कब्रें	इन्दौर
16.	कृष्ण कुण्ड	अलवर
17.	बड़गूजर के प्रधान के प्राचीन प्रासाद	राजगढ़
18.	सोमेश्वर महादेव का स्थान	भानगढ़
19.	पठान कब्रें	तिजारा

1	2	3
	जिला–बारां	
(बी)		
20.	शिव मन्दिर अथवा मण्डदेवरा	बारां
21.	मन्दिर समूह	काकूरनी
(सी)		
22.	किला	रामगढ़
23.	बांस थूड़ी मन्दिर	बांसथूड़ी
24.	किला	नाहरगढ़
25.	प्राचीन मन्दिर	खण्डेला
26.	मस्जिद	शाहाबाद
27.	बादल महल	शाहाबाद
28.	किला	शाहाबाद
29.	किला	केलवाड़ा
30.	हिन्दू मन्दिर	बारां
31.	शिव मन्दिर	नूरपुर
32.	शिव मन्दिर	नागदा
33.	मन्दिर	बढ़ेरा
34.	माता का मन्दिर	बड़ा खेड़ा
(डी)		
35.	मन्दिर	धुगन
36.	मन्दिर	विचालरा
37.	मन्दिर समूह	सहरोद
38.	शक्ति सागर तालाब	मोठपुर
39.	मन्दिर समूह	थूनपुर
	जिला–बाड़मेर	
(ए)		
40.	किराडू के मन्दिर	हातमा
(बी)		
41.	सिवाना का किला	सिवाना
42.	माता का मन्दिर	बीसूकला
43.	सूर्य मन्दिर	देवका

1	2	3
(सी)		
44.	जैन मन्दिर	जूना
	जिला–भरतपुर	
(बी)		
45.	किला (कमरा, खास, पुराना किला, किशोरी महल किले के अन्दर का भाग) शहर की कच्ची चहार दीवारी	भरतपुर
46.	प्राचीन प्रासाद	कुम्हेर
47.	जलमहल	कुम्हेर
48.	किला	डीग
49.	कामेश्वर महादेव का मन्दिर	कामां
50.	किला	वैर
51.	प्रासाद तथा वाटिका	वैर
52.	बलदेव जी के मन्दिर में पत्थर काट कर बनवाई गई प्रतिमा	रूपवास
53.	मुहम्मद गौरी के सेनापति की छतरी	नदबई
(सी)		
54	होल्कर की छतरी	गंगोर सोती
55.	छत्ता प्राचीन प्रासाद	डीग
56.	प्राचीन प्रासाद	कामां
57.	अकबर के कोस चिन्ह	कामां
58.	अकबर के कोस चिन्ह	कामां
59.	सूरज का मन्दिर	सतवास
60.	कालेखां का मकबरा	बयाना
61.	बारह खम्भों की छतरी	बयाना
(डी)		
62.	चौबुर्जा अथवा गढ़ी खेमकरण	भरतपुर
63.	लाल दरवाजा	कामां
64.	प्राचीन कुआं	कामां
65.	धर्मराज का कुआं	कामां
66.	विजय मन्दिर गढ़ के मार्ग में छतरियां	बयाना
67.	मुस्लिम कब्रें तथा सहले खां की कब्र	सहसान

(86)

1	2	3
	जिला–भीलवाड़ा	
(बी)		
68.	छतरी (बत्तीस खम्भों की छतरी)	माण्डल
69.	विष्णु मन्दिर	घोड़
70.	स्वर्गीय श्री केसरीसिंह बारहठ का भवन जो अब श्री आत्मानन्द मानव की पत्नी श्रीमती नर्मदा देवी के कब्जे में बताया जाता है।	शाहपुरा में जैन मन्दिर से लगा हुआ तथा चारभुजा मन्दिर के नजदीक नगरपालिका, शाहपुरा संख्या 8/346
(सी)		
71.	प्रतिमाओं युक्त शीतला मन्दिर	अनोप
72.	रुठी रानी का मन्दिर	घोड़
(डी)		
73.	मीनार (प्रहरी स्तम्भ)	माण्डल
	जिला–बीकानेर	
(बी)		
74.	बीकानेर के प्रारम्भिक शासकों की छतरियां	बीकानेर
75.	देवी कुण्ड सागर या छतरियां	,,
(सी)		
76.	जम्भाजी या मोकम का मन्दिर (विश्नोई सम्प्रदाय वालों का)	मोकम
77.	चिन्तामणी जैन मन्दिर	मोकम
78.	कोटगेट, जस्सूसरगेट, नत्थूसरगेट, शीतला गेट व मोगा गेट सहित बीकानेर शहर की प्राचीन चहार दीवारी तथा इसके दोनों ओर का 20 फुट क्षेत्र	बीकानेर
	जिला–बून्दी	
(बी)		
79.	शिव मन्दिर	कंवालजी
(डी)		
80.	हमीर का शिलालेख	कंवालजी

1	2	3
	जिला–चित्तौड़गढ़	
(सी)		
81.	ग्राम अवलेश्वर, तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित शुंगकालीन ब्राह्मी लेख युक्त स्तम्भ व चारों ओर 50 मीटर क्षेत्र। खसरा नम्बर 398	अवलेश्वर
82.	देवगढ़, तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित राजमहल	देवगढ़
	जिला–धौलपुर	
(बी)		
83.	तालाब शाही	बाड़ी
84.	मुच कुण्ड	धौलपुर
85.	कुण्ड तथा शिव मन्दिर	धौलपुर
(सी)		
86.	जर जरीना कब्रें तथा मस्जिद	धौलपुर
87.	प्राचीन बावड़ी	धौलपुर
88.	भूतेश्वर महादेव	बसेड़ी
89.	शेरगढ़ का किला	धौलपुर
	जिला–जयपुर	
(ए)		
90.	पहाड़ी पर आमेर के प्राचीन महल	आमेर
91.	यन्त्रालय	जयपुर
92.	सुदर्शन (नाहरगढ़)	,,
93.	ईसरलाट	,,
94.	हवामहल	,,
95.	शाहपुरा रोड की छतरियां	आमेर
96.	मुगल द्वार	बैराठ
97.	सामोद के महलों में बाईं ओर स्थित दो मंजिला शीशमहल	सामोद
(बी)		
98.	श्री जमवा माता का मन्दिर	जमवारामगढ़
99.	प्राचीन महल (पहाड़ी) के नीचे	आमेर
100.	पन्नामियां का कुण्ड	,,

(88)

1	2	3
101.	दलाराम का बाग	आमेर
102.	मोहनबाड़ी	,,
103.	संघी मन्दिर	,,
104.	प्राचीन आमेर की नगर दीवाल	,,
105.	गलता के मन्दिर	जयपुर
106.	नरसिंह जी का मन्दिर	आमेर
107.	माउपुरा की छतरियों के भित्ति चित्र	माउपुरा
108.	पुरानी बस्ती में स्थित पुरोहितजी की हवेली के भित्ति चित्र	जयपुर
109.	प्राचीन गोविन्द देवजी के मन्दिर में भित्ति चित्र	जयपुर
110.	प्राचीन गोविन्द देवजी का मन्दिर	जयपुर
111.	सामोद की हवेली पुरानी बस्ती के भित्ति चित्र	जयपुर
112.	गेटोर की छतरियां	जयपुर
113.	महारानियों की छतरियां (आमेर मार्ग पर)	जयपुर
114.	प्राचीन बावड़ी, खसरा नम्बर 616, 617/2	माउपुरा (सांगानेर)
115.	चौमूं का किला, परकोटा व खाई सहित	चौमूं
116.	नकटी माता का मन्दिर	जय भवानीपुरा
(सी)		
117.	श्री सूरज जी का मन्दिर	गलता पहाड़ी पर
118.	श्री कालिका देवी का मन्दिर	सिरड्योडी बाजार
119.	श्री बृजनन्दजी का मन्दिर	जयपुर
120.	चरण मन्दिर	जयपुर
121.	कल्याण जी का मन्दिर	जयपुर
122.	सूर्य मन्दिर	आमेर
123.	भवानी राय बोहरा का मकान	जयपुर
124.	सिसोदिया महारानी का मन्दिर	जयपुर
125.	जनाना घाट गलता के भित्ति चित्र	जयपुर
126.	सूर्य मन्दिर गलता	जयपुर
127.	बाला नन्दजी का मन्दिर	जयपुर
128.	अकबर के कोस चिन्ह	आमेर दिल्ली अजमेर रोड
129.	नगर दिवाल (सभी दरवाजों को सम्मिलित करके)	जयपुर
130.	सांगानेर का मन्दिर	जयपुर
131.	छतरियां स्टेशन रोड (श्री बी. एल. धामा के निवास के समीप)	जयपुर

1	2	3
132.	पहाड़ी पर अवस्थित समूचा नायला दुर्ग	नायला
133.	राजप्रसाद	नायला
(डी)		
134.	कृष्ण देव पयहारी की गुफा	जयपुर
135.	हाडी रानी के महल	आमेर
135.	बी-अल्बर्टहाल (राजकीय केन्द्रीय संग्रहालय भवन) जयपुर	जयपुर

जिला-जैसलमेर

(ए)		
136.	प्राचीन (पटवों की) हवेली, नगरपालिका नं. 3129	जैसलमेर शहर
137.	प्राचीन (पटवों की) हवेली, नगरपालिका नं. 3128	जैसलमेर शहर
138.	प्राचीन (पटवों की) हवेली, नगरपालिका नं. 3017	जैसलमेर शहर
139.	प्राचीन (पटवों की) हवेली, नगरपालिका नं. 3126	जैसलमेर शहर
140.	प्राचीन (पटवों की) हवेली, नगरपालिका नं. 3127	जैसलमेर शहर
141.	प्राचीन (पटवों की) हवेली, नगरपालिका नं. 3127 बी	जैसलमेर शहर
142.	प्राचीन (पटवों की) हवेली, नगरपालिका नं. 3013	जैसलमेर शहर
143.	जैसलमेर नगर में आसनी रोड़ पर स्थित सालमसिंह जी की हवेली, नगरपालिका नं. 2521	जैसलमेर शहर
144.	जैसलमेर नगर में गोयदानी पाड़ा स्थित नथमल जी की हवेली, नगरपालिका संख्या 4434	जैसलमेर शहर
(बी)		
145.	कीर्ति स्तम्भ	थाना पोकरण ग्राम ओला
146.	गढ़ीसर तालाब का मुख्य प्रवेश द्वार "टीलों की प्रोल" (खसरा नम्बर 490)	जैसलमेर शहर

जिला-जालोर

(बी)		
147.	जालोर का किला	जालोर
(सी)		
148.	तोपखाना	जालोर

1	2	3
	जिला-झालावाड़	
(बी)		
149.	किला	गागरोन
150.	दरगाह मीठे साहब	गागरोन
151.	पद्मामभि मन्दिर	झालरापाटन
	जिला-जोधपुर	
(ए)		
152.	जोधपुर का किला	जोधपुर
153.	हरिहर मन्दिर-1	ओसियां
154.	हरिहर मन्दिर-2	,,
155.	हरिहर मन्दिर-3	,,
156.	हरिहर मन्दिर-4	,,
157.	हरिहर मन्दिर-5	,,
158.	सूर्य मन्दिर (मन्दिर संख्या-7)	,,
159.	मदिर संख्या-8 (शिव मन्दिर)	,,
160.	मन्दिर संख्या-9 (पीपलाद माता)	,,
161.	विष्णु मन्दिर	,,
162.	जैन मन्दिर	,,
163.	सखिया माता मन्दिर	,,
164.	बावड़ी (जालरा या झालरा)	,,
(बी)		
165.	मण्डोर "वीरों का दलान"	मण्डोर
166.	राव मालदेव की छतरी	,,
167.	मोटा राजा उदयसिंह की छतरी	,,
168.	सवाई राजा सूरजसिंह की छतरी	,,
169.	राजा गजसिंह की छतरी	,,
170.	महाराजा जसवन्त सिंह प्रथम की छतरी	,,
171.	महाराजा अजीतसिंह की छतरी	,,
172.	पंचकुण्ड में छतरियां	,,
173.	कुक्कु देवल अथवा उत्कीर्ण कीर्ति स्तम्भ का स्थान तथा स्मारक अभिलेख अथवा रोहिन्स कूप	घटियाला

1	2	3
(सी)		
174.	टोकेश्वर महाराज की प्रतिमा	मण्डोर
175.	रावण चंवरी	मण्डोर

जिला-कोटा

(बी)		
176.	शिव मन्दिर	हरिपुरा
177.	सूर्य मन्दिर	बूढ़ादीत
178.	बद्रीनाथ तथा पार्श्वनाथ मन्दिर समूह	आवां
179.	गुफा व चट्टानों पर उत्कीर्ण शैलचित्र	आलनियां
(सी)		
180.	बड़ा तालाब तथा जग मन्दिर	कोटा
(डी)		
181.	मन्दिर समूह	कनवास
182.	शहर पनाह	दर्रा
183	केसर खां तथा डोकर खां की कब्र	कोटा
184.	गपड नाथ	रतककार
184.	बी–ब्रजविलास भवन (राजकीय संग्रहालय भवन) कोटा	कोटा

जिला-नागौर

(बी)		
185.	नागौर का किला	नागौर
186.	तारकिन दरवाजा या बुलन्द दरवाजा	,,
187.	अमरसिंह की छतरी	,,
188.	मालकोट	मेड़ता सिटी
189.	शिव मन्दिर	केकीन्द
190.	ग्राम छोटी खाटू (खसरा नम्बर 1460) जिला नागौर स्थित प्राचीन "पुल बावड़ी" नामक वापी (बावड़ी) व उसमें जड़ी प्रतिमाएं तथा बावड़ी के आसपास चारों ओर 50 मीटर तक का क्षेत्र	छोटी खाटू
191.	शिव मन्दिर	थांवला

1	2	3
(सी)		
192.	नागौर की अकबरी मस्जिद	नागौर
193.	शम की मस्जिद	"
194.	अकबरी मस्जिद या शाही मस्जिद	मेड़ता सिटी
195.	लाडनूं दुर्ग के बाहर, खसरा नम्बर 941 में स्थित मन्दिर मस्जिद	लाडनूं
	जिला—पाली	
(ए)		
196.	सूर्य मन्दिर	रणकपुर
(सी)		
197.	हथूंड़ी या हस्तिकुण्डी	हथूंड़ी
	जिला—सिरोही	
(बी)		
198.	सूर्य मन्दिर	वर्माण
	जिला—सीकर	
(बी)		
199.	फतेहपुर का किला	फतेहपुर
	जिला—टोंक	
(ए)		
200.	टोंक नगर के नजर बाग मध्य स्थित दो मंजिली सुनहरी कोठी व उसके चारों ओर का 50 मीटर का क्षेत्र	टोंक
	जिला—उदयपुर	
(बी)		
201.	मीरा मन्दिर	कैलाशपुरी एकलिंगजी
202.	रामनाथ मन्दिर तथा बावड़ी	जावर

1	2	3
203.	केसरियाजी मन्दिर	धूलेव
204.	गंगोदभिद कुण्ड	ग्राहाड़
205.	शिव मन्दिर समूह	ग्राहाड़
206.	मीरा मन्दिर	ग्राहाड़
207.	जगदीश मन्दिर	उदयपुर
208.	ग्रम्बिका मन्दिर (माताजी का मन्दिर)	जगत
209.	सूर्य मन्दिर	टूस
210.	विष्णु मन्दिर	ईसवाल
211.	महाराणा प्रताप के महल	चावण्ड
(सी)		
212.	छतरी समूह	खमनोर
213.	मन्दिर	कठडावन
214.	शिव मन्दिर	पालड़ी
215.	चारभुजा मन्दिर	खमनोर
216.	राजारामशाह के पुत्रों की छतरी	खमनोर
217.	मोती मगरी के प्रासाद	उदयपुर
218.	त्रिपुरुष देव का मन्दिर	घासा
219.	दुर्गा मन्दिर (माता जी का मन्दिर)	उनवास
220.	सूर्य मन्दिर	नांदराजा
(डी)		
221.	शिव मन्दिर	ग्रमरकजी ग्रम्बेरी के निकट
222.	प्रतिमाग्रों का चबूतरा (माता जी का थान)	तनेरार

राज्य सरकार द्वारा संरक्षित हुए स्मारक–224

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या 11 की सूची)

सूची "क"

विधान सभा क्षेत्र फलासियां जिला उदयपुर में कार्यरत चिकित्सा संस्था तथा उनमें स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की सूची

चिकित्सा संस्था	स्वीकृत पद					
	वी.ए.एस.	वी.ए.	पशुधन सहायक	सईस	जलधारी	सफाईकर्ता
पशु चिकित्सालय						
1. झाड़ोल (प)	1	1	1	1	1	1
2. फलासियां	1	—	2	1	1	1
3. बागपुरा	1	—	1	1	1	1
4. कोटड़ा	1	1	1	1	1	1
5. मामेर	1	—	2	1	1	1
पशु औषधालय						
1. गौराना	—	1	1	1	—	1
2. जोगीवड़	—	1	1	1	—	1

रिक्त पदों की स्थिति

1. पशु चिकित्सालय; मामेर

   डाक्टर-एक

   सईस-एक

2. पशु चिकित्सालय, कोटड़ा

   वी.ए.-एक

परिशिष्ट–5

(तारांकित प्रश्न संख्या 15 की सूची)

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
उदयपुर ।

क्रमांक : 4 (2) देव/94 जयपुर, दिनांक : 29-12-95

विषय :-5 राजकीय मन्दिरान का सर्वांगीण विकास ।

महोदय,

उपयुक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र क्रमांक एफ 1 (6) लेखा/देव/94/6702 दिनांक 24–6–95 के सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि देवस्थान विभाग के निम्नांकित मन्दिरों के सर्वांगीण विकास एवं जीर्णोद्धार का कार्य आवास विकास संस्थान के माध्यम से कराने हेतु वर्ष 1995–96 में 50.00 लाख (अक्षरे पचास लाख रुपये) मात्र रुपये व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र.सं.	नाम मन्दिर
1—	मन्दिर श्री माताजी नागनेची जी, बीकानेर
2—	मन्दिर श्री सोमनाथ जी महादेव, पाली
3—	मन्दिर श्री केशवराय जी, केशवरायपाटन, बून्दी
4—	मन्दिर श्री द्वारकाधीश व नवनीत प्रिया जी, झालरापाटन, झालावाड़
5—	मन्दिर श्री मथुराधीश जी, अलवर
5—	मन्दिर श्री मदनमोहन जी, किशनगढ़

उक्त व्यय बजट मद 2250 अन्य सामाजिक सेवाएं–103–पवित्र स्थानों, मन्दिरों का रख–रखाव (1) देवस्थान की जायदाद का अनुरक्षण–1 अनुरक्षण (आयोजना व्यय) से प्रभावी होगा ।

आयुक्त, देवस्थान विभाग, संशोधित अनुमान 1995–96 (आयोजना व्यय) में प्रावधान एवं अनुपूरक मांग (द्वितीय संकलन) में प्रावधान करवाये जाने हेतु वित्त (बजट) विभाग को समय पर सीधे प्रस्ताव अवश्यमेव भिजवायें ।

(96)

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की अन्तर्विभागीय सहमति क्रमांक 5092/वित्त/व्यय-2/95 दिनांक 21-11-95 एवं वित्त (बजट) विभाग की सहमति क्रमांक 1095/वित्त/बजट/95 दिनांक 11-12-95 के अनुसरण में जारी की गई हैं।

भवदीय;
ह०/
उप शासन सचिव

परिशिष्ट "ख"

कार्य दिवस एवं कारीगरों एवं मजदूरों का विवरण

1— सभा मण्डल के बाहर शिखर की सफाई का कार्य
दिनांक 8-11-97 से 17-11-97 तक 4 कारीगर
कुल 10 दिवस 4 कारीगर प्रतिदिन से कुल 40 कारीगर के कार्य दिवस

दिनांक 13-11-97 से 17-11-97 तक 2 मजदूर
कुल 5 दिवस 1 मजदूर प्रतिदिन से कुल 5 मजदूर के कार्य दिवस

2— मुख्य शिखर की सफाई के लिए प्रडान बांधने का कार्य दिनांक 16-12-97 से 21-12-97, 16-12-97 को 2 कारीगर 2 कुल कार्य दिवस
17-12-97 से 21-12-97 तक 4 कारीगर प्रतिदिन,
कुल 20 कारीगरों के कार्य दिवस

3— मुख्य शिखर की सफाई का कार्य
24-12-97 से 25-12-97 तक प्रतिदिन 4 कारीगर कुल 8 कार्य दिवस
26-12-97 से 28-12-97 तक प्रतिदिन 1 कारीगर कुल 3 कार्य दिवस
15-1-98 को 2 कारीगर कुल 2 कार्य दिवस
16-1-98 से 24-1-98 तक प्रतिदिन 3 कारीगर कुल 27 कार्य दिवस
25-1-98 से 28-1-98 तक प्रतिदिन 1 कारीगर कुल 4 कार्य दिवस
1-1-98 को 3 कारीगर कुल 3 कार्य दिवस
24-2-98 को 3 कारीगर कुल 3 कार्य दिवस
27-2-98 से 4-3-98 तक प्रतिदिन 3 कारीगर कुल 18 कार्य दिवस

परिशिष्ट–6

(तारांकित प्रश्न संख्या 20 का विवरण)

वर्ष 1994–95 से 1996–97 की अवधि में राज्य में आयुर्वेद विभागान्तर्गत स्वीकृत किए गए नवीन औषधालयों का विवरण

क्र.सं.	स्थान	जिला	चिकित्सा पद्धति
		वर्ष 1994–95	
1.	ओरवा	बांसवाड़ा	होम्योपैथिक
2.	पन्डावा	चित्तौड़गढ़	आयुर्वेदिक
3.	धमोतर	चित्तौड़गढ़	आयुर्वेदिक
4.	कतिसोर	डूंगरपुर	आयुर्वेदिक
5.	कोटड़ा	उदयपुर	आयुर्वेदिक
		वर्ष 1995–96	
1.	कानोड़	उदयपुर	यूनानी
2.	डोडावली	उदयपुर	आयुर्वेदिक
3.	सलूम्बर	उदयपुर	आयुर्वेदिक
4.	सिहड़ा	जोधपुर	आयुर्वेदिक
5.	डाबड़ा	नागौर	आयुर्वेदिक
6.	जोगा	जैसलमेर	आयुर्वेदिक
7.	इन्द्राणा	बाड़मेर	आयुर्वेदिक
8.	ठाकुरडा	पाली	आयुर्वेदिक
9.	नादाना माटान	पाली	आयुर्वेदिक
10.	ईसाली	पाली	आयुर्वेदिक
11.	मरवा	जयपुर	यूनानी
12.	जूना जोगापुरा	सिरोही	आयुर्वेदिक
13.	बढ़ाना	बांसवाड़ा	आयुर्वेदिक
14.	गेतवाला	बांसवाड़ा	होम्योपैथिक
15.	मोरथल	सिरोही	होम्योपैथिक

1	2	3	4
16.	मावल	सिरोही	आयुर्वेदिक
17.	गड़ा जसराजपुर	डूंगरपुर	आयुर्वेदिक
18.	सीमलवाड़ा	डूंगरपुर	आयुर्वेदिक
19.	बजरंगगढ़	चित्तौड़गढ़	आयुर्वेदिक
20.	कुलथाना	चित्तौड़गढ़	आयुर्वेदिक

नोट :—वर्ष 1996–97 में राज्य में विभागान्तर्गत कोई नवीन औषधालय स्वीकृत नहीं किया गया है ।

राजस्थान राज्य में विभागान्तर्गत वर्तमान में आयुर्वेदक चिकित्सकों के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रिक्त पदों की संख्या
1.	अजमेर	4
2.	अलवर	1
3.	बांसवाड़ा	8
4.	बारां	1
5.	बाड़मेर	14
6.	भरतपुर	—
7.	भीलवाड़ा	8
8.	बीकानेर	8
9.	बून्दी	1
10.	चित्तौड़गढ़	6
11,	चूरू	2
12.	दौसा	—
13.	धौलपुर	—
14.	डूंगरपुर	18

[redacted]या 21 की प्रति)

ऊन विपणन फैडरेशन लि. जयपुर

पलब्ध ऊन व कारपेट यार्न की मात्रा

[redacted]नहीं

.5 किलोग्राम

[redacted]क ऊन क्रय विक्रय का विवरण

विक्रय दर औसत 7	कुल विक्रय कीमत 8	लाभ/हानि 9	शेष ऊन की मात्रा 10	कीमत 11
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
45.40	647518.50	+ 2,30,384.50	30411.250	891264.25
37.21	1257184.77	+ 84,762.25	5025.600	
33.85	505190.90	— 1,67,985.60	58204.800	2625618.50
66.43	4436887.00	— 1,46,270.25	11140.350	764450.80
52.77	6846781.17	+ 890.90	94130.80	4067640.00

धागा बनाने हेतु दी गयी है।

68,46,781.17

46,39,492.17

1,14,36,273.17

19,12,421.35

5,73,851.82

परिशिष्ट–10 मार्च, 1

परिशि

(तारांकित प्रश्न सं

राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व

दिनांक 24–2–98 को फैडरेशन में

ऊन–उपलब्ध

धागा–1903

वर्ष 1990–91 से 1997–98 त

क्र. सं.	वर्ष	ऊन की मात्रा किलोग्राम	औसत क्रयदर	क्रय कीमत (रुपये)	विक्रय की मात्रा
1	2	3	4	5	6
1.	1990–91	—	—	—	—
2.	1991–92	—	—	—	—
3.	1992–93	—	—	—	—
4.	1993–94	44672.250	29.25	1308398.50	14261.000
5.	1994–95	28752.000	34.71	998087.50	33777.600
6.	1995–96	73127.800	45.11	3299151.60	14923.000
7.	1996–97	77930.750	68.62	5306783.75	66790.400
		223882.800	48.74	10912421.35	129752.000

कालम संख्या 10 में शेष रही ऊ

ऊन से प्राप्त राशि

धागे से प्राप्त राशि

कुल व्यय राशि

लाभ

राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन लि. जयपुर

वर्ष 1994–95 से 1996–97

क्र. सं.	दिनांक	मात्रा किलोग्राम	विक्रय यार्न की तिथि	विक्रय यार्न की मात्रा	विक्रय से प्राप्त राशि	शेष यार्न
1	2	3	4	5	6	7
1.	23. 1. 95	2041.500	22. 3. 95	2000.000	2,04,000/–	
2.	11. 2. 95	2200.000	19. 5. 95	2000.000	2,05,882/–	
3.	10. 5. 95	0676,500	20. 5. 95	2800.000	2,94,000/–	
4.	10. 5. 95	3000.000	17. 5. 95	3000.000	3,15,000/–	
5.	25. 5. 95	0379.000	14. 10. 95	10200.000	11,73,000/–	
6.	11. 7. 95	3036.500	25. 2. 97	2000.000	2,50,000/–	
7.	13. 10. 95	6000.000	9. 7. 97	0500.000	52,510/–	
8.	14. 10. 95	2650.000	22. 8. 97	2200.000	2,22,200/–	
9.	23. 1. 96	4000.000	22. 8. 97	0200.000	22,900/–	
10.	13. 3. 96	6000.000	—	—	—	
11.	30. 3. 96	2000.000	—	—	—	

(101)

1	2	3	4	5	6	7
12.	25. 2. 97	0300.000	—	—	—	
13.	25. 2. 97	2300.000	—	—	—	
14.	10. 7. 97	2985.000	—	—	—	
15.	19. 7. 97	3348.000	—	—	—	
	कुल :—	40934.500		24,900.00	27,39,492/–	16034.500

धागे की कुल लागत	41,87,640.00
धागा विक्रय से प्राप्त राशि	27,39,492.00
शेष धागे का मूल्य :	19,00,000.00
ऊन व धागे से कुल लाभ	5,73,851.82

नोट:– उपरोक्त शेष के अतिरिक्त 3000 किलो धागा योगेश वूलन्स की फैक्टी में रखा हुआ है।

राजस्थान राज्य सहकारी भेड व ऊन विपणन फैडरेशन लिमिटेड
गांधी नगर, टोंक रोड, जयपुर।

क्रमांक-प. 4 (56) वि./93/1901-6 दिनांक :—24.9.95

कार्यालय आदेश

विषय :—सितम्बर 93 कल्पन में ऊन क्रय करने के सम्बन्ध में।

फैडरेशन द्वारा सितम्बर 93कल्पन में ऊन क्रय करने की योजना हैं। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विपणन ईकाई को इस कार्य हेतु 2 लाख रुपये अग्रिम भिजवाये जा रहे हैं। सभी सम्बन्धित इकाईयां अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध ऊन में से जो ऊन लाभ पर बिक सके उस ऊन को स्थानीय बाजार भावों एवं मंडी की दरों को ध्यान में रखते हुए कम से कम दरों पर क्रय करके तुरन्त नजदीकी मण्डी में बेचा जावे। अतः क्रय कर्ता को पूर्ण सन्तुष्ट होने के बाद ही उसी ऊन को क्रय करना चाहिए जो ऊन पर क्रय से लेकर विक्रय तक समस्त खर्चे, ब्याज तथा यात्रा व्यय शामिल करने के पश्चात् कम से कम 2 रुपये प्रति किलो ग्राम शुद्ध लाभ से बिक सके। जिस ऊन के विक्रय में हानि की सम्भावना हो उस ऊन को किसी भी दशा में क्रय नहीं किया जावे। ऊन क्रय एवं विक्रय की समस्त जिम्मेदारी क्रय समिति की होगी। यदि ऊन विक्रय में कोई हानि होती हैं तो उसके लिए सम्बन्धित क्रय समिति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

ऊन क्रय की विधी :

1. ऊन भेड पालकों/भेडपालक सहकारी समितियों से ही क्रय की जावे।
2. ऊन नमी मुक्त होनी चाहिए यदि ऊन में नमी हो तो ऊन सुखाकर ली जावे।
3. कांटे वाली ऊन किसी भी स्थिति में क्रय नहीं की जावे।
4. ऊन में लोवर लाईन्स को मात्रा 10% से अधिक न हो।
5. ऊन अच्छी तरह से झाडकर ली जावे एवं ऊन में मिट्टी की मात्रा की कटौती की जाकर ऊन क्रय की जावे। ऊन क्रय करते समय क्रेता भारतीय बाजार भावों एवं मण्डी के भावों को भी ध्यान में रखे तथा अनावश्यक रूप से अधिक दर पर ऊन क्रय नहीं करे अन्यथा ऊन विक्रय में कोई हानि होती हैं तो क्रय समिति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगी।
6. ऊन क्रय विक्रय की सूचना नियमित रूप से मुख्यालय को दी जावे।
7. प्रत्येक ऊन के लाट की ऊन विक्रय के तुरन्त बाद ऊन क्रय विक्रय का लेखा प्रस्तुत करे तथा लाभ की स्थिति में ऊन विक्रय पर ही दूसरी ऊन क्रय की जावे।

ऊन क्रय समितियां :

यूनिट इन्चार्ज स्वयं क्रय समिति का गठन करेगा जिसमें एक सदस्य लेखाकार होगा। जोधपुर इकाई का क्रय प्रभारी डा. आर. एस. बंसल होंगे। तथा श्री गणेश लाल मीणा क्रय अधिकारी सहयोग करेंगे।

ऊन क्रय की कार्यवाही तुरन्त मुख्यालय को नियमित रूप से अवगत कराया जावे।

प्रबन्ध संचालक

परिशिष्ट-8

(तारांकित प्रश्न संख्या 22 की रिपोर्ट)

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू

क्रमांक :—एफ. 8 ( ) जांच/96/01 दिनांक—18.9.96

श्रीमान् अति. कलक्टर (विकास)
चूरू ।

विषय :-श्री रामदेव पुत्र श्री सुखराम बाना, ग्राम करणसर द्वारा जीवनधारा योजनान्तर्गत कूप निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच बाबत् ।

प्रसंग :-आपका यू. ओ. नोट क्रमांक : एफ. 5 ( ) जोधा/जांच/96 दिनांक 17-8-96

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 23.8.96 को पंचायत समिति कार्यालय एवं दिनांक 6.9.96 व 10.9.96 को तहसील कार्यालय सरदारशहर एवं मौका निरीक्षण किया गया । श्रीमान् द्वारा चाही गई वांछित विस्तृत जांच का तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है :—

(1) इस कार्यालय की जीवनधारा पत्रावली एवं पंचायत समिति कार्यालय में उपलब्ध स्वीकृति क्रमांक : 16857-60 दिनांक 28.2.95 के अनुसार श्री रामदेव पुत्र श्री सुखराम बाना, निवासी करणसर को प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार लघु कृषक मानते हुए जीवनधारा योजनान्तर्गत खसरा नं. 509/48-15 बीघा में नलकूप निर्माण हेतु 60200/- रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी ।

तहसील कार्यालय एवं सम्बन्धित पटवारी हल्का कीकासर से प्राप्त रिपोर्ट/ जमाबन्दी एनेक्सर-1 व 2 के अनुसार :

"ए"-रामदेव/सुखराम जाट निवासी करणसर के नाम खसरा नं 509/48 में 15 बीघा एवं ख.न. 321/194 में रामदेव, सीताराम/सुखराम जाति जाट (बाना), निवासी करणसर के नाम 50 बीघा, बा. हिस्सा, श्री रामदेव के 25 बीघा भूमि और होना प्रमाणित है । अतः श्री रामदेव/सुखराम बाना के कुल खातेदारी भूमि ख.न. 509/48 व 321/194 में क्रमशः 15+25 = 40 बीघा होना प्रमाणित है । जहां यह भी उल्लेखनीय है कि

"बी"-श्री रामदेव के पिता श्री सुखराम/पुरखाराम जाट निवासी करणसर के तहसीलदार सरदारशहर की रिपोर्ट एवं प्राप्त जमाबन्दी एनेक्सर-3, 4 एवं 5 व तहसीलदार रिपोर्ट-एनेक्सर-7 के अनुसार ख न, 140, 164 व 188 में 80 बीघा 14 बिस्वा भूमि होना प्रमाणित है, जिसका नोशनल शेयर 8 बीघा 19 बिस्वा श्री रामदेव/सुखराम के हिस्से में और आता है । इस तरह श्री रामदेव

पुत्र श्री सुखराम बाना निवासी करणसर के कुल भूमि खातेदारी जमा नोशनल शेयर 40+8 बीघा 19 बिस्वा = 48 बीघा 19 बिस्वा होना प्रमाणित है। अतः श्री रामदेव लघु कृषक की श्रेणी में नहीं आता है।

(2) पंचायत समिति कार्यालय से प्राप्त सूचनानुसार श्री रामदेव/सुखराम ने चैक सं. ए/5–558249 दिनांक 27.5 96 द्वारा राशि 18060/– (अक्षरे रुपये अठारह हजार साठ मात्र) का भुगतान प्राप्त किया है। ग्राम करणसर के कुछ गणमान्य व्यक्तियों एवं अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त करने पर उन्होंने अपना नाम नहीं लिखे जाने की शर्त पर श्री रामदेव/सुखराम को रोजगार हेतु अरब देशों में पिछले 2–3 वर्षों से जाना बताया गया। श्री सुखराम ने जांचकर्ता को रामदेव का नौकरी हेतु अहमदाबाद में होना अवगत कराया गया है। श्री रामदेव के Whereabochet के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(3) निम्न हस्ताक्षरकर्ता, विकास अधिकारी पंचायत समिति सरदारशहर एवं हल्का पटवारी कीकासर के साथ खसरा नं. 509/48 का आसा–पासा सुनिश्चित कर तथाकथित अधूरे कुएं के निरीक्षण हेतु 10.9.96 को मौके पर उपस्थित हुए। उक्त खसरा में वास्तव में कुएं का कार्य शुरू ही नहीं होना प्रमाणित पाया गया। (पटवारी रिपोर्ट, एनेक्सा–5) मौका निरीक्षण के समय आस–पास से गुजर रहे अन्य कृषक श्री धर्माराम पुत्र श्री घमण्डाराम मेघवाल व शिव भगवान/रामनारायण ब्राह्मण से कुएं निर्माण बाबत जानकारी प्राप्त करने पर उक्त खसरा में कोई कुआं निर्माण कार्य शुरू होना जानकारी में नहीं होना अवगत कराया।

निष्कर्ष :

(1) प्रार्थी ने बदनियति से गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए लघु श्रेणी कृषक की पात्रता नहीं रखते हुए भी योजनान्तर्गत राजकीय राशि 60200/– रु. धोखाधड़ी से हड़पने का प्रयास किया है।

(2) प्रार्थी की पंचायत समिति से जारी चैक सं. ए/5–558249 दिनांक 27.5.96 राशि 18060/– रु. के भुगतान के समय उपस्थिति संदिग्ध है। पुलिस जांच का विषय है।

(3) प्रार्थी द्वारा स्वीकृत ख. नं. में बिना कुआं निर्माण कार्य शुरू करवाए गलत बयानी/गलत तथ्य प्रस्तुत कर राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को गुमराह कर राजकीय राशि रु. 18060/– का भुगतान हड़प/गबन किया गया है।

रिपोर्ट श्रीमान् को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय,
जिला आयोजना अधिकारी
(जांच अधिकारी)
जिला ग्रा. वि. अभिकरण, चूरू

संलग्न : मूल टी :–

1. जमाबन्दी व. नं. 509/48
2. ,, ,, 321/149
3. ,, ,, 140, 164, 188
4. ,, ,, 140, 164, 188
5. रिपोर्ट पटवारी पटवार मंडल रंगाईसर
6. रिपोर्ट पटवारी पटवार मंडल कीकासर
7. रिपोर्ट तहसीलदार सरदारशहर
8. मौका जांच रिपोर्ट, पटवार मंडल, कीकासर।

(106)

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1 की प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ. 5 (51) कार्मिक/क-2/88 जयपुर, दिनांक 31-12-96

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक आधारों पर भर्ती को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(i) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 है।
(ii) ये राजस्थान राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**—जब तक सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में :—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है तथा इसमें अन्य कोई ऐसा अधिकारी सम्मिलित है जिसे, सरकार द्वारा सुसंगत सेवा नियमों, यदि कोई हों, के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग एव कृत्यों का पालन करने के लिए किसी भी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हों;

(ख) "मृत सरकारी कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में नियोजित किया गया था और इसमें राजस्थान राज्य के संवर्ग का अखिल भारतीय सेवाओं का वह सदस्य भी सम्मिलित है जिसका वेतन राज्य की समेकित निधि के प्रति विकलनीय था और जिसकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गयी थी और जो :—

(i) स्थायी था, या

(ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा था, या

(iii) अर्जेन्ट/अस्थायी नियुक्ति पर नियमित रिक्ति के प्रति नियुक्त किया गया था और जिसने इस रूप में एक वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली थी;

(ग) "आश्रित" से पति या पत्नी, पुत्र अविवाहित या विधवा पुत्री, मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैधरूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है जो मृत सरकारी कर्मचारी पर, उसकी मृत्यु के समय, पूर्णतया आश्रित थे;

(घ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष" से ऐसे विभाग/कार्यालय का अध्यक्ष अभिप्रेत है जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय सेवा कर रहा था/थी;

(च) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ।

3. **निर्वचन**—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों के निर्वचन के लिए राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 8) उसी तरह लागू होगा जैसे वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

4. **विस्तार**—ये नियम अनुकंपात्मक आधार पर, मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति को शासित करेंगे और ये किसी पद-विशेष के लिए कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करेंगे ।

5. **कतिपय शर्तों के अध्यधीन नियुक्ति**—जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित की इस शर्त के अध्यधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि इन नियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पति या पत्नी या कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हों, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्य के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो :

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करती है ।

(108)

6. **पदों का चयन**—(1) आश्रित की उसकी शैक्षिक अर्हताओं के अनुसार और सेवा की अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर अधीनस्थ सेवाओं/मंत्रालयिक सेवाओं/चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले केवल वेतनमान संख्या 1 से 9 तक के पदों पर, मृत कर्मचारी की रेंक और प्रास्थिति को विचार में लाये बिना, नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा ।

(2) इन नियमों के अधीन किसी पद पर एक बार नियुक्ति कर दिये जाने पर, इन नियमों के अधीन आश्रित प्रसुविधा उपभोग की गयी मानली जायेगी और मामले पर किन्हीं भी परिस्थिति में किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए पुनः विचार नहीं किया जायेगा ।

7. **अर्हताएं**—(1) आश्रित के पास नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन के पद के लिए विहित अर्हताएं होनी चाहिए ।

(2) चतुर्थ श्रेणी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार करते समय पद के लिए शैक्षिक अर्हताओं की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जायेगी ।

(3) किसी आश्रित की नियुक्ति किये जाने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं का समाधान करेगा कि उसके चरित्र और शारीरिक योग्यता तथा संबंधित नियमों में विहित अन्य सामान्य शर्तों को देखते हुए, वह सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

8. **आयु**—आश्रित को नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन के पद के लिए विहित आयु सीमा के भीतर होना चाहिए ।

परन्तु :—

(i) किसी विधवा के लिए कोई ऊपरी (अधिकतम) आयु सीमा नहीं होगी ।

(ii) अन्य के लिए ऊपरी (अधिकतम) आयु सीमा उस काला अवधि में पांच वर्ष तक शिथिलनीय रहेगी या 40 वर्ष की आयु तक की जो भी कम हो, होगी ।

(iii) आयु की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख, नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख होगी । एक उपयुक्त पद की व्यवस्था करने में बीता समय आश्रित को निरर्हित नहीं करेगा यदि वह उस कालावधि के दौरान अधिकायु हो जाता है ।

9. **प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं आदि**—प्रारम्भिक नियुक्ति के समय चयन के लिए प्रक्रि-

(109)

यात्मक अपेक्षाओं, जैसे, प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, आश्रित से 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिये हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की उपेक्षा की जायेगी और ऐसा न होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञेय अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जायेगी किन्तु कोई बकाया संदत्त नहीं की जायेगी।

टिप्पणी:– इस नियम के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष अभ्यर्थियों की संख्या को विचार में लाये बिना प्रत्येक वर्ष ऐसी परीक्षा (टैस्ट) आयोजित करेगा।

10. **प्रक्रिया** – (1) किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी पति या पत्नी स्वयं को या किसी अन्य आश्रित को नियुक्ति के लिए आवेदन करेंगे।

(2) जहां मृत सरकारी कर्मचारी का कोई जीवित पति या पत्नी न हो, वहां मृत सरकारी के किसी भी आश्रित भी द्वारा आवेदन किया जायेगा और अन्य आश्रितों को उसकी अभ्यर्थिता के लिए अपनी सहमति देनी होगी। परन्तु यह कि आश्रितों में से एक से अधिक द्वारा नियोजन चाहा जाये तो विभागाध्यक्ष सम्पूर्ण परिवार, विशेष कर अवयस्क सदस्यों के समग्रहित और कल्याण को देखते हुए किसी एक का चयन करेगा।

(3) ऐसा आवेदन उपाबन्ध "क" के रूप में संलग्न प्ररूप में मृत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 45 दिन के भीतर विभागाध्यक्ष को किया जायेगा। अभ्यर्थी आवेदन के स्तम्भ 7 में उल्लिखित परिवार के सभी सदस्यों की मासिक आय (सभी स्रोतों से) के समर्थन में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(4) अखिल भारतीय सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा और राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा आदि के मामलों में जहां अधिकारी सरकार के विभिन्न विभागों में पदस्थापित किये जाते हैं, आवेदन उस विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से उस सेवा को नियन्त्रित करने वाले प्रशासनिक विभाग को किये जायेंगे जहां मृत सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय पद स्थापित था।

(5) प्रशासनिक विभाग का यह दायित्व होगा कि वह आश्रितों को अपने स्वयं के विभाग में नियुक्ति दे और किसी भी दशा में इस दायित्व को अन्य विभाग को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

(110)

(6) उपयुक्त पद रिक्त न होने की दशा में नियोजन उपलब्ध कराने के लिए आवेदन "पहले आए पहले पाए" के आधार पर प्रतीक्षा सूची में रखे जायेंगे यदि निम्नतर वेतनमान में कोई पद तुरन्त उपलब्ध हो तो उक्त निम्नतर पद का आवेदक को प्रस्ताव किया जा सकता है और आवेदक के लिए यह विकल्प होगा कि वह या तो आवेदित पद के लिए प्रतीक्षा करे या उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करे। यदि आवेदक उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करता है तो वह आवेदित उच्चतर पद के लिए अपना दावा खो देगा और उसका नाम प्रतीक्षासूची में नहीं रखा जायेगा। परन्तु यदि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर नियुक्ति के लिए कोई पद उपलब्ध नहीं होता है तो मामला अन्य विभाग में नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को निर्देशित किया जायेगा।

(7) राज्य संवर्गों वाली सेवाओं, जैसे कार्मिक विभाग द्वारा नियन्त्रित अखिल भारतीय सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान सचिवालय सेवा, के सदस्यों की मृत्यु की दशा में, आवेदन सचिव, कार्मिक विभाग को किया जायेगा और यह कार्मिक विभाग का दायित्व होगा कि वह किसी उपयुक्त पद की व्यवस्था करे।

11. **अध्यारोही प्रभाव** :- इन नियमों के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, ये नियम और इनके अधीन जारी किये गये कोई आदेश प्रभाव में रहेंगे।

12. **नोडल विभाग** :- कार्मिक (क-2) विभाग इन नियमों को प्रशासित करने के, प्रयोजनार्थ नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और वह ऐसा कोई सामान्य या विशेष आदेश कर सकेगा जो वह इन नियमों के समुचित क्रियान्वन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

13. **शंकाओं का निराकरण** :- यदि इन नियमों के लागू करने, निर्वचन और विस्तार सम्बन्धी कोई शंका उत्पन्न हो तो उसे सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

14. **कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति** :- राज्य सरकार, किसी कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनार्थ (उसकी विद्यमानता के लिए जिसके लिए वह एक मात्र निर्णायक है) इन नियमों के किसी उपबंध के क्रियान्वयन के लिए ऐसा कोई साधारण या विशेष आदेश दे सकेगी जैसा वह खरे व्यौहार के हित में या लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे।

15. **निरसन एवं व्यावृति** :– विद्यमान राजस्थान सेवा काल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1975 और उनके अधीन जारी किये गये किसी भी आदेशों को इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

परन्तु इस प्रकार निरसित/अतिष्ठित किये गये नियमों और आदेश के अधीन की गयी कोई भी कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की हुई समझी जायेगी ।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सूरजमल केडवाल)
उप शासन सचिव

Anx –"A"

आवेदन–पत्र का प्रारूप

भाग (1)

1. मृतक राज्य कर्मचारी का नाम व पद
2. निधन की दिनांक एवं स्थान (मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
3. विभाग का नाम जिसमें वह मृत्यु के समय कार्यरत था ।
4. मृत्यु के समय धारित पद तथा उसका वेतनमान
5. नियुक्ति का प्रकार : (स्थायी/अस्थायी)
6. राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति का दिनांक
7. मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों का विवरण :– (केवल परिवार के सदस्यों के ही नाम लिखे जायें)

क्र. सं.	नाम	मृतक से सम्बन्ध	जन्म दि. एवं आयु	शैक्षणिक योग्यता	विवाहित/ अविवाहित	मासिक आय रु. *
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

* नियम 10(3) में यथा वर्णित शपथ–पत्र संलग्न करें।

भाग (2)

राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले आश्रित का विवरण

1. नाम :
2. आयु एवं जन्म तिथि :
3. शैक्षणिक योग्यता :
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. मृतक राज्य कर्मचारी से सम्बन्ध :
5. आवेदित पद का नाम व वेतनमान

आवेदक का फोटो

हस्ताक्षर

स्थायी पता

आवेदक के हस्ताक्षर

भाग (3)

यदि आवेदक विधवा स्वयं नहीं है तो विधवा/अन्य आश्रितों की सहमति

मैंने आवेदन के भाग (1) व (2) में उल्लिखित सूचना पढ़ ली है। भली प्रकार सुन ली है। आवेदक को नौकरी दिये जाने हेतु मेरी/अन्य आश्रितों की सहमति है। जिसके समर्थन में मेरा/अन्य आश्रितों का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

साक्ष्य : .... विधवा के हस्ताक्षर

....

भाग (4)

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

(1) आवेदन पत्र विभाग में दिनांक..............................को प्राप्त हुआ है जो कि डायरी संख्या....................दिनांक..............................पर दर्ज है।

(2) आवेदन पत्र में अंकित सूचनायें मृतक कर्मचारी के सेवा अभिलेख के अनुसार सही है। नियमों के अनुसार आवेदक आवेदित पद .... पर नियुक्ति का पात्र है।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील)

भाग (5)

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र यदि आवेदन पत्र अन्य विभाग को भेजा जाता है

प्रमाणित किया जाता है कि

(1) आवेदक आवेदित पद पर नियुक्ति का पात्र है किन्तु यह पद ....विभाग में नहीं हैं। अतः आवेदन पत्र.............................. को अग्रेषित किया जा रहा है।

(2) मृतक कर्मचारी के निधन के पश्चात् आज तक उसके स्थान पर किसी भी आश्रित को किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं दी गई है।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील)

आवेदक का प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूं कि आवेदन पत्र के भाग (1) व (2) में वर्णित साक्ष्य मेरी जानकारी में सही हैं। यदि भविष्य में कोई भी तथ्य असत्य पाया जावे तो मेरी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

साक्ष्य :– आवेदक के हस्ताक्षर

(114)

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 3 को प्रति)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प. 6 (7) राज–4/77/6 जयपुर, दिनांक 1–4–91

आदेश

राज्य सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि राजकीय भूमि का आवंटन भूमिहीनों को किया जावे। इसी सन्दर्भ में राजकीय भूमि पर भूमिहीनों द्वारा किये गये अतिक्रमणों को नियमन हेतु विचार किया जाता रहा तथा भूमिहीन व्यक्तियों के अतिक्रमणों को नियमित किया जाता रहा। इसी परिपेक्ष्य में राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक प. 3 (50) राज–ख/64 दिनांक 5–10–68 के द्वारा यह निर्देश दिए थे कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 से सम्बन्धित अतिक्रमणों को जिनमें अतिक्रमित राजकीय भूमि पर कब्जा दिनांक 31–12–66 तक था निर्धारित शर्तों पर नियमित कर दिया जाए।

तत्पश्चात विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6 (20) राज–ख/71 दिनांक 13–4–71 के द्वारा यह निर्देश दिए गये थे कि दिनांक 1 जनवरी, 1971 तक भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा राजकीय कृषि भूमि पर किए गये अतिक्रमणों को निम्न शर्तों पर नियमन किया जावे :—

1— नियमन के समय प्रीमियम या शास्ति नहीं ली जाय किन्तु जिस अवधि में भूमि पर अवैध कब्जा रहा हो उस अवधि का भू–राजस्व वसूल किया जायेगा तथा यदि 1 जनवरी, 1966 के बाद के अतिक्रमणों के नियमन के सम्बन्ध में कोई शास्ति या प्रीमियम वसूल किया गया है तो वह राशि अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण की अवधि के लिए देय भू–राजस्व तथा आगे देय भू–राजस्व के पेटे समायोजित की जावेगी।

2— व्यक्ति के पास कुल भूमि जिसमें नियमित की जाने वाली भूमि भी सम्मिलित है, 15 बीघा से अधिक न हो।

3— अतिक्रमित भूमि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1978 में उल्लेखित आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 के नियम 28 में प्रतिक्रमणों को नियमन करने का प्रावधान है । उपखण्डाधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकार के विशिष्ठ या सामान्य अनुदेशों के अधीन प्रतिक्रमी को बेदखल करने के बजाय उसे नियमित कर दे बशर्ते वह भूमिहीन है तथा उसके पास समस्त भूमि जिसमें प्रतिक्रमित भूमि सम्मिलित है, नियमों में दी गई सीमा से अधिक नहीं हो । विभागीय परिपत्र क्रमांक प. 6 (7) राज–4/77 दिनांक 14-4-77 के द्वारा यह निर्देश दिए गये कि सिवाय चक भूमि पर दिनांक 1–7–75 तक कृषि प्रयोजनार्थ किए गये प्रतिक्रमणों को नियमित कर दिया जाये तथा नियमन की शर्तें वहीं होगी जो परिपत्र दिनांक 13-4-71 में उल्लेखित थी । यह आदेश गैर मुमकिन मगरा और पड़त पर भी लागू थी ।

भूमिहीन प्रतिक्रमियों को नियमन करने के उद्देश्य से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 के नियम, 20 के अनुसरण में राज्य सरकार एतद् द्वारा आदेश देती है कि राजकीय सिवाय चक भूमि पर भूमिहीन कृषकों द्वारा किये गये प्रतिक्रमणों को जो दिनांक 15 जुलाई, 1984 या इससे पूर्व से किए गये हैं को कृषि प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों पर नियमित कर दिया जाय जो कि आदेश क्रमांक प. 6 (20) राज/ख/71 दिनांक 13–4–71 एवं प. 6 (7) राज/4/77 दिनांक 14–4–77 में निहित है । यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 के नियम 4 में दी गई भूमियों का नियमन नहीं किया जायेगा अर्थात :—

नियम—4 इन नियमों के अधीन आबंटन के लिए अनुपलब्ध भूमि—

इन नियमों के अधीन कृषि प्रयोजनार्थ आबंटन के लिए निम्नलिखित श्रेणी की भूमियाँ उपलब्ध नहीं होगी, अर्थात—

(i) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियां

(ii) वायुयानों के उतराई स्थल के रूप में सीमांकित भूमियां ।

(iii) राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (अधिनियम संख्या 13 सन् 1953) की धारा 8 के अधीन संघटित ग्राम्य वनों के लिए आरक्षित भूमियां ।

(iv) किसी ग्राम की आबादी के समीप अथवा साथ लगी हुई छोटे बाड़ों या खलिहानों के लिए आरक्षित भूमियां ।

(v) भूमियां जो—

(क) पांच लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर के पांच मील के व्यास में,

(116)

(ख) दो लाख या इससे अधिक किन्तु पांच लाख से कम जनसंख्या वाले किसी पालिका कस्बे में दो मील के व्यास में।

(ग) एक लाख या इससे अधिक किन्तु दो लाख से कम जनसंख्या वाले किसी कस्बे के एक मील व्यास में,

(घ) किसी भी अन्य नगरपालिका की सीमा में,

(ड) किसी रेलवे की हदबन्दी से एक सौ गज की दूरी के भीतर या

(च) किसी राजपथ अथवा पक्की या कंकरीट सड़क के मध्य से दोनों ओर पचास गज की दूरी के भीतर स्थित भूमियां,

(vi) राजस्थान भू–राजस्व (लवण क्षेत्र आवंटन) नियम, 1970 के अधीन, लवण क्षेत्रों के रूप में घोषित भूमियां, अथवा

(vii) भूमि आवंटन के जिनकी विशेष नियमों के अधीन आवंटन हेतु आरक्षित भूमियां।

आज्ञा से,

ह०/–

(रामवीर सिंह भंवर)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प. 6 (7) राज/4/77/राज–6/12 जयपुर, दिनांक 1–4–91

अधिसूचना

राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6 (7) राज/4/77/20 दिनांक 29-1-83 द्वारा गैर मुमकिन भूमि पर सिर्फ कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 1-7-78 से पूर्व किए गये अतिक्रमणों राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 के नियम 20 एवं अधिसूचना क्रमांक प. 6 (7) राज–4/77 दिनांक

14-4-77 में उल्लेखित निबन्धनों एवं शर्तों पर नियमित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये यह अधिसूचना जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली, बीकानेर तथा चूरू जिलों में लागू नहीं होगी। परन्तु इन जिलों के समन्वित विकास कार्यक्रम के लाभान्वितों को नियमन का लाभ दिया जा सकेगा तथा अन्य मामलों में एक हैक्टर तक।

गैर मुमकिन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के प्रयोजन से राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 के नियम 20 के अनुसरण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि गैर मुमकिन भूमि पर भूमिहीन कृषकों द्वारा किए गये सिर्फ कृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमणों को जो कि दिनांक 15-7-84 या उसके पूर्व के हों उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों पर नियमित कर दिया जावे जो कि आदेश प. 6 (7) राज/4/77/6 दिनांक 1-4-91 में निहित है।

आज्ञा से,

ह०/-

(रामवीर सिंह भंवर)
शासन उप सचिव

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 4 की सूचना)

परिशिष्ट-अ

गलवानियां व श्योदानपुरा बांध जिला टोंक में स्थित है । इन बांधों के अन्तर्गत तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के बाबई क्षेत्र के ग्राम बाबई, बेलनगंज, चमनगंज, सुमेरपुरा, संग्रामगंज, बोहरिया गांव, जयनिवास, रमजपुरा के क्षेत्र को कमाण्ड क्षेत्र घोषित किया गया था । उक्त परियोजनाएं अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग टोंक के अधीन होने से रेकार्ड का संधारण सिचाई विभाग टोंक के द्वारा ही किया जाता है । बूंदी जिले में मौके के अनुसार वर्तमान में सिंचित होने वाली भूमि का ग्रामवार विवरण निम्न प्रकार हैं :–

(क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र.सं.	नाम ग्राम	परियोजना का नाम	ग्राम का कुल क्षेत्रफल	वर्तमान में सिंचित क्षेत्रफल	
				कुल ख.नं.	सिंचित रकबा
1—	बाबई	गलवालिया	1786-25	151	148-26
2—	बेलनगंज	,, ,,	387-67	857	387-67
3—	चमनगंज	,, ,,	302-87	162	111-96
4—	सुमेरपुरा	श्योदानपुरा	86-84	135	86-84
5—	संग्रामगंज	,, ,,	46-79	63	46-79
6—	बोहरिया गांव	,, ,,	287-51	297	235-25
7—	जयनिवास	,, ,,	303-23	98	48-20
8—	रमजपुरा	,, ,,	413-23	192	216-24
		योग–	2614-29	1977	1281-21

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-8 का विवरण)

आदिवासी क्षत्रों में वन भूमि पर वर्ष 1980 से पूर्व के कब्जों सम्बन्धी प्रकरणों की स्थिति

क्र. सं.	नाम जिला	आदिवासी क्षेत्रों में वन भूमि पर 1980 से पूर्व के राज्य सरकार को प्राप्त प्रकरणों की संख्या	आदिवासी क्षेत्रों के वन भूमि पर 1980 से पूर्व के भारत सरकार को भेजे गये प्रकरणों की संख्या	प्रकरण भारत सरकार को भेजने की तिथियां
1	2	3	4	5
1.	चित्तौड़गढ़	765	765	14. 3. 96, 23. 3. 96 एवं 26. 2. 97
2.	डूंगरपुर	654	654	18. 1. 96, 29. 2. 96, 14. 3. 96, 23. 3. 96, एवं 6. 5. 97
3.	उदयपुर	926	926	18. 1. 96, 29. 2. 96, 14. 3. 96, 23. 3. 96, 25. 7. 96, 22. 11. 97 एवं 6. 1. 98
4.	बांसवाड़ा	864	864	29. 2. 96, 14. 3. 96 एवं 26. 7. 96
5.	राजसमन्द	2	2	23. 2. 96
6,	पाली	4	4	29. 2. 96
7.	बारां	108	108	14. 3. 96 एवं 22 11. 97
		3323	3323	

(120)

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-9 का विवरण)

नागौर जिले में वन विभाग में कार्यरत ऐसे दैनिक वेतनभोगी श्रमिक जिनका अर्द्धस्थायीकरण अभी नहीं हुआ है

क्र.सं.	नाम श्रमिक	दिनांक जब से कार्यरत है	अर्द्धस्थायी न किये जाने का कारण
1.	श्री पन्नालाल पुत्र स्व. श्री पूर्णाराम	19. 8. 97	विभागीय स्थायी आदेश 1973 के अनुसार निरन्तर दो वर्ष सेवा की गणना द्वितीय वर्ष के आधार पर की जाती है। अभी तक इन्होंने दो बर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण नहीं की है।
2.	श्रीमती अजुडी पत्नी श्री प्रहलादराम	20. 12. 97	,, ,,
3.	श्री बंशीराम पुत्र पांचूराम	11. 7. 97	,, ,,
4.	श्री छोटूराम पुत्र नानूराम	1. 2. 97	,, ,,
5.	श्रीमती लाड कंवर पत्नी स्व. श्री छोटूसिंह	1. 1. 96	,, ,,

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या—11 की सूची)

परिशिष्ट—'क'

वर्ष 1994 से अब तक विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन सिटी के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र. सं. 1	कार्य का नाम 2	पूर्ण/अपूर्ण 3	अपूर्ण रहने का कारण 4	विशेष विवरण 5
1.	स. स. हिण्डौन करौली रोड से गांवडा मीना		विश्व बैंक परियोजना के तहत सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित की गयी	सड़क का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है।
2.	स. स. शातिवीर नगर से हिगोट	कार्य पूर्ण	—	—
3.	विशेष मरम्मत मण्डी से मण्डावरा	"	—	—
4.	विशेष मरम्मत सुरौड़ से फतेहसिंहपुरा	"	—	—
5.	सुरौठ से जटवाड़ा	"	—	—
6.	विशेष मरम्मत अकबरपुर से नौरंगाबाद	"	—	—
7.	बाढ़ग्रस्त मरम्मत धुरसी से विजयपुरा	"	—	—
8.	बाढ़ग्रस्त मरम्मत जटवाड़ा से सोमली	"	—	—
9.	बाढ़ग्रस्त मरम्मत बड का पूरा से क्यारदा खुर्द	"	—	—

(12)

1	2	3	4	5
10.	बाढ़ग्रस्त मरम्मत महू ब्रिज से खेंडली गूजर	कार्य पूर्ण	—	—
11.	बाढ़ग्रस्त मरम्मत हिण्डोन करौली रोड से तेलीपनसेरी	,,	—	—
12.	बाढ़ ग्रस्त मरम्मत बयाना रोड से एकोरासी	,,	—	—
13.	पशु हाट बाजार हिडौन सिटी	,,	—	—
14.	संस मकनपुर से जहांगीरपुर	,,	—	—
15.	विशेष मरम्मत सूरोठ से धुरसी		कार्य प्रगति पर है	आगामी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कराया जाना संभावित है।
16.	विशेष मरम्मत बयाना रोड से हुकमी खेंडा	अपूर्ण	संवेदक द्वारा कार्य बन्द करने के कारण।	संवेदक के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 व 3 सी के अन्तर्गत कार्यवाही दिनांक 18. 2. 98 को की जा चुकी है। पुनः निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही की जा रही है।
17.	सं. सं. बरगंबा रोड से जाटवों की ढाणी	,,	संवेदक द्वारा कार्य में धीमी गति से करने एवं गांव के माग में विवाद के कारण	संवेदक के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 व 3 सी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है।

1	2	3	4	5
18.	स. स. बयाना रोड से बंकी	अपूर्ण	संवेदक द्वारा कार्य धीमी गति से किये जाने पर	संवेदक के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 एवं 3 सी के अन्तर्गत दिनांक 23. 2. 98 को कार्यवाही की जाकर पुनः निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही की जा रही है।
19.	सं. सं. बयाना रोड से बंकी का शेष कार्य	,,	कार्य प्रगति पर है	आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना संभावित है।
20.	सं. सं. बेडे की धर्मशाला से लहचौड़ा	,,	माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम रोक होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका	—
21.	पशु हाट बाजार हिण्डौन सिटी	कार्य पूर्ण	—	—
22.	निर्माण कार्य चार दिवारी नवीन मण्डी यार्ड हिण्डौन	अपूर्ण	भूमि विवाद, माननीय न्यायालय द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।	स्थगन आदेश जारी किये जाने के कारण

परिशिष्ट "ख"

हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में करवाये गये कार्य

क्र. सं.	योजना का नाम	स्थान का नाम जहां कार्य करवाया गया	कार्य का नाम	पंचायत समिति	स्वीकृति वर्ष	कार्य की स्थिति		वि. वि.
						पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जे. आर. वाई.	1. देदरोली	जलग्रहण क्षेत्र	हिण्डौन	1994–95	पूर्ण		
		2. कोठएपुरा	—	—	—	—	—	
		3. मेडकापुरा	—	—	—	—	—	
		4. खोलियान का पुरा	—	—	—	—	—	
2.	मांडा योजना	5. कंदकड़	आश्रम जल	हिण्डौन	—	पूर्ण	—	
		6. देदरोली	जलग्रहण क्षेत्र	—	—	—		अपूर्ण कार्य प्रगति पर है ये कार्य चार वर्षों में पूर्ण किये जाने हैं।
		7. सिघामीना	—	—	—	पूर्ण	—	
3.	आश्वासित रोजगार योजना	8. काचरोली	—	—	1996–97	—		अपूर्ण कार्य प्रगति पर है ये कार्य 4 वर्ष के लिये स्वीकृत हैं।

परिशिष्ट 'क'

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का विवरण)

क.सं.	सड़क का नाम	व्यय राशि (लाखों में)	पूर्ण/अपूर्ण	विशेष विवरण
1.	शेष लम्बाई बयाना रोड से बंकी	5.87	डब्लू. बी. एम. कार्य पूर्ण ।	संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने पर उसके विरुद्ध अनुबंध की धारा 2 व 3 (सी) के अन्तर्गत कार्यवाही दिनांक 23.2.98 को की जा चुकी है । पुन: निविदा आमंत्रण की जा रही है । तत्पश्चात कार्य पूर्ण कराने की कार्यवाही की जायेगी ।
2.	सं. स. टोडाभीम गाजीपुर रोड से नांगल लाट	3.98	कार्य प्रगति पर है ।	आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना सम्भावित है ।
3.	सं. स. टोडाभीम गुढ़ाचन्द्र जी रोड से घाट भण्डारी वाया सुजानपुरा	9.53	कार्य प्रगति पर है ।	—उपरोक्त—
4.	सं. स. बयाना रोड़ से एकोरासी	1.03	कार्य पूर्ण है ।	—उपरोक्त—
5.	सं. स. बेड़े की धर्मशाला से लहचौडा	8.28	कार्य प्रगति पर है ।	आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना सम्भावित है ।

नोट :—उक्त सड़कों में से क.सं. 2 व 3 पर अंकित सड़क कृषि उपज मण्डी समिति, महुआ मण्डावर के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी थी यह क्षेत्र अब हिण्डौन मण्डी के अन्तर्गत आने से इस तालिका में सम्मिलित की गई है :—

कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुर सिटी :—

1.	सं. स. सलीपुरा से बामनवास (मिसिंग लेंथ)	23.53	कार्य पूर्ण है ।	—
2.	सं. स. टोंक्सी (मिसिंग लेंथ)	3.00	कार्य पूर्ण है ।	—
3.	मिसिंग सं.स. गंगापुर माडौती रोड़ से बंरखडी	5.53	कार्य पूर्ण है ।	—

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 17 की सूची)

विद्यालय का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पद कब से
1	2	3	4
(1) रा.सी.मा.वि. मीम	अध्यापक	01	7/87 कोर्ट केस के कारण
(2) रा.सी.मा.वि. बरार	अध्यापक	01	1.1.98 कोर्ट केस के कारण
(3) रा.मा.वि.	अध्यापक	01	
सारोठ	अध्यापक	01	1.1.98
	वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)	01	27.10.97
(4) रा.मा.वि. दिवेर	वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)	01	31.1.98
(5) रा.बा.सी.मा.वि. मीम	वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान)	01	2.7.97
(6) देवगढ़ तहसील के किसी भी माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक विद्यालय में पद रिक्त नहीं है।			

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 21 की सूचना)

प्रपत्र "अ"

क्र. सं.	नाम कार्य	पंचायत समिति	अनुमानित लागत (लाख रु.में)	अनुमानित भौतिक लाभ (हैक्टेयर में)	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	बूझड़ा	बेगू	70.70	216	यह एन.आर ई.पी. का बिसलपुर के कैचमेंट में स्थित अधूरा कार्य है, इसे पूर्ण कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के लिए तखमीना तैयार कर लिया गया है व बी.सी. रेशो भी 1.563 निकल चुका है, तखमीना प्रस्तुति की प्रक्रिया में है ।
2.	धाघडा तालाब	,,	19.26	34.40	इस कार्य हेतु माडा योजना के अन्तर्गत तखमीना जनजाति आयुक्त, उदयपुर को प्रस्तुत किया गया परन्तु स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई । कार्य सम्वत् 2052 के अन्तर्गत राहत कार्यों के अन्तर्गत प्रारम्भ कराया गया तथा प्रारम्भिक कार्य प्रगति के दौरान क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा, न्यायालय द्वारा मुआवजा सम्बन्धी वाद पर स्टे प्रदत्त करने से, कार्य बन्द किया गया । कार्य पर 1.51 लाख रुपये का व्यय हुआ । चूंकि राहत कार्यों में मुआवजा भुगतान का प्रावधान नहीं होता है । अतः कार्य का तखमीना प्लान मद में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु बनाया जा रहा है ।
3.	मैनाली	,,	116.87	350	मैनाली नदी पर बिसलपुर कैचमेंट में बांध बनाने के नये प्रस्ताव पर सर्वेक्षण कर फिजीबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । तत्पश्चात् प्रशासनिक स्वीकृति हेतु

(127)

1	2	3	4	5	6
					तखमीना बनाने के निर्देश पर तखमीना बनाया गया । बी.सी. रेशो निकलवाने हेतु डेटा कलेक्शन का कार्य प्रगति पर है । यह बांध रिजर्व फोरस्ट में स्थित है । अतः फोरस्ट क्लिरियन्स की भी आवश्यकता होगी ।
4.	घमलाव	भैंसरोडगढ़	9.16	16.20	इस कार्य का तखमीना जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में स्वीकृति हेतु प्रेषित है । स्वीकृत होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी ।
5.	भूजर	,,	19.55	77.41	यह पूर्व के अकाल राहत कार्य का अधूरा कार्य है । वर्ष 1995 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त हुई थी, परन्तु श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका एवं स्वीकृति निरस्त हुई । यह कार्य आश्वासन संख्या 10/95 के अन्तर्गत भी होने से इस कार्य का तखमीना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किया गया । जहां से स्वीकृति हेतु उप शासन सचिव, जन जाति विकास जयपुर को प्रेषित किया जा चुका है । स्वीकृति अपेक्षित है, स्वीकृति होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी ।
6.	फल्कू एनीकट	,,	5.00	अप्रत्यक्ष लाभ	उक्त दोनों कार्यों पर आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा विभाग की एजेन्सी के अधीन कार्य सम्पादन हेतु स्वीकृति प्रदत्त हुई एवं कार्य प्रारम्भ कराये गये । परन्तु कार्य आरक्षित वन क्षेत्र में होने से वन विभाग द्वारा आपत्ति किये जाने पर बन्द किये गये ।
7.	पसलोई एनीकट	,,	5.00	,,	
8.	सुखसागर	,,	1.60	पुराना तालाब मरम्मत कार्य	इस कार्य पर अकाल राहत पर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा स्वीकृति दी गई व 61 हजार रुपये का व्यय हुआ । कार्य अधूरा है ।

परिशिष्ट "घ"

परिशिष्ट–18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र खण्डार में विचाराधीन आवेदकों तथा जिनके मांग पत्र की राशि जमा है उनका ग्रामवार, तिथिवार व कारण सहित विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	विचाराधीन पत्र पत्रावलियों की संख्या	कब से विचाराधीन है	मांग पत्र जमा की संख्या	मांग पत्र जमा की तिथि	कनेक्शन नहीं दिये जाने के कारण
1	2	3	4	5	6	7
1–	खिदरपुर जाटान	18	2-4-92 से	18	30-8-94	फिटिंग नहीं होने के कारण
2–	रामपुरा	25	21-10-91	5	3-6-94	लाइन कार्य पूर्ण कर कनेक्शन आदेश जारी।
3–	बलवन खुर्द	23	18-9-92	23	29-10-93	—उपरोक्तानुसार—
4–	पाली	5	11-3-93	3	8-1-98	आवेदकों ने 2 एल फार्म प्रस्तुत नहीं करने के कारण 1 लाइन कार्य वास्ते विचाराधीन।
5–	किशनपुरा	18	20-10-92	18	26-8-93	फिटिंग कमप्लीट नहीं।
6–	दोलाड़ा	4	12-5-92	3	15-3-94	—उपरोक्तानुसार—
7–	खण्डार	14	8-1-97	1	26-1-98	एल फार्म प्राप्त नहीं है।
8–	गोठबिहारी	2	31-3-92	1	22-11-97	लाइन कार्य वास्ते विचाराधीन।
9–	फरिया	1	2-7-97	1	18-11-97	एल फार्म प्राप्त नहीं हुआ।
10–	दौलतपुरा	3	7-8-96	1	24-1-98	—उपरोक्तानुसार—
11–	काछड़ा	11	26-11-91	11	26-9-94	फिटिंग पूरी नहीं।

129

1	2	3	4	5	6	7
12–	कुशालपुरा	4	24-2-94	4	26-11-94	कनेक्शन आदेश जारी किये गये ।
13–	भगवतगढ़	29	24-9-96	15	24-11-97	एलटी लाइन कार्य प्रगति पर है ।
14–	चौथ का बरवाड़ा	37	1-1-97	2	17-2-97	—उपरोक्तानुसार—
15–	शिवाड़	6	21-2-97	1	28-8-97	एल फार्म प्राप्त नहीं ।
16–	पावड़ेरा	4	17-4-96	1	29-9-97	—उपरोक्तानुसार—
17–	जाजेड़ा	21	25-3-94	21	14-8-96	फिटिंग पूरी नहीं करवाई ।
18–	ठेकड़ा	35	29-3-94	35	24-11-94	एलटी लाइन कार्य प्रगति पर हैं ।
19–	बगीना	6	3-11-94	6	15-4-95	—उपरोक्तानुसार—
20–	टापुर	77	27-9-93	77	23-4-96	6.6 कि.मी. 11 के वी. लाइन क्षतिग्रस्त तथा सामान चोरी हो गया पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
21–	पिपलिया	23	2-3-94	1	11-12-97	एल फार्म जमा नहीं है ।
22–	धमूणा कला	85	13-8-91	85	5-6-96	सब स्टेशन व एलटी लाइन कार्य प्रगति पर ।
23–	डकवा	87	27-4-95	45	27-7-96	1.3 कि.मी. 11 केवी लाइन का तार चोरी तथा लाइन क्षतिग्रस्त ।
				378		

(130)

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 27 की सूची) **परिशिष्ट 'अ'**

पंचायत समिति सरदारशहर में नर्सरी योजना के तहत अगस्त, 1997 से जनवरी, 1998 तक काश्तकारों द्वारा जमा कराया पैसा व विभाग द्वारा कब-कब कनेक्शन जारी किये गये का विवरण

क्र.सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	राशि	जमा कराने की तिथि	कनेक्शन जारी करने की तिथि माह
1.	श्री खियानाथ पुत्र श्री गंगाराम नाथ सिद्ध	रामसीसर छजलानियां	69205/-	14.8.97	जनवरी, 98
2.	,, दुर्गाराम पुत्र श्री	,,	69205/-	,,	,,
3.	श्रीमती रूकमणीदेवी पत्नी श्री पूर्णमल जाट	सवाई डेलवान	28995/-	30.8.97	,,
4.	श्री राहुल पुत्र श्री मोजराज दुगड़	,,	25733/-	3.9.97	फरवरी, 98
5.	,, कृष्ण कौशिक पुत्र श्री राधेशचन्द्र कौशिक	मीतासर	81955/-	13.10.97	,,
6.	,, निराणाराम पुत्र श्री मोहनराम जाट	अजीतसर	22375/-	18.10.97	,,
7.	श्रीमती सोनादेवी पत्नी लूणाराम जाट	मादासर उत्तरादा	47950/-	27.10.97	,,

प्रा.स. अधीक्षण अभियन्ता (प व स)
रा.रा.वि. मण्डल, चूरू

(132)

राजस्थान सरकार परिशिष्ट 'ब'

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, चूरू

पंचायत समिति सरदारशहर के अन्तर्गत, 1997 से जनवरी, 1998 तक उन आवेदकों की सूची जिन्होंने पैसे जमा करवा दिये परन्तु कृषि कनेक्शन होने बाकी है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	गांव	राशि जमा	जमा कराने की दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री रामनारायण/बदरुराम	रामसासर मडवालिया	43555/–	29.10.97
2.	,, अंजुदेवी/ओमप्रकाश	उड़सर मेमरान	40780/–	,,
3.	,, रेणुदेवी/अनिल कुमार शर्मा	,,	52780/–	,,
4.	,, जीवणी देवी/अर्जुनराम जाट	सावर	91115/–	,,
5.	,, श्योकोरी/रामेश्वर जाट	उड़सर मेमरान	49779/–	,,
6.	,, लिखमाराम/टोडाराम जाट	,,	42079/–	,,
7.	,, दीपसिंह/जोहरसिंह	सारसर	10378/–	,,
8.	,, बजरंगराम/सुखदेवाराम जाट	गोमटिया	43635/–	,,
9.	,, पूर्णराम/सुखदेवाराम जाट	,,	43635/–	,,
10.	,, गोपालराम/चोखाराम जाट	मीतासर	41775/–	,,
11.	,, सीताराम/काशीराम	मालसर	87495/–	,,
12.	,, ठाकरसिंह/नानकराम	बीलरासर	52635/–	,,
13.	,, लिखरामरा/रूपराम सारण	सारसर	69279/–	,,
14.	,, बखतावरी देवी/रूणाराम	मालाकसर	84915/–	,,
15.	सजनादेवी/जगदीश शर्मा	देराजसर	31995/–	1.11.97
16.	,, बदरुराम/सुगनाराम जाट	,,	33779/–	,,
17.	,, धापीदेवी/चुनाराम जाट	मादासर उ.	79085/–	,,
18.	,, किशनाराम/गंगाराम नाई	सारसर	60279/–	3.11.97
19.	,, आशाराम/नौरंगाराम जाट	,,	31780/–	,,

1	2	3	4	5
20.	श्री आशाराम/नौरंगाराम जाट	सारसर	75280/-	3.11.97
21.	,, आशीदेवी/मूनराम जाट	,,	79280/-	,,
22.	,, रणवीरसिंह/दयाराम जाट	रणसीसर	43635/-	,,
23.	,, कृष्ण कुमार/धर्मवीर सिंह	मालसर	90495/-	6.11.97
24.	,, श्रीचन्द/प्रहलाद नाथ	बीकमसरा	52635/-	,,
25.	,, भैरूराम/सुरजाराम जाट	लूणासर	99135/-	7.11.97
26.	,, प्रहलादसिंह/हीरासिंह	बीकमसरा	54495/-	17.11.97
27.	,, जयपाल/मोहनलाल जाट	राछगारासर	72135/-	18.11.97
28.	,, करणीसिंह/शेरसिंह	रणसीसर	45135/-	19.11.97
29.	,, रूपाराम/बद्रीराम शर्मा	चारणवासी	28635/-	21.11.97
30.	,, इन्चार्ज कृषि विज्ञान केन्द्र	स.थ.	34635/-	23.11.97
31.	,, सोनकंवर/भंवरसिंह	चारणवासी	61635/-	28.11.97
32.	,, हरीप्रसाद/मोहनराम स्वामी	हरियासरघ.	37995/-	,,
33.	,, हीरालाल/जवरीमल सोनी	सवाई केलाण	46065/-	3.12.97
34.	,, किशोरसिंह/शिशपाल सिंह	देराजसर	65955/-	1.1.98
35.	,, ओमप्रकाश/मूलचन्द महाजन	,,	65955/-	,,

प्रा. स. अधीक्षण अभियन्ता (प व स)
रा. रा. वि. मण्डल, चूरू

(134)

परिशिष्ट-20

परिशिष्ट "म"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–29 की सूची)

राज्य के 32 जिलों की 177 पंचायत समितियों में कार्यरत बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं माह........................

क्र. सं.	नाम जिला	नाम पंचायत समिति जहां बाल विकास परियोजना कार्यरत है।
1	2	3
1.	अलवर	1. राजगढ़
		2. कठूमर
		3. उमरैण
		4. किशनगढ़वास
		5. लक्ष्मणगढ़
2.	अजमेर	6. अराई
		7. केकड़ी
		8. भिनाय
		9. किशनगढ़
3.	बाड़मेर	10. चौहटन
		11. सिवाना
		12. शिव मु. गूंगा
		13. बालोतरा
		14. बायतू
		15. बाड़मेर
		16. धोरीमन्ना
		17. सिणधरी
4.	बांसवाड़ा	18. गढ़ी
		19. घाटोल
		20. कुशलगढ़

(135)

1	2	3
		21. तलवाड़ा
		22. पीपलखूंट
		23. भूखिया (आनन्दपुरी)
		24. बागीदोरा
		25. सज्जनगढ़
5.	बून्दी	26. केशोरायपाटन
		27. तालेड़ा
		28. हिनडोली
6.	बीकानेर	29. कोलायत
		30. नोखा
		31. बीकानेर (ग्रा.)
		32. लूणकरणसर
7.	बांरा	33. शाहबाद
		34. जबड़ा
		35. किशनगंज
		36. बारां (ग्रा.)
8.	भरतपुर	37. डीग
		38. रूपवास
		39. वैर
		40. बयाना
		41. सेवर
		42. नदवई
		43. कुम्हेर
		44. कामां
		45. नगरपहाड़ी
9.	भीलवाड़ा	46. माण्डलगढ़
		47. रायपुर
		48. माण्डल

1	2	3
		49. सहाड़ा (मु. गंगापुर)
		50. शाहपुरा
		51. सुवाना
		52. कोटड़ी
		53. जहाजपुर
10.	चित्तौड़गढ़	54. छोटीसादड़ी
		55. प्रतापगढ़
		56. अरनोद
		57. चित्तौड़गढ़
		58. राश्मि
		59. बेगूं
11.	चुरू	60. सुजानगढ़
		61. डूंगरगढ़
		62. सरदारशहर
		63. रतनगढ़
		64. राजगढ़
		65. तारानगर
12.	धौलपुर	66. धौलपुर
		67. बसेड़ी
		68. राजाखेड़ा
		69. बाड़ी
13.	दौसा	70. दौसा (ग्रा.)
		71. महुआ
		72. लालसोट
		73. सिकराय
		74. बांदीकुई
14.	डूंगरपुर	75. डूंगरपुर
		76. आसपुर

1	2	3
		77. बिच्छीवाड़ा
		78. सागवाड़ा
		79. सीमलवाड़ा
15.	जयपुर	80. चाकसू
		81. कोटपूतली
		82. फागी
		83. बस्सी
		84. जमवारामगढ़
		85. सांगानेर
		86. दूदू
		87. झोटवाड़ा
		88. सांभरलेक
		89. आमेर
		90. बेराठ (विराटनगर)
		91. शाहपुरा
		92. गोविन्दगढ़
16.	झालावाड़	93. डग
		94. झालरापाटन
		95. मनोहरथाना
		96. खानपुर
17.	झुंझुनूं	97. झुंझुनूं (ग्रा.)
		98. सूरजगढ़
18.	जालोर	99. आहोर
		100. जालोर (ग्रा.)
		101. सायला
		102 रानीवाड़ा
		103. सांचोर
		104. जसवन्तपुरा

1	2	3
		105. भीनमाल
19.	श्री गंगानगर	106. श्रीकरणपुर
		107. रायसिंहनगर
		108. पदमपुर
		109. अनूपगढ़
		110. श्रीगंगानगर
		111. सूरतगढ़
		112. सादुलशहर
20.	हनुमानगढ़	113. हनुमानगढ़
		114. नोहर
		115. भादरा
21.	जोधपुर	116. शेरगढ़
		117. फलौदी
		118. बाप
		119. लुणी (मु. जोधपुर)
		120. बिलाड़ा
		121. भोपालगढ़
22.	नागौर	122. डेगाना
		123. जायल
		124. मेड़तासिटी
		125. डीडवाना
		126. मूण्डवा
		127. रियां
		128. मकराना
		129. परबतसर
		130. लाडनूं
23.	सीकर	131. नीमकाथाना
24.	स.माधोपुर/करौली	132. गंगापुर सिटी

1	2	3
		133. टोडामीम
		134. नादौती
		135. खण्डार
		136. हिण्डौन
		137. करौली
		138. सपोटरा
		139. बामनवास
		140. स माधोपुर (ग्रा.)
		141. बौली
25.	पाली	142. बाली
		143. जैतारण
		144. रायपुर
		145. रोहट
		146. सोजत
26.	सिरोही	147. आबूरोड
		148. रेवदर
		149. पिण्डवाड़ा
		150. सिरोही (ग्रा.)
		151. शिवगंज
27.	टोंक	152. अलीगढ़
		153. टोडारायसिंह
		154. टोंक (ग्रा.)
		155. निवाई
		156. देवली
		157. मालपुरा
28.	उदयपुर	158. गोगुन्दा
		159. कोटड़ा
		160. झाड़ोल

1	2	3
		161. खैरवाड़ा
		162. सलूम्बर
		163. सराड़ा
		164. धरियावद
		165. बडगांव
		166. मावली
		167. गिर्वा
29.	राजसमन्द	168. राजसमन्द
		169. देवगढ़
		170. कुम्भलगढ़
30.	जैसलमेर	171. सम
		172. पोकरण
		173. जैसलमेर
31.	कोटा	174. चेचट
		175. इटावा
		176. सुलतानपुर
32.	चूरू	177. रतननगर

परिशिष्ट-21

अधिसूचनाओं की सूची जिनकी समयावधि दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त हो रही है तथा जिसे 31 जुलाई, 1998 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है

क्र. सं.	अधिसूचना का नम्बर व दिनांक	माल का विवरण	दर की सीमा प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	एफ 4(1) वित्त/कर–अनु/97 102 दिनांक 12.3.97	1. हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स (अर्थमूविंग और माइनिंग मशीनरी) मोबाइल क्रेन्स और हाईड्रोलिक डम्पर्स	2	
		2. टिकिया के रूप में कपड़े धोने का साबुन	4	
		3. एच.डी.पी.ई. फेब्रिक्स	4	
		4. औद्योगिक गैस	4	
		5. सभी प्रकार के बियरिंग्स	6	
		6. ग्रेनाइट	12	
		7. लिनोलियम और लेमिनेटेड चद्दर यथा सनमाइका, फोर–माइका, डेकोलम और उनके समान अन्य	12	
		8. संश्लिष्ट आसंजक	12	
2.	एफ 4(1) वित्त/कर–अनु./97, 108 दिनांक 12.3.97	स्टेनलैस स्टील चद्दर, पत्ते, स्टेनलैस स्टील सर्किल और स्टेनलैस स्टील स्क्रेप	कर मुक्त	माल के विनिर्माण हेतु कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिये।
3.	एफ 4(1) वित्त/कर–अनु./97, 114 दिनांक 12.3.97	स्टेनलैस स्टील चद्दर, पत्ते, स्टेनलैस स्टील सर्किल और स्टेनलैस स्टील स्क्रेप	कर मुक्त	माल के विनिर्माण हेतु कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिये।
4.	एफ 4(1) वित्त/कर–अनु./97, 123	राज्य में अपने कारोबार का स्थान रखने वाले किसी भी व्यवहारी द्वारा अन्तर्रा-	1	केन्द्रीय विक्रय कर

142

1	2	3	4	5
	दिनांक 12.3.97	ज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किये गये कारोबार के किसी भी ऐसे स्थान से उसके द्वारा बनाये ऐलुमिनियम फोइलों के विक्रय के सम्बन्ध में।		
5.	एफ 4(1) वित्त/कर–अनु./ 97, 134 दिनांक 20.3.97	फुटवियर	10	
6.	एफ 4(1) वित्त/कर–अनु./ 97, 136 दिनांक 20.3.97	ग्रे–क्लॉथ	कर मुक्त	
7.	एफ 4(1) वित्त/कर–अनु./ 97, 144 दिनांक 31.3.97	इलैक्ट्रिक स्विचों, सौकेटों, किट–कैट फ्यूज, बल्ब होल्डर, सीलिंग रोज और लकड़ी के केसिंग के विक्रय को इसके द्वारा कर से तुरन्त उस सीमा तक छूट।	6	
8.	एफ 4(1) वित्त/कर–अनु./ 97, 146 दिनांक 31.3.97	टायर–ट्यूबों को अपवर्जित करते हुए मोटर यानों के पुर्जों और उप-साधनों के विक्रय को इसके द्वारा कर से तुरन्त उस सीमा तक छूट देती है।	8	
9.	एफ 4(1) वित्त/कर–अनु./ 97, 155 दिनांक 5.11.97	साप्ताहिक लाटरियों के लिए प्रशमित उद्ग्रहण स्कीम।	प्रशमन	
10.	एफ 4(1) वित्त/कर–अनु./ 97, 156 दिनांक 5.11.97	बम्बर ड्रा वाली लाटरियों के लिए प्रशमित उद्ग्रहण	प्रशमन	